रजिस्ट्री सं. डी.---(डी. एन.)---73 REGISTERED NO. D---(DN)---73

8/4/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 1986 (फाल्गुन 3, 1907)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1986 (PHALGUNA 3, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I---खंड 1---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	151
भाग I---खंड 2---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	211
भाग I---खंड 3---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	--
भाग I---खंड 4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	163
भाग II---खंड 1---अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II---खंड 1-क---अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II---खंड 2---विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II---खंड 3---उप-खंड (i)---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II---खंड 3---उप-खंड (ii)---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II---खंड 3---उप-खंड (iii)---भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II---खंड 4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III---खंड 1---उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7375
भाग III---खंड 2---पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	115
भाग III---खंड 3---मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	--
भाग III---खंड 4---विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	187
भाग IV---गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	27
भाग V---अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	31

*सूचना संख्या प्राप्त नहीं हुई

—461 GI/85

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	151
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	211
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	163
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7375
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	115
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	187
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	31
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio No. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1986

सं० 10-प्रेस/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री विनय कुमार शुक्ला
कांस्टेबल सं० 62
जिला फतेहगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

श्री अब्दुल कादिर
कांस्टेबल सं० 243
जिला फतेहगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30 दिसम्बर 1984, की रात को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी जिसमें दो मार्ग रक्षक सशस्त्र कांस्टेबल नामतः श्री विनय कुमार शुक्ला और श्री अब्दुल कादिर थे । जब बस कैम गंज—अर्सा गंज सड़क पर बान्दा पुलिस से आगे निकली तो चालक को बस रोकनी पड़ी क्योंकि सड़क पर दो ट्रक रास्ता रोके हुए खड़े थे । बस की हैड लाइट में दोनों कांस्टेबलों तथा यात्रियों ने बन्दूकों से लैस दो अपराधियों को ट्रकों के चालकों को उतरने तथा अपना कीमती सामान उन्हें देने की धमकी देते हुए देखा । बस को रुका हुआ देखकर तीन या चार अपराधियों ने बस के टायरों में गोली मारी जिससे वे पिचक गये । अपराधियों में से एक ने बस के चालक को दरवाजा खोलने के लिए कहा । खतरा देखकर रक्षक दल के दोनों कांस्टेबल अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से बस के पिछले दरवाजे से नीचे कूद गए । अपराधियों ने कांस्टेबलों पर गोलियां चलायीं परन्तु उन्हें चोट नहीं लगी और वे बच गए । उन्होंने बस के पीछे आड़ ली और अपराधियों पर गोलियां चलायीं तथा उनमें से दो को मृत्यु हो गई । अन्य अपराधी बच कर भागने में सफल हो गये । मारे गये अपराधियों से दो भरी हुई एम बी बी एल (.12 बोर) बन्दूकें तथा काफी मात्रा में सक्रिय कारतूस बरामद किये गये ।

इस मुठभेड़ में श्री विनय कुमार शुक्ला कांस्टेबल तथा श्री अब्दुल कादिर कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 दिसम्बर 1984, से दिया जाएगा ।

सं० 11-प्रेस/86—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रणधीर सिंह रुहाल,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री कप्तान सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
17वीं बटालियन,
एस०ए०एफ०,
भिण्ड,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

19 जुलाई, 1984, को कुख्यात डाकू रमेश सिंह सिकरवार के गिरोह की बरेलिया बैंड, थाना विजयपुर में उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा एक छापे का आयोजन किया गया । पुलिस दल को देखकर, डाकुओं के गिरोह ने गोली चलाई । पुलिस दल ने भी जवाब में गोली चलायी जो 10-15 मिनट तक चलती रही । फिर भी गिरोह घने जंगल में झाड़ियों तथा नाले का लाभ उठाते हुए बचकर भागने में सफल हो गया । उस रास्ते के पास जहां से वे बचकर भागे थे रक्त के कुछ धब्बे देखे गये जिससे संकेत मिला कि गिरोह के कुछ सदस्य घायल हो गये हैं ।

पुलिस दल ने मूसलाधार वर्षा तथा घने जंगल में गिरोह का पीछा किया और 20 जुलाई, 1984, की प्रातः गिरोह का पता लगा लिया । डाकू आम्बोह तथा सेवापुरा पहाड़ी के बीच कगार पर डांगे फैलाकर आराम कर रहे थे । चूंकि गिरोह पहाड़ी की चोटी पर ऊंचे स्थान पर था उसने आते हुए पुलिस दल को देख लिया और फौरन गायब हो गया । फिर भी, पुलिस दल ने खोज का कार्य जारी रखा तथा एक बार फिर एक भयंकर मुठभेड़ में उन्हें उलझाने में सफल हो गया । हैड कांस्टेबल कप्तान सिंह तथा उप निरीक्षक रुहाल भारी गोलीबारी के बावजूद अन्य लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे । दुर्भाग्यवश, दोनों को एक साथ डाकुओं की गोलियां लगीं । हैड कांस्टेबल कप्तान गोलियां चलाते रहे। उप निरीक्षक रुहाल के सिर पर गोली लगी लेकिन अपने हौंसलेहवास खोने तक वे आगे बढ़ते रहे । गिरोह के सदस्य फिर बचकर पहाड़ियों में भागने में सफल हुए तथा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका ।

इस मुठभेड़ में, श्री रणधीर सिंह रुहाल, पुलिस उप निरीक्षक तथा श्री कप्तान सिंह हैड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जुलाई, 1984, से दिया जाएगा ।

सं० 12-प्रेज/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रेम सिंह अहलावत,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना छाता,
आगरा,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

16 मार्च, 1983, को थाना छाता में सूचना प्राप्त हुई कि मैसर्स विपन चन्द्र एण्ड ब्रादर्स के टिम्बर गोदाम में आग लग गयी है और वह बड़ी तेजी से फैल रही है। टिम्बर बाजार होने के कारण अग्निशमन सेवा कार्मिकों का सबसे कठिन कार्य लपटों को रोकना और जनता को सुरक्षित दूरी पर रखना था। श्री प्रेम सिंह अहलावत उप-निरीक्षक अपने बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने में सफल हुए। श्री अहलावत ने, आग बुझाने में और आग की चपेट में आई मकान की ऊपरी मंजिल में घिरे लोगों को बचाने में अग्निशमन सेवा कार्मिकों की मदद की। चीखते हुए व्यक्तियों की जानें बचाने के प्रयत्न में, श्री अहलावत ने मानवीय जीवनों को बचाने के लिए और मौके पर पहुंचने के लिए कूदकर छत पार की। वे दो व्यक्तियों और एक बच्चे को बचाने में समर्थ हो गए। अचानक उठती हुई लपटों के बाहर निकलने के कारण रास्ता बंद हो गया और उन्हें असबेस्टोस की छत के ऊपर से कूदकर बाहर आना पड़ा। जैसे ही वे लकड़ी के ढांचे से बनी छत, जो पहले ही जल चुकी थी, पर उतरे, गिर गई जिसके परिणामस्वरूप उप निरीक्षक 20 फुट नीचे गिर गए जहां उनके चारों तरफ आग थी। श्री अहलावत जिनकी बाह टूट चुकी थी रेंगते हुए लपटों से बाहर निकले। उसी समय अग्निशमन एकक ने उन्हें उठा लिया और सुरक्षित स्थान पर ले गये। श्री प्रेम सिंह अहलावत की हड्डी टूट गयी और वे बुरी तरह जल गए।

इस घटना में, श्री प्रेम सिंह अहलावत, उप निरीक्षक, ने अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मार्च, 1983, से दिया जाएगा।

दिनांक 10 फरवरी 1986

सं० 13-प्रेज/86—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :।

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव,
पुलिस अधीक्षक,
भिण्ड ।

श्री रघुवर दयाल मिश्रा,
पुलिस उप अधीक्षक,
भिण्ड ।

श्री राम सहोदर तिवारी,
पुलिस उप निरीक्षक,
भिण्ड ।

सेवाओं के विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

19 अप्रैल, 1984 को थाना रोन के थाना अध्यक्ष श्री राम सहोदर तिवारी को दबका और नदीपुरा के बीच घाटियों में घनश्याम मिर्धा के गिरोह (जिसमें 14 डाकू थे) की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर ने थानाध्यक्ष को यह भी बताया कि गिरोह गांव गोरई में एक व्यक्ति गंगा सिंह राजपूत के मकान में डाका डालने और अपहरण करने की योजना बना रहा है।

श्री तिवारी ने यह सूचना पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को दी। श्रीवास्तव ने जिला पुलिस और विशेष सशस्त्र बल से लगभग 150 व्यक्ति एकत्र किये और रोन के लिए रवाना हुए। उन्होंने पुलिस बल को चार दलों में विभाजित किया। श्री आर० डी० मिश्रा, पुलिस उप अधीक्षक और श्री तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक, के साथ एक दल जिसका नेतृत्व स्वयं श्री वास्तव कर रहे थे, गिरोह के छिपने के स्थान की ओर बढ़ा। अन्य तीन दल गिरोह से बच कर भागने के संभावित मार्गों को रोकने के लिए घात लगाकर क्षेत्र को घेरने हेतु तैनात किए गए। श्री वास्तव ने सर्वप्रथम गिरोह से सम्पर्क किया। वे घाटी के टीले की चोटी पर चढ़े और गिरोह को रक्षा तथा बल को "एल" आकार में विस्तृत क्रम में मोर्चाबन्दी करने के लिए कहा। उन्होंने फिर गिरोह को ललकारा जिसके जवाब में गिरोह ने गोलियों की बौछार कर दी। डाकू कैलाश सिंह का अन्य डाकुओं के साथ आश्रय दल से बच निकलने के प्रयास में उप निरीक्षक राम सहोदर तिवारी से सामना हो गया। श्री तिवारी ने चिल्ला कर डाकुओं से रुकने के लिए कहा लेकिन डाकू कैलाश सिंह ने उन पर गोलियां चलाई। श्री तिवारी भाग्यवश बच गए। श्री श्रीवास्तव ने तुरन्त हस्तक्षेप किया और घटनास्थल पर डाकू कैलाश सिंह को गोली से मार गिराया तथा इसके बाद अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर डाकुओं को घेरने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान पुलिस के घेरे को तोड़ने के लिए एक अन्य डाकू श्री श्रीवास्तव की तरफ दौड़ा। श्री तिवारी ने स्थिति के अनुसार कार्रवाई की और डाकू पर गोली चलाई जिसकी बाद में भूरा वर्जा के रूप में शिनाख्त की गई।

डाकुओं के तीसरे दल को श्री रघुवीर दयाल मिश्रा के पुलिस दल ने उलझाए रखा और इस मुठभेड़ में एक अन्य कुख्यात डाकू धर्मपाल काछी मारा गया। शेष डाकू भागने लगे जिनका पुलिस दल ने तेजी से पीछा किया तथा एक अन्य डाकू अर्थात बाबू खांगर को मार डाला। एक अपहृत व्यक्ति मंगल कोरव को पुलिस दल ने जीवित बचा दिया। इस प्रकार इस मुठभेड़ में घनश्याम मिर्धा गिरोह के कुल चार डाकू मारे गए।

इस मुठभेड़ में, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक, श्री रघुवर दयाल मिश्रा, पुलिस उप अधीक्षक, और श्री राम सहोदर तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस, और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 अप्रैल, 1984 से दिया जाएगा।

सं 14-प्रेज—/86—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मण सखाराम पिम्पलकर,
पुलिस निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30 अप्रैल, 1985 को मलाड थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक आततायी और भयानक अपराधी शाबुद्दीन खान मोहम्मद उर्फ राजू शाबुद्दीन और उसके दो साथी चिचोली गांव में एक झोंपड़ी में छिपे हुए हैं। निरीक्षक लक्ष्मण सखाराम पिम्पलकर के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरन्त चिचोली गांव गया और झोंपड़ी का घेर लिया। झोंपड़ी के दरवाजे को अन्दर से [illegible] बन्द किया हुआ था और दरवाजा बार-बार खटखटाने के बावजूद नहीं खोला गया। पुलिस दल [illegible] तोड़ कर जो जंगली झाड़ियों से ढकी हुई थी और गारे से लिपी हुई थी, अन्दर घुसा।

राजू के दो साथियों को झोंपड़ी से पकड़ा गया। उनसे मालूम हुआ कि राजू साथ वाली झोंपड़ियों में छिपा हुआ है। पुलिस दल ने क्षेत्र की छानबीन आरम्भ की। राजू को अंधेरे में घने खेतों में से बांदरा लिंक रोड की ओर भागते हुए देखा गया। उसका निरीक्षक पिम्पलकर और एक अन्य उप-निरीक्षक द्वारा पीछा किया गया। निरीक्षक पिम्पलकर ने राजू को आत्म-समर्पण की चेतावनी दी लेकिन वह पीछे मुड़ा और अपने पिस्तौल से निरीक्षक पिम्पलकर पर गोली चलाई। निरीक्षक पिम्पलकर झुक गए और अपने रिवाल्वर से गोली चलाई जिससे राजू की दायीं जांघ में चोट लगी। चोट के बावजूद राजू ने निरीक्षक पिम्पलकर को निशाना बना कर उन पर दूसरी गोली चलाई। उन्होंने जवाब में अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउंड और गोली चलाई जिनसे राजू के दायें हाथ और छाती में चोटें लगीं। उप निरीक्षक जो निरीक्षक पिम्पलकर के निकट थे, ने भी अपनी सर्विस रिवाल्वर से दो राउंड गोली चलाई। गोलियां लगने के कारण राजू गिर पड़ा। निरीक्षक पिम्पलकर उसके पास गए और उसको निशस्त्र किया। उसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो बिना चले कारतूस बरामद किए गए। चूंकि राजू बुरी तरह हांफ रहा था, इसलिए उसको तुरन्त हस्पताल भेजा गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इस घटना में, श्री लक्ष्मण सखाराम पिम्पलकर, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अप्रैल, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 15-प्रेज/86—राष्ट्रपति तमिलनाडु पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मरुधप्पन मुनियाण्डी,
पुलिस कांस्टेबल सं० 749,
थाना मुथियापुरम,
जिला पूर्वी तिरुनेलवेली,
तमिलनाडु।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 मार्च, 1985 को श्री मरुधप्पन मुनियाण्डी, पुलिस कांस्टेबल सं० 749 को टेलीफोन पर संदेश मिला कि टूटीकोरिन के लिंगम नामक एक गुण्डे ने स्थानीय कम्पनी के श्री राजेन्द्रन नामक एक कर्मचारी को छुरा घोंप दिया है तथा मुथियापुरम थाने में थमेल नगर के अन्य निवासियों को धमकी दी है। वे एक अन्य हेड कांस्टेबल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गए और गुन्डे को हाथ में छुरा लिए हुए देखा। पुलिस को देखकर अपराधी ने भागना शुरू कर दिया। कांस्टेबल मुनियाण्डी ने अपराधी का पीछा किया। जब वे एकान्त स्थान पर पहुंचे तो अपराधी ने छुरा निकाल लिया और पुलिसकर्मी के पेट में छुरा घोंप दिया। चोट की परवाह न करते हुए, कांस्टेबल ने तब तक अपराधी को पकड़े रखा जब तक कि हैड कांस्टेबल उनके बचाव के लिए न आए। इस कार्रवाई में अपराधी ने हैड कांस्टेबल को भी छुरा घोंप दिया परन्तु उसे दायीं हथेली पर मामूली चोट आयी। छुरे से लगी गम्भीर चोट के बावजूद श्री मुनियाण्डी ने गुण्डे को बचकर नहीं भागने दिया। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तथा उसे पुलिस स्टेशन ले आये।

इस घटना में, श्री मरुधप्पन मुनियाण्डी, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 1985 से दिया जाएगा।

एस० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1986

संकल्प

सं० क्यू/हिंदी/621/30/85—भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति की संरचना नीचे लिखे अनुसार होगी :—

1. विदेश मंत्री — अध्यक्ष
2. विदेश राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

संसद सदस्य

3. श्री नरेश चतुर्वेदी,
सदस्य, लोक सभा,
27 नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

4. श्री वी० कृष्ण राव,
सदस्य, लोक सभा,
137, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

5. श्री सत्यपाल मलिक,
सदस्य, राज्य सभा,
61, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

6. श्री चतुरानन मिश्रा,
सदस्य, राज्य सभा,
11, कैनिंग लेन,
नई दिल्ली।

संसदीय राजभाषा समिति से

7. डा० रुद्रप्रताप सिंह,
सदस्य, राज्य सभा,
36, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

8. श्री इन्द्रदीप सिन्हा,
सदस्य, राज्य सभा,
16-डी, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली।

गैर सरकारी सदस्य

9. श्री सुधाकर पाण्डेय,
प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारणी हिन्दी सभा,
2ग्र, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली।

10. श्री गंगाशरण सिंह,
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी प्रचार सभा,
75, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली।

11. श्री पी० चन्द्रशेखरन,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,
मद्रास।

12. श्री एम०के० वेलायुधन नायर, मंत्री
केरल प्रचार सभा,
त्रिवेन्द्रम।

13. श्री मंगल किशोर चतुर्वेदी,
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य सम्मेलन
प्रियवंदा सदन, सी स्कीम, जयपुर।

14. श्री शिवमंगल सिंह सुमन,
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
लखनऊ।

15. श्री रमेश शर्मा,
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
श्रीनगर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (जम्मू व काश्मीर)

16. डा० रामजी सिंह,
भूतपूर्व संसद सदस्य,
भीखनपुर, भागलपुर।

17. डा० महेन्द्र कुमार,
विभागाध्यक्ष, हिन्दी
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

18. श्री जगदीश चतुर्वेदी,
पत्रकार 55 काका नगर,
नई दिल्ली।

19. श्रीमती शीला झुनझुनवाला,
संपादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान,
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस,
18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

20. श्री लल्लन प्रसाद व्यास,
सी–13, प्रेस एन्क्लेव, साकेत,
नई दिल्ली।

21. श्रीमती तस्लीम पटेल,
बिलोली, नांदेड, महाराष्ट्र।

22. श्री लक्ष्मी नारायण,
हिन्दी संस्थान, गांधी भवन,
नई दिल्ली।

23. श्री मधुकर राव चौधरी,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।

24. डा० कुमार विमल,
96, एम आई जी एच, कंकड़ बाग कालोनी,
पटना।

सरकारी सदस्य

25. सचिव, राजभाषा विभाग तथा
भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार

26. सचिव (पश्चिम),
विदेश मंत्रालय

27. संयुक्त सचिव (प्रशासन),
विदेश मंत्रालय

28. सचिव, साहित्य अकादमी,
रविंद्र भवन,
13, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली

29. महानिदेशक,
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

30. संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार)
विदेश मंत्रालय

31 संयुक्त सचिव (सी पी डी),
विदेश मंत्रालय

32. संयुक्त सचिव (समन्वय),
विदेश मंत्रालय

33. संयुक्त सचिव (पश्चिम एशिया)
विदेश मंत्रालय

34. संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया)
विदेश मंत्रालय

35. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग,

36. निदेशक (वित्त)
विदेश मंत्रालय

37. विशेषाधिकारी (हिन्दी)

38. विदेश सचिव सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का काम सरकारी कामकाज में विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित इसके मिशनों और देश में इसके कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में तथा विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के बारे में सलाह देना है।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, परन्तु

1 समिति में नामजद कोई संसद सदस्य अगर संसद का सदस्य नहीं रहे तो वह इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा, और

2. समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त स्थानों पर नियुक्त सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।

4. विविध

1. समिति, आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकेगी,

2. समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है,

3 समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

[आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कंवल सिबल, संयुक्त सचिव।

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 1986

सं० एफ 12014/10/85-खान-6—इस विभाग के दिनांक 12 जनवरी, 1981 के संकल्प सं० एफ 23012/99/80-खान-6 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि भारतीय खान ब्यूरो के सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित को शामिल करके पुनर्गठित किया जाए :—

गठन

अध्यक्ष

1. सचिव, खान विभाग

सदस्य

2. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खनिज गवेषण निगम लि०, नागपुर।
4. सलाहकार, (आई एंड एम), योजना आयोग, नई दिल्ली।
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि।
6. केन्द्रीय सार्वजनिक खनन संगठनों के दो प्रतिनिधि-बारी-बारी से (इस समय स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि० और हिन्दुस्तान कापर लि० के प्रतिनिधि होंगे)
7. कोस्मिक (राज्य खनन निगम समिति) के अध्यक्ष।
8. अध्यक्ष, भारतीय खनिज उद्योग फेडरेशन।
9. राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधि बारी-बारी से (इस समय कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे)
10. निदेशक, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर।
11. प्रो० टी०सी० राव, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद।
12. वित्तीय सलाहकार, खान विभाग।

सदस्य-सचिव

13. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो।

कार्यकाल

सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

सलाहकार बोर्ड की शर्तें और कार्य अपरिवर्तित रहेंगे।

बी० दासगुप्ता निदेशक

परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1986

नियमावली

सं० 85/ई०(जी० आर०)/I/2/82—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियां भरने के लिए 1986 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा—इंजिनियरी सेवा परीक्षा की नियमावली मंत्रालय/विभागों की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग 1—सिविल इंजीनियरी

ग्रुप क सेवाएं/पद

(1) इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा
(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)
(3) केन्द्रीय इंजीनियरी पद
(4) सैनिक इंजीनियरी सेवा (भवन तथा सड़क संवर्ग)
(5) सैन्य इंजीनियरी सेवा (निर्माण सर्वेक्षक संवर्ग)
(6) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)
(7) सहायक इंजीनियर (सिविल), डाक-तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध
(8) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियर शाखा) सिविल इंजीनियरी पद।

ग्रुप ख सेवाएं/पद

(10) सहायक इंजीनियर (सिविल), सिविल निर्माण स्कन्ध आकाशवाणी।

वर्ग 2—यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप क सेवाएं/पद

(1) यांत्रिक इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा।
(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(3) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(4) केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(5) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(6) भारतीय नौ सेना आयुध सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(7) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) (डाक-तार दूर संचार कारखाना संगठन)
(8) सैन्य इंजीनियर सेवा (वैद्युत और यांत्रिक संवर्ग) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(9) कर्मशाला अधिकारी (यांत्रिक), ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय।
(10) केन्द्रीय वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(11) सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद तकनीकी विकास महानिदेशालय (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(12) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत तथा यांत्रिक), यांत्रिक इंजीनियरी पद, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, ग्रुप 'क'।
(13) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
(14) यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण।

ग्रुप ख सेवाएं/पद

(15) कर्मशाला अधिकारी (यांत्रिक इंजीनियरी पद) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय।

वर्ग 3—वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप क सेवाएं/पद

(1) वैद्युत इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(3) केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(4) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(5) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(6) केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(7) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (वैद्युत) (डाक-तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध)।

(8) कर्मशाला अधिकारी (वैद्युत) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय

(9) सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद तकनीकी विकास महानिदेशालय (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(10) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(11) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) वैद्युत इंजीनियरी पद, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा।

ग्रुप ख सेवाएं/पद

(12) सहायक इंजीनियरी (वैद्युत), सिविल निर्माण स्कन्ध आकाशवाणी

(13) कर्मशाला अधिकारी (वैद्युत), ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय।

वर्ग 4—इलैक्ट्रानिकी और दूर-संचार इंजीनियरी

ग्रुप क सेवाएं/पद

(1) सिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (दूर-संचार) (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)।

(3) भारतीय दूर संचार सेवा।

(4) इंजीनियर वायरलैस आयोजन और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन।

(5) उप प्रभारी इंजीनियर, समुद्रपार संचार सेवा।

(6) भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा।

(7) तकनीकी अधिकारी, सिविल विमानन विभाग।

(8) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)।

(9) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)।

(10) केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (दूर संचार इंजीनियरी पद)।

(11) सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद, तकनीकी विकास महानिदेशालय (इलेक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इंजीनियरी पद)।

(12) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप "क" (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)।

(13) कर्मशाला अधिकारी (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद), ई०एम० ई० कोर, रक्षा मन्त्रालय।

(14) संचार अधिकारी, सिविल विमानन विभाग।

ग्रुप ख सेवाएं/पद

(15) सहायक इंजीनियर, समुद्रपार संचार सेवा।

(16) तकनीकी सहायक (ग्रुप ख, अराजपत्रित), समुद्र पार संचार सेवा।

(17) कर्मशाला अधिकारी (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद), ई०एम०ई० कोर, रक्षा मन्त्रालय।

1. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित रीति से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग निश्चित करेगा।

2. उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों के वर्ग में से किसी एक या अधिक के लिए प्रतियोगी हो सकता है। उसे अपने आवेदन-पत्र में उन सेवाओं/पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह वरीयता क्रम में विचार किये जाने का इच्छुक हो।

विशेष ध्यान 1.—उम्मीदवार जिन सेवा/पद से संबंधित वर्ग/वर्गों अर्थात् सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी वैद्युत इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी के प्रतियोगी हैं (नियमावली का प्रस्तावना देखिए) उनके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं पदों के बारे में उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है। आयोग या परिवहन मंत्रालय रेल विभाग उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगा जिसमें उनसे उनके आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए परिशोधित वरीयता निर्दिष्ट करने को कहा जाए।

विशेष ध्यान 2.—उम्मीदवार केवल उन ही सेवाओं और पदों के लिए अपनी वरीयता बताएं जिनके लिए वे नियमों की शर्तों के अनुसार पात्र हों और जिनके लिए वे प्रतियोगी हों। जिन सेवाओं और पदों के लिए वे पात्र नहीं है और जिन सेवाओं और पदों से सम्बन्धित परीक्षाओं में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है उनके बारे में बताई गई वरीयता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान 3.—वे विभागीय उम्मीदवार जिन्हें आयु सीमा में छूट के अधीन [देखिए नियम 5 (ख)] परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं तथापि पहले उन्हें अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों में रिक्तियों के न होने अथवा ऐसे उम्मीदवारों के उनके अपने ही विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के संबंध में विचार किया जाएगा

विशेष ध्यान 4.—नियम 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबंध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, भूतपूर्व ट्रगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो,

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

5. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 1986 को 20 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 28 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1958 से पहले और 1 अगस्त, 1966 के बाद न हुआ हो।

(ख) नियम-दो के नीचे दिए गए विशेष ध्यान (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि वे नीचे दिए गए कालम-1 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं और कालम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं)/पद (पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु, जिसके लिए वे अन्यथा पात्र हैं, आवेदन करते हैं—ऊपरी आयु-सीमा 28 वर्ष के स्थान पर 33 वर्ष होगी:

(1) वह उम्मीदवार जो सम्बद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप से स्थायी पद पर है। उक्त विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्ति परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में 1 अगस्त, 1986 को कम से कम 3 वर्ष लगातार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कालम 1	कालम 2
रेल विभाग	आई० आर० एस० ई०, आई० आर० एस० ई० ई०, आई० आर० एस० एस० ई०, आई० आर० एस० एम० ई०, आई० आर० एस० एस०
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सी० ई० एस० ग्रुप क, सी० ई० एण्ड एम० ई० एस० ग्रुप क।
इंजीनियर-इन-चीफ, थल सेना मुख्यालय	एम० ई० एस० ग्रुप क (बी० एण्ड आर० कैडर निर्माण सवक्षक संवर्ग) एम० ई० एस० ग्रुप क (ई० एण्ड एम० कैडर)
आयुध कारखाना महानिदेशालय	आई० ओ० एफ० एस० ग्रुप क
केन्द्रीय जल आयोग	सी० डब्ल्यू० ई० (ग्रुप क) सेवा।
केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण	सी० पी० ई० (ग्रुप क) सेवा।
भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण	यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।
बेतार आयोजन तथा समन्वय स्कंध	इंजीनियर (ग्रुप क), डिप्टी इंजीनियर।
अनुश्रवण संगठन, समुद्रपार संचार सेवा	इंचार्ज (ग्रुप क) सहायक इंजीनियर (ग्रुप ख)। तकनीकी सहायक ग्रुप ख (अराजपत्रित)।
सड़क सीमा संगठन	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा।
आकाशवाणी दूरदर्शन	भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा का कनिष्ठ वेतनमान, सहायक इंजीनियर (ग्रुप ख) (सिविल/इलेक्ट्रिकल), सिविल कन्स्ट्रक्शन विंग, आकाशवाणी।
नागर विमानन विभाग	तकनीकी अधिकारी (ग्रुप क) संचार अधिकारी
भारतीय नौ सेना	भारतीय नौसेना आयुध सेवा।
डाक तार विभाग	भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप क सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल वैद्युत्) ग्रुप क, डाक तार सिविल स्कंध, सहायक प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप क, डाक तार दूरसंचार कारखाना संगठन।
तकनीकी विकास महानिदेशालय	सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) ग्रुप "क"।
आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय	आई० एस० एस० (ग्रुप 'क')।

टिप्पणी :—प्रशिक्षुता की अवधि के बाद यदि रेलों में किसी कार्यकारी पद पर नियुक्ति हो जाती है तो आयु में छूट के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षुता की अवधि रेल सेवा मानी जायेगी।

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया या आने वाला भारतमूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अक्तूबर, 1964 को या उसके बाद भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को वस्तुतः प्रत्यावर्तित हो कर आया या आने वाला भारतमूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(6) यदि उम्मीदवार बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हो कर आया भारतमूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारतमूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(8) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(9) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(10) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हों) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(11) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतमूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद भारत आया हो तो उनके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(12) यदि उम्मीदवार भारतमूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथीयोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष

(13) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारतमूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथीयोपिया से भारतमूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 1986 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1986 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है (ii) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक ।

(15) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 1986 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं) इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1986 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है (ii) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(16) यदि उम्मीदवार भूत-पूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(17) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(18) यदि कोई उम्मीदवार पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो, तो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक ।

(19) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो और पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो, तो अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष तक ।

टिप्पणी :—भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों को लेने के बाद सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(ग) 14 और 5(ग) 15 के अधीन आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।

विशेष ध्यान :—जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त, नियम 5 (ख) या (ग) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतें देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है ।

किन्तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा ।

जो उम्मीदवार विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस सेवा/पद हेतु विभाग की आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी ।

6. उम्मीदवार—

(क) के पास भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए, अथवा

(ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) की परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हो; अथवा

(ग) के पास किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालिज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(घ) इलेक्ट्रानिकी और दूर संचार इंजीनियरों की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिक सोसायटी की एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा भाग II और III खण्ड क और ख उत्तीर्ण की; या

(च) नवम्बर, 1959 के बाद की गई इलैक्ट्रानिकी और रेडियो संचार इंजीनियरों की संस्था (लन्दन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

नवम्बर, 1959 से पहले इलैक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरों की संस्था (लंदन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा भी निम्नलिखित स्थितियों में स्वीकार्य होगी :—

(1) कि जिन उम्मीदवारों ने नवम्बर, 1959 से पहले की गई परीक्षा उत्तीर्ण की है वे ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा की 1959 के

बाद की योजना के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों में बैठे हों और उनमें उत्तीर्ण हों—

(1) रेडियो और इलैक्ट्रानिकी 1 के सिद्धान्त (सेक्शन "ए")

(2) गणित 2 (सेक्शन "बी")।

(2) कि सम्बद्ध उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए इलैक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरी की संस्था लन्दन से प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करना चाहिए।

किन्तु वायरलैस आयोजन तथा समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन संचार मंत्रालय में इंजीनियरी ग्रुप क, समुद्रपार संचार सेवा में उप प्रभारी इंजीनियर ग्रुप क, भारतीय प्रसारण इंजीनियरी सेवा, भारतीय नौसेना आयुध सेवा में इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी (पद) समुद्रपार संचार सेवा में सहायक इंजीनियर ग्रुप ख और समुद्रपार संचार सेवा में तकनीकी सहायक (ग्रुप ख अराजपत्रित) के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे :—

वायरलैस संचार इलैक्ट्रानिकी रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम० एस० सी० डिग्री या समकक्ष।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे वह उत्तीर्ण कर लेने पर शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 31 अक्तूबर, 1986 तक नीचे निर्धारित पत्र में प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हक प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों अथवा जो लोक उद्यमों में सेवारत हों उन सबको इस आशय का परिवचन (अण्डर-टेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(11) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(12) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो।

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आयोग की विवक्षा पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

13. साक्षात्कार के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से लिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाए गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं चुने जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा वे (स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई स्थान हो। नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि वे उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

विभागीय उम्मीदवारों को पहले उन्हें उनके अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों में रिक्तियों के न होने अथवा ऐसे उम्मीदवारों के, उनके अपने विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही, उन्हें उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के संबंध में विचार किया जाएगा।

16. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरी परीक्षा जो सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, यथास्थिति के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर जो उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी डाक्टरी जांच साक्षात्कार की तारीख के तुरन्त बाद आने वाले कार्य दिवस को की जाएगी (दूसरे शनिवार को छोड़कर रविवार और छुट्टियों वाले दिन डाक्टरी जांच नहीं होगी) इस प्रयोजन के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रातः 9.00 बजे, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी रेलवे, वसंत लेन, नई दिल्ली पर उपस्थित होना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार चश्मा लगाते हों तो उन्हें हाल ही के चश्मे के नंबर के साथ मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए।

डाक्टरी जांच की तारीख या स्थान में परिवर्तन का अनुरोध सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में डाक्टरी जांच से छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों का ध्यान इसमें प्रकाशित शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें विभिन्न सेवाओं के लिए शारीरिक स्वस्थता के मापदण्ड अलग-अलग हैं। अतः उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि जिन सेवाओं के लिए वे प्रतियोगी हैं जिनके सेवाओं/पदों के लिए सं० लो० से० आ० को वरीयता बतायी है उन सेवाओं के विशेष संदर्भ में इन मापदण्डों को ध्यान में रखें।

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि :—

(1) उनको (सोलह रुपये) रु० 16/- की नकद राशि मेडिकल बोर्ड को भुगतान करनी होगी;

(2) डाक्टरी जांच के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा; और

(3) उम्मीदवार की डाक्टरी जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया ही जाएगा।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उनको परिवहन (रेल विभाग) मंत्रालय द्वारा डाक्टरी जांच से संबंधित अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।

निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी परीक्षा करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट II में दिए गए हैं। 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं में स्तर में से छूट दे सकती है।

18. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नि पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नि के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में प्रवेश से पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायक होगा जो कि उम्मीदवार को सेवा में प्रवेश के बाद उत्तीर्ण करनी है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

ए० एन० वान्चू, सचिव,
रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट 1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग 1—लिखित परीक्षा दो भागों में होगी। भाग 1 में केवल वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे और भाग 2 में परम्परागत प्रश्नपत्र होंगे। दोनों भागों में संगत इंजीनियरी शिक्षा शाखाओं जैसे सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी और इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी की पूरी पाठ्यचर्या होगी। इन प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्या परिशिष्ट की अनुसूची में दिए गए हैं। लिखित परीक्षा का विवरण जैसे विषय, प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक नीचे पैरा 2 में दिए गए हैं।

भाग 2—लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

श्रेणी I—सिविल इंजीनियरी

(नियमावली की प्रस्तावना देखिए)

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड I—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण		2 घंटे	200
(भाग क: सामान्य अंग्रेजी)	01		
(भाग ख: सामान्य अध्ययन)	02		
सिविल इंजीनियरी			
प्रश्न-पत्र I	11	2 घंटे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	12	2 घंटे	200
खण्ड II-परम्परागत प्रश्न-पत्र			
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	13	3 घंटे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	14	3 घंटे	200
योग			1000

श्रेणी II—यांत्रिक इंजीनियरी

(नियमावली की प्रस्तावना देखिए)

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड I—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण		2 घंटे	200
(भाग क: सामान्य अंग्रेजी)	01		
(भाग ख: सामान्य अध्ययन)	02		
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	21	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	22	2 घंटे	200
खण्ड II—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	23	3 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	24	3 घंटे	200
योग			1000

श्रेणी III—वैद्युत इंजीनियरी

(नियमावली को प्रस्तावना देखिए)

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड I—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण		2 घंटे	200
(भाग क: सामान्य अंग्रेजी)	01		
(भाग ख: सामान्य अध्ययन)	02		
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	41	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	42	2 घंटे	200
खण्ड II—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	43	3 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	44	3 घंटे	200
योग			1000

श्रेणी IV—इलेक्ट्रानिकी और दूर-संचार इंजीनियरी

(नियमावली की प्रस्तावना देखिए)

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड I—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण		2 घंटे	200
(भाग क: सामान्य अंग्रेजी)	01		
(भाग ख: सामान्य अध्ययन)	02		
इलेक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	61	2 घंटे	200
इलेक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	62	2 घंटे	200
खण्ड II—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
इलेक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	63	3 घंटे	200
इलेक्ट्रानिक्स तथा दूर-संचार इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	64	3 घंटे	200
योग			1000

3. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक उत्साह, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

4. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जायें। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपनी विवेक्षा से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. लिखाई खराब होने पर लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिये जायेंगे।

9. परीक्षा के परम्परागत प्रश्न-पत्र में इस बात को श्रेय दिया जायेगा कि अभिव्यक्ति कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभाव पूर्ण ढंग की और सही हो।

10. प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक लोन और ताप की मीटरी प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे।

नोट—उम्मीदवारों को जब भी जरूरी समझा जाएगा परीक्षा भवन में सन्दर्भ हेतु भारतीय मानक संस्था द्वारा संकलित तथा प्रकाशित मीटरी इकाइयों की सारणी उपलब्ध कराई जाएगी।

11. उम्मीदवारों को परम्परागत (निबंध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बटन से चलने वाले पाकेट केलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में किसी से केलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक पत्र पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

12. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

परिशिष्ट 1 की अनुसूची

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि एक इंजीनियरी/विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है। अन्य विषयों के प्रश्न पत्रों के स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

सामान्य योग्यता परीक्षण

भाग (क) :—सामान्य अंग्रेजी (कोड सं० 01) अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके।

भाग (ख) :—सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02) सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से सामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती हैं तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे।

सिविल इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र I

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिये कोड सं० 11 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 13

1. भवन सामग्री और निर्माण—पत्थर, इमारती लकड़ी, ईंट, सीमेंट, लेप, कंक्रीट रचिति, इस्पात।
2. घन यांत्रिकी
   प्रतिबल, विकृति, धन द्रव्य का विफलन सिद्धांत, साधारण बंकन और विमोटन के सिद्धांत, प्रभावकरण क्षेत्र
3. आलेखी स्थैतिकी
   बल बहुभुज, प्रतिबल आरेख
4. संरचनात्मक विश्लेषण
   ट्रसेज और फ्रेम का विश्लेषण
   प्लास्टिक विश्लेषण का परिचय
5. धातु संरचना का अभिकल्पन
   कार्यकारी प्रतिबल और साधारण संरचना के चरम सामर्थ्य अभिकल्पन
6. कन्क्रीट और चिनाई रचना के अभिकल्पन
   चिनाई दीवार का अभिकल्पन, कार्यकारी प्रतिबल समतल का अभिकल्पन, प्रबलित और प्रतिबलित कन्क्रीट, प्रबलित और प्रतिबलित कन्क्रीट का चरम सामर्थ्य अभिकल्पन।

प्रश्न पत्र—II

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए कोड सं० 12 और परम्परागत प्रश्न पत्र के लिए कोड सं० 14

1. तरल यांत्रिकी जल स्रोत; इंजीनियरी,
   विवृत चैनल और पाइप प्रवाह, जल विज्ञान, नहरों का अभिकल्पन, और जलीय संरचना।
2. मृदा यांत्रिकी और आधार इंजीनियरी और उनके सामान्य सिद्धांत, प्रबलता प्राचल; भूमि दाब के सिद्धांत उथले और गहरे आधारों के अभिकल्प।
3. रेल इंजीनियरी तथा सर्वेक्षण कार्य सहित परिवहन इंजीनियरी, सड़क प्रतिउन्नयन नियमन प्रवणता, कुट्टिम, यातायात नियंत्रण, अभिकल्पन विचारण।
4. पर्यावरण इंजीनियरी
   जल स्वच्छता, सीवेज अभिक्रिया एवं निपटान।
5. निर्माण, नियोजन और प्रबंध
   निर्माण पद्धति के तत्व, बार चार्ट, सी० पी० एम० पी० ई० आर० टी०।

यांत्रिक इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र I

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए कोड सं० 21 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 23

1. ऊष्मागतिकी
   नियम, आदर्श गैसों और वाष्प के गुण धर्म, विद्युत चक्र, गैस पावर चक्र, गैस टरबाइन चक्र, ईंधन और दहन।
2. आई० सी० इंजन
   सी० आई० और एस० आई० इंजन, अविस्फोटन ईंधन अंतःक्षेपण और कार्बरेशन निष्पादन और परीक्षण टर्बो जेट और टर्बो प्रोपेलर इंजन, राकेट इंजन नाभिकीय शक्ति संयंत्र और नाभिकीय ईंधन का प्रारम्भिक ज्ञान।
3. वाष्प बायलर, ईंधन, वाष्प टरबाइन, प्राक्षय, नाजल में वाष्प प्रवाह, आवेग और अभिक्रिया टरबाइन के वेग आरेख, दक्षता और नियंत्रण।
4. संपीडित्र, गैस गतिकी और गैस टरबाइन प्रत्यागामी, केन्द्राभिमुख और अक्षीय प्रवाह के संपीडित्र वेग आरेख/दक्षता और निष्पादन। प्रवाह पर यांत्रिक धंकों का प्रभाव, आइसेन ट्रापिक प्रवाह, नोजल से सामान्य प्रपात और प्रवाह बहुचरणीय संपीडन सहित गैस टरबाइन चक्र, पुनस्तापन, पुनरुत्पादन।
5. ऊष्मा अंतरण, प्रशीतन और वातानुकूलन चालन, संवहन और विकिरण ऊष्मा/विनिमियक प्रक्रम। संमिश्रित ऊष्मा अंतरण। संपूर्ण ऊष्मा अंतरण गुणांक प्रशीतन और ऊष्मा पंप चक्र। प्रशीतन प्रणाली। निष्पादन के गुणांक—साइक्रोमीट्रिक और साइक्रोमीट्रिक चार्ट कम्फर्ट सूचक, प्रशीतन और निराद्रीकरण विधि। औद्योगिक वातानुकूलन प्रक्रिया। शीतलन और तापन भार गणना।
6. तरलों के वर्गीकरण और गुणधर्म, तरल स्थैतिकी शुद्ध गतिकीय और गतिकी; सिद्धांत और प्रयोग। वायुमंडलमापीय और उत्प्लावन। आदर्श तरलों का प्रवाह। स्तरीय तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह। परिसीमा स्तर सिद्धांत। निमज्जित वस्तुओं पर प्रवाह। पाइपों और खुली नालियों में प्रवाह, विमीय विश्लेषण तथा सादृश्य तकनीक अविमीय विशिष्ट गति तथा सामान्यतः तरल मशीनों का वर्गीकरण ऊर्जा हस्तांतरण संबंध। पंपों और आवेगों तथा प्रतिक्रिया बल टरबाइन का निष्पादन और संचालन। द्रवगति विद्युत संचारण।

प्रश्न-पत्र II

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए कोड सं० 22 और परम्परागत प्रश्न पत्र के लिए कोड सं० 24

7. मशीनों का सिद्धांत (1) गतिमान पिंड (2) मशीनों के वेग और त्वरण क्लायम का निर्माण, मशीनों में जड़त्व बल कैम्स, गीयर और गियरन गतिपालक चक्र और नियामक पिंडों का घूर्णी एवं प्रत्यागामी-संतुलन स्वतंत्र और प्रणोदित कम्पमान की प्रणाली शैफ्ट की क्रांतिक गति और घूमती।
8. मशीन अभिकल्पन—पेंच बंधन और पावर स्क्रू का योग—कुंजियां कोटरस, युग्मन—वेल्ड संधि पारगमन युक्ति :—पट्टा और चेन चालित—तार रज्जु—क्लैच।
   धियरर—सर्पी और रोलिंग बेयरिंग।

9. पदार्थों की सबलता :

द्विनमीय प्रतिबल और विकृति मोहर से चक्र प्रत्यास्थियों के बीच संबंध।

किरणपुंज—बंकन आघूर्ण अपरूपक बल और विक्षेप शैफ्ट—सम्मिलित बंकन प्रबल और मरोड़ी प्रतिबल स्थूल—बेलन सिलिण्डर और दाब के अंतर्गत गोलक स्प्रिंग, आलम्बन स्तम्भ और कालम, विफलन का सिद्धांत।

10. इंजीनियरी पदार्थ :

मिश्र धातु और धातुमिश्रण ताप उपचिक्रिया; संयोजन गुणधर्म और प्रयोग प्लास्टिक और अन्य नए इंजीनियरी पदार्थ।

11. उत्पादन इंजीनियरी :

धातु मशीनीकरण :—कर्तन औजार, औजार धातु, घिसाई और मशीनीकरणीयता कर्तन शक्ति का माप प्रक्रियाएं—मशीनीकरण—प्रेषण, वेधन, गोबर, निर्माण धातु रूपांकन, धातु संचकन और सम्मिलन वेल्डिंग, विशेष प्रयोजन, कार्यक्रम और संख्यात्मक। नियंत्रित मशीनी औजार, जिग और अनुलग्नी (तत्वों का अवस्थापन)।

12. औद्योगिक इंजीनियरी :

कार्य अध्ययन और कार्य की माप मजदूरी प्रोत्साहन उत्पादन कीमत और उत्पादन प्रणाली का अभिकल्पन, संयंत्र विन्यास के सिद्धांत—उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, पदार्थ व्यवस्था, सक्रिय विज्ञान। रैखिक प्रोग्रामन् पंक्ति सिद्धांत इंजीनियरी कार्य विश्लेषण। सी० पी० एम० एवं पी० ई० आर० टी० संगणकों का उपयोग।

वैद्युत इंजीनियरी

(वस्तुपरक और परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न पत्र—I

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 41 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 43

1. वैद्युत परिपथ :

जाल प्रमेय, व्यापकीय जाल के सोपानों, रैम्प, आवेग और व्यापकीय निवेश की अनुक्रिया, आवृत्ति

क्षेत्र का विश्लेषण, द्विप्रद्वार जाल संश्लेषण का तत्व संकेत-प्रवाह ग्राफ।

2. ई० एम० सिद्धांत :

वैद्युत स्थैतिक, सदिश प्रणाली का प्रयोग करते हुए चालक स्थैतिक चुम्बकीय पदार्थों और चालक के अन्तर्गत परावैद्युत के क्षेत्र। समय परवर्ती क्षेत्र, मैक्सवल का समीकरण, चालन परावैद्युत मिडिया में समतल तरंग संचरण, संचरण लाईन का गुणधर्म।

3. पदार्थ विज्ञान। (वैद्युत—पदार्थ)

बद्ध सिद्धांत स्थितिज और वैकल्पिक क्षेत्रों का व्यवहार, दाब विद्युत। धातु की चालकता अति चालकता, पदार्थों का चुम्बकीय गुणधर्म। फेरो और फेरी—चुम्बकत्व अर्धचालकों में चालकता हाल प्रभाव।

4. वैद्युत मापन :

मापन के सिद्धांत, परिपथ पैरामीटर का सेतु मापने का माप यंत्र। बी० टी० बी० एम० तथा सी० आर० ओ० क्यू०—मीटर, स्पैक्ट्रम विश्लेषक। ट्रान्सड्यूसर्स तथा गैर-विद्युत मात्राओं का मापन, अंकीय मापन दूरमापन तथ्य अभिलेखन तथा प्रदर्श।

प्रश्न पत्र—II

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 42 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 44

5. अभिकलन के तत्व

अंकीय प्रणाली, एल्गोटिम विधियां, प्रवाह-सचित्रण भण्डार : प्रारूप विवरण, सारणी भण्डार अंक गणित निष्पीड़ित, तार्किक निष्पीड़न निर्विष्टीकरण विवरण, कार्यक्रम संरचना, वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी अनुप्रयोग।

6. वैद्युत उपकरण तथा प्रणालियां :

वैद्युत यांत्रिकी : वैद्युत यांत्रिकीय ऊर्जा रूपान्तरण सिद्धांत। डी० सी०, तुल्यकालिक तथा प्रेरण मशीनों का विश्लेषण। भिन्न क्रम से अश्व-शक्ति मोटर। नियन्त्रण प्रणालियों में मशीनें ट्रांसफार्मर्स। चुम्बकीय परिपथ तथा परिचालनों के लिए मोटरों का चयन।

विद्युत प्रणाली—विद्युत उत्पादन : तापीय, जलीय चालक, विद्युत प्रणाली रक्षण। आर्थिक परिचालन, लोड आवृत्ति—नियंत्रण, स्थापित्व विश्लेषण।

7. नियंत्रण प्रणालियां :

विद्युत—पाश तथा स्वत पाश प्रणालियां, अनुक्रिया विश्लेषण, मूल केन्द्र प्रविधि, स्थायित्व, प्रतिपूरण तथा अभिकल्पन प्रविधियां। स्थिति-परिवर्ती उपगमन।

8. इलैक्ट्रानिक तथा संचार

इलैक्ट्रानिकी :—घनावस्था युक्तियां तथा परिपथ तथा सिगनल प्रवर्धक अभिकल्प, पुनर्भरण प्रवर्धक दोलक तथा संक्रियात्मक प्रवर्धक एफ० ई० टी० परिपथ तथा रैखिक आई० सी०। स्विचन परिपथ बूलीय बीजगणित, तर्क परिपथ, सांयोगिक तथा अनुक्रमिक अंकीय परिपथ।

संचार :—सिगनल विश्लेषण, सिगनलों का प्रेषण। माडुलन तथा विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियों का समचयन। संचार प्रणालियों का निष्पादन।

इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथ्य परम्परागत दोनों प्रकार के प्रश्नों-पत्रों के लिए)

प्रश्नपत्र I

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं०

परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 63

पदार्थ

1. सामग्री, घटक तथा युक्तियां :

वैद्युत इंजीनियरी सामग्रियों की संरचना तथा गुण-धर्म निष्क्रिय घटक—प्रकार तथा गुणधर्म। सक्रिय घटक—प्रकार तथा गुणधर्म। घनावस्था युक्तियां भौतिक, लक्षण तथा नमूने।

2. जाल सिद्धांत

जाल प्रमेय। विद्युत परिपथों की स्थिर अवस्था तथा क्षणिक अनुक्रिया। परिपथ जल विश्लेषण। प्रारम्भिक परिपथ जाल संश्लेषण।

3. विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत :

क्षेत्रगतिसिद्धांत। संचरण लाइन सिद्धांत। ऐंटेना सिद्धांत परिबद्ध तथा अपरिबद्ध मीडिया में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परावर्तन।

4. मापन तथा यंत्रीकरण :

वद्युत मात्राओं का आधारभूत माप। यंत्रों का मापन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का सिद्धांत। ट्रान्सड्यूसर्स।

विद्युत मात्राओं का माप।

प्रश्न पत्र—2

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं० 62 और परम्परागत प्रश्न पत्र के लिए कोड सं० 64

1. रैखिक तथा अरैखिक अनुरूप परिपथ :

मूल रैखिक इलैक्ट्रानिक परिपथ। स्पंद—स्पण परिपथ। तरंग आकार जनित्र। स्थायीकारक।

2. अंकीय परिपथ :

तर्क परिपथ तथा गेट। संगणन परिपथ। सांयोजिक तथा अनुक्रमिक परिपथ।

3. नियंत्रण प्रणालियां :

पुनर्भरण सिद्धांत। नियंत्रण प्रणाली घटक। नियंत्रण प्रणालियों की अनुक्रिया। व्यवहारिक प्रणाली का अभिकल्पन।

4. संचार प्रणालियां :

मूल सूचना सिद्धांत। माडुलन तथा संसूचन प्रक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियां। रेडियो तथा लाइन संचार। दूरदर्शन तथा रेडार। संचार सहाय, अनुगामी संचार सिद्धांत।

5. सूक्ष्म-तरंग इंजीनियरी :

सूक्ष्म-तरंग स्रोत। सूक्ष्म-तरंग घटक तथा जाल मापन तथा सूक्ष्म-तरंग आवृत्तियां। सूक्ष्म-तरंग संचार प्रणालियां।

परिशिष्ट—2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्जामिनर्स) को मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

2. किन्तु यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेरों में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) किन्तु कुछ सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित है, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

सेवा का नाम	कद	छाती का घेरा (पूरा फुलाकर)	फैलाव
रेल इंजीनियरी सेवा (सिविल, वैद्युत यांत्रिक और सिग्नल) और के० लो० नि० वि० में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' तथा केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा			

ग्रुप 'क'

(क) पुरुष उम्मीदवारों 152 सें० मी० 84 सें० मी० 5 सें० मी० के लिए

(ख) महिला उम्मीदवारों 150 सें० मी० 79 सें० मी० 5 सें० मी० के लिए

अनुसूचित जनजातियों तथा उन जातियों जैसे गोरखों, गढ़वालियों, असमियों, नागालैंड के आदिवासियों आदि जिनका औसत कद स्पष्टतः ही कम होता है, के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जा सकती है।

(ग) सेना इंजीनियरी सेवाओं, ग्रुप 'क' भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप 'क' (तथा कर्मशाला अधिकारी ग्रुप क और ग्रुप ख) के लिए छाती की नाप में कम से कम 5 सें० मी० के फैलाव की गुंजाइश रखनी होगी।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा।

वह अपने जूते उतार देगा और माप दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगुठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे माप दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेबल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा :—

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके हाथ जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहें। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84–89, 86–93.5 आदि। माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम भिन्न (फैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान :—अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापी जानी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम भिन्न (फैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य—किसी रोग या असामान्यता का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्ट्रेक्चर्स) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिये अयोग्य बना सकता हो, तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि-तीक्ष्णता (विजुअल एक्युटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (मेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

सेवायें	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
1	2	3	4	5
क. तकनीकी				
1. रेल इंजीनियरी सेवाएं (सिविल बैद्युत यांत्रिक और सिग्नल) ।				
2. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क केन्द्रीय विद्युत् तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप क भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप क तथा तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा बैद्युत) ग्रुप क (भारतीय दूरसंचार इंजीनियरी स्कंध) सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत्) ग्रुप ख (डाक तार सिविल इंजीनियरी स्कंध) आई० डब्ल्यू० पी० एण्ड सी० स्कंध, अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय में इंजीनियर का पद/ओ० सी० एस० में डिपुटी इंजीनियर इंचार्ज, ग्रुप क, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा, नागर विमानन विभाग में तकनीकी अधिकारी ग्रुप क, नागर विमानन विभाग में संचार अधिकारी, ग्रुप क भारतीय नौसेना, आयुध सेवा में, भारतीय आयुधशाला सेवा, ग्रुप क, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, ग्रुप 'क' सहायक इंजीनियर ग्रुप 'ख' आकाशवाणी का सिविल निर्माण स्कंध ओ० सी० एस० में सहायक इंजीनियर ग्रुप ख और ओ० सी० एस० में तकनीकी सहायक (ग्रुप ख—अराजपत्रित) । और सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद, तकनीकी विकास महानिदेशालय	6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे I	जे II
3. सेना इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, तथा सहायक प्रबंधक (कारखाना) ग्रुप क, डाकतार संचार कारखाना, संगठन कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' ग्रुप 'ख'	6/6 6/9	6/12 6/9	जे I	जे II
ख. गैर—तकनीकी				
4. भारतीय रेल भंडार सेवा भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण में यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ), ग्रुप 'क'	6/9	6/12	जे I	जे II

टिप्पणी (1) :

(क) उपर्युक्त क पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में मियोपिया (सिलैण्डर सहित) का कुल परिमाण—4.00 डी० से अधिक नहीं होगा । हाइपरमेट्रोपिया (सिलैण्डर सहित) का कुल परिमाण + 4.00 डी० से अधिक नहीं होगा ।

किन्तु शर्त यह है कि "तकनीकी" परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) के अधीन सेवाओं के अलावा अन्य) के रूप में वर्गीकृत सेवाओं का उम्मीदवार यदि हाई मियोपिया के कारण अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन नेत्र विज्ञानियों के विशेष बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि यह मियोपिया रोगात्मक है कि नहीं । यदि यह रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह अन्यथा दृष्टि सम्बन्धित अपेक्षाएं पूरी कर दें ।

(ख) मियोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में जांच करानी चाहिए और उसके नतीजे को रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि उम्मीदवार को कोई रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने और उससे उम्मीदवार की कार्य कुशलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए ।

टिप्पणी (2) :

तकनीकी विकास महानिदेशालय में भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप के और सहायक विकास अधिकारी इंजीनियरी के अलावा उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में वर्ण दर्शन की जांच अनिवार्य होगी ।

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है वर्ण-अवगम उच्चतर तथा निम्नतर ग्रेडों में होना चाहिए जो लैण्टर्न में वृत्तारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो :—

ग्रेड	वर्ण अवगम का उच्चतर ग्रेड	वर्ण अवगम का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16'	16'
2. डाक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सेकेन्ड	5 सेकेन्ड

रेल इंजीनियरिंग सेवा (सिविल बैद्युत सिग्नल और यांत्रिक) और जन सुरक्षा से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए ऊंचे ग्रेड के वर्ण दर्शन की जरूरत है किन्तु अन्यथा नीचे ग्रेड के वर्ण दर्शन को पर्याप्त माना जाना चाहिए :

सेवाओं/पदों के वर्ण जिनके लिए उच्च या निम्न ग्रेड का वर्ण-दर्शन अपेक्षित है नीचे दिए जा रहे हैं :—

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्च ग्रेड का वर्ण-दर्शन अपेक्षित है :—

(1) रेल इंजीनियरी सेवा

(2) सैन्य इंजीनियरी सेवा

(3) सड़क केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)

(4) केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा

(5) संचार अधिकारी ग्रुप 'क' नागर विमानन विभाग

(6) तकनीकी अधिकारी ग्रुप 'क' नागर विमानन विभाग

(7) सहायक कारखाना प्रबन्धक (कारखाना) (डाक-तार) दूर संचार कारखाना संगठन

(8) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(9) कर्मशाला अधिकारीय ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख'

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए निम्न ग्रुप का वर्ण दर्शन अपेक्षित है:—

(1) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा

(2) केन्द्रीय वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा

(3) भारतीय नौ सेना आयुद्ध सेवा का ग्रेड

(4) भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा

(5) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा

(6) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल तथा वैद्युत) ग्रुप 'क', (डाक-तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध) क्लास 1 डाक-तार ।

(7) भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा का कनिष्ठ वेतन-मान ।

(8) इंजीनियर ग्रुप 'क' बेतार आयोजन और समन्वय स्कन्ध अनु-श्रवण संगठन ।

(9) उप प्रभारी इंजीनियर ग्रुप 'क' समुद्र पार संचार सेवा ।

(10) सहायक इंजीनियर (सिविल, वैद्युत) ग्रुप 'ख' आकाश-वाणी का सिविल निर्माण स्कन्ध ।

(11) सहायक इंजीनियर (सिविल और वैद्युत) ग्रुप 'ख' (डाक-तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध) ।

(12) सहायक इंजीनियर ग्रुप 'ख' समुद्रपार संचार सेवा

(13) तकनीकी सहायक ग्रुप 'ख' (अराजपत्रित), समुद्र पार संचार सेवा ।

लाल, हरे और सफेद रंग के संकेत को आसानी से और हिच-किचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक वर्ण दर्शन है । वर्ण दर्शन की परीक्षा के लिए इशिहारा की प्लेटों तथा एडरिजमीन को लैंटर्न-दोनों का प्रयोग किया जाएगा ।

टिप्पणी (3)—दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखम विधि द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (4)—रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी या अन्धेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैन्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिएं जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना । उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (5)—केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा हेतु उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझे जाने पर वर्ण दर्शन और रतौंधी सम्बन्धी परीक्षण पास करना होगा ।

टिप्पणी (6)—दृष्टि की तीक्ष्णता से निम्न आंख की दशाएं (आकयूलर कन्डीशन) ।

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए ।

(ख) भैंगापन—ऊपर 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं हेतु जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जाएगा । दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित सतर की ही क्यों न हो । यदि दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित मानक के अनुसार हो तो अन्य सेवाओं हेतु भैंगापन अयोग्यता नहीं माना जाएगा ।

(ग) यदि कोई एक आंख वाला व्यक्ति है या उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य है तथा दूसरी आंख की दृष्टि कमजोर है या उसकी दृष्टि उप-सामान्य है तो इसका सहज प्रभाव यह होता है कि गहनता अवगम के लिए उसके पास लिविम दृष्टि की कमी है । कई सिविल पदों के लिए ऐसी दृष्टि जरूरी नहीं है । चिकित्सा बोर्ड ऐसे व्यक्तियों की स्वस्थ होने की अनुशंसा कर सकता है बशर्ते कि उसी सामान्य आंख :—

(1) को चश्मा लगाकर या चश्मे के बिना दूर दृष्टि 6/6 और निकट दृष्टि जे I बशर्ते कि किसी मेरीडियन में दूर दृष्टि सम्बन्धी दोष 4 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो ।

(2) का दृष्टि-क्षेत्र पूर्ण हो ।

(3) आवश्यकतानुसार सामान्य वर्ण दर्शन ।

किन्तु बोर्ड सन्तुष्ट हो कि उम्मीदवार सम्बन्धित कार्य विशेष सम्बन्धित सभी कार्रवाई कर सकता है ।

"तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत पदों/सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए दृष्टि की तीक्ष्णता का शिथिल किया हुआ उपर्युक्त मानक लागू नहीं होगा ।

टिप्पणी (7)—कान्टेक्ट लेंस—चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टेक्ट लेंस प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

टिप्पणी (8)—यह आवश्यक है कि आंखों का परीक्षण करते समय दूर की दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कन्डिल की प्रदीप्ति जैसी हो ।

टिप्पणी (9)—सरकार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में विशेष कारण-वश किसी भी शर्त में छूट दे सकती है ।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रैशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल मेक्जीम सिस्टलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष की ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य विनियम बिलकुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

विशेष ध्यान : सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० से ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिका प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेन्ट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कार्यिक (आर्गेनिक) बीमारी है । ऐसे भी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलक्ट्रोकार्डियाग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेन्स) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :

नियमित पारे वाले दाबमापों (मरकरी मैनीमीटर) किस्म का उप-करण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म का व्यायाम या घबराहट के बाद पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए ।

रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हों। बांह थोड़ी बहुत हारिजैन्टल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कन्धे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथ-स्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है। और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं तो डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारक होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती है तथा निम्नस्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है। इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के के स्टैंर्ड अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मधुमेही (नान डायबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिकल के किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला सुविधाएँ हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेण्डर्ड ब्लड शूगर टालरेन्स टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएँ जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाना चाहिए:—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबन्ध भारतीय रेल भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरी सेवा, भारतीय दूर संचार सेवा, ग्रुप 'क', केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप क और सीमा सड़क इंजीनियरी की सेवा ग्रुप 'क' पर लागू नहीं है। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है:—

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि हायर फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर-तकनीकी कार्यों के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें, श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य।
(3)	सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मैम्बरेन का छिद्र	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन का छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा से स्थिति सुधरने पर दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिग छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप में अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर (दोनों ओर) से मस्टायड केविटी के सब-नार्मल श्रवण।	(i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड केविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान में सब-नार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (ii) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य। किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगा कर अथवा बिना लगा सुधार कर 30 डेसिबल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य

1	2	3
(6)	नास पट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले के परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
		(ii) लक्षणों सहित नासापट्ट विचलन विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(7)	टॉसिल्स और/या कण्ठ की जीर्ण प्रवाहक दशाएं	(i) टॉसिल और/या कण्ठ की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य।
		(ii) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।
(8)	कान, नाक-गले (ई०एन० टी०) के हुफके अथवा अपने स्थान पर मेलिगनेंट ट्यूमर	(i) हल्का ट्यूमर—अस्थाई रूप से अयोग्य।
		(ii) मेलिगनेन्ट ट्यूमर—अयोग्य आपरेशन के बाद या श्रवण यन्त्र की सहायता से श्रवणता 30 डेसीबल के अन्दर होने पर योग्य।
(9)	म्यूटोसाइकिलरीसिस	
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(i) यदि काम काज में बाधक न हों—योग्य।
		(ii) यदि भारी मात्रा में हकलाहट हो—अयोग्य।
(11)	नेजलपीली	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) वह बिना रुकावट बोल लेता /लेती है।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं/या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है और छाती काफी फैलती है या उसका दिल या फेफड़े ठीक है।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं

(छ) उसे हाइड्रोसिल, स्फीत शिरा या बवासीर तो नहीं है।

(ज) उसके अंगों हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं।

(झ) उसके कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी नहीं है।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं है।

(ट) उसके किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान नहीं है जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) उसके शरीर पर टीके के निशान है।

(ण) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबिल) रोग नहीं है।

11. छिल और फेफड़ों की किसी ऐसी असामान्यता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात नहीं सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में सन्देह की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष सरकारी नौकरी करने के लिए उम्मीदवार के योग्य स्वास्थ्यता या अयोग्यता का निर्णय करने के लिए अस्पताल के किसी उपयुक्त विशेष की सलाह ले सकते हैं जैसे यदि कोई उम्मीदवार किसी मानसिक रोग या विकास से पीड़ित है, तो बोर्ड के अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकास विज्ञानी/मनोविज्ञानी आदि की सलाह ले सकते हैं।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा ड्यूटी केअपेक्षित दक्षतापूर्वक निष्पादन में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. उन उम्मीदवारों को जो मेडिकल बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा निर्धारित रीति से 50/- रू० का अपील शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क उन उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हें अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाएगा जबकि अन्य मामलों में यह शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवार, यदि चाहे तो अपनी स्वस्थता के दावे के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र लगा सकते हैं उम्मीदवार को पहले मेडिकल बोर्ड के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत कर देनी चाहिए अन्यथा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड की अवस्था उम्मीदवार के खर्च पर की जाएगी। अपीलीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही तभी की जाएगी जब निर्धारित शुल्क के साथ निश्चित समय के भीतर सभी अपीलें प्राप्त होगी।

13. अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस के लिए अपनाये जाने वाली स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल यदि कोई हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्यता प्राप्त नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं हो जाती कि उसे ऐसी कोई बीमारी रचना संबंधी दोष या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो गया हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि स्वस्थता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उस में कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक माना गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप म सहयोजित किया जाएगा।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते है। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे म उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जबकि वह खराबी दूर हो जाये तो सम्बद्ध प्राधिकारी एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

पुनः चिकित्सा परीक्षा को प्रथम चिकित्सा परीक्षा का भाग माना जाएगा और उम्मीदवार यदि ऐसा चाहें, तो निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित विवरण देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :—

1. अपना पूरा नाम लिखें

(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान लिखें

2. (क) क्या आप ऐसी जाति से जैसे गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड, आदिवासी आदि में से किसी से संबंधित है जिनका औसत कद स्पष्टतः दूसरों से कम होता है । 'हां' या 'नहीं' उत्तर दीजिए । उत्तर हां में हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैंडस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रिह्युमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसके मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का टीका पिछली बार कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहिन जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" में हो तो बताइये किस सेवा/ किन सेवाओं/पद (पदों) के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

. . . .

10. मेडिकल बोर्ड कब तक और कहां था ?

. . . .

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ?

. . . .

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . .

मेरे सामने हस्ताक्षर किए . . . .

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर . . . .

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य नियुक्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या आनुतोषिक (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) . . . . (उम्मीदवार का नाम)
की शारीरिक परीक्षा से सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास :— . . साधारण
कम . . . . . .
पोषण : पतला . . . औसत . मोटा
कद (जूते उतार कर) . . वजन . .
सर्वोत्तम वजन . . . . कब था
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन
तापमान . . . .
छाती का घेर . . . .
(1) पूरा सांस खींचने पर . . .
(2) पूरा सांस निकालने पर————————————
2. त्वचा—————— कोई प्रत्यक्ष बीमारी————
3. नेत्र ————————————
(1) कोई बीमारी————————————

(2) रतौंधी—————————

(3) वर्ण दर्शन संबंधी दोष—————————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—————————

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी)—————————

(6) फंडस की जांच—————————

दृष्टि की तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे के साथ	चश्मे की प्रबलता स्फी०	सिलि०	एक्सस०
दूर की नजर	दा० ने०					
	बा० ने०					
पास की नजर	दा० ने०					
	बा० ने०					
हाइपरमेट्रोपिया	दा० ने०					
	बा० ने०					

4. कान निरीक्षण—————————सुनना
दायां कान—————————बायां कान—————

5. ग्रंथियां—————————थाइराइड—————

6. दांतों की हालत—————————

7. श्वसन तंत्र (रेसपिरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमान्यता का पता चला है।
यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें—————————

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्यूलेटरी सिस्टम)—————————

(क) हृदय : कोई आंगिक विक्षत (आर्गेनिक लीजन)—————
(वेग) (रेट)—————————
खड़े होने पर—————————
25 बार फुदकने के बाद—————————
फुदकने के 2 मिनट बाद—————————

(ख) ब्लड प्रेशर—————————सिस्टालिक—————
डायस्टालिक—————————

9. उदर (पेट) :—घेर————————— स्पर्शसह्यता
(टेण्डरनेस)—————————
हर्निया—————————

(क) स्पर्श्य यकृत—————————
तिल्ली—————————
ट्यूमर—————————

(ख) रक्तार्श—————————
भगन्दर—————————

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत

11. चलन तंत्र (लाकोमोटर सिस्टम), कोई असामान्यता . . .
. . . .
. . . .

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरीनरी सिस्टम) : हाइड्रोसील वरिकासील आदि का कोई संकेत। मूत्र विश्लेषण :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है
(ख) विशिष्ट गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)
(ग) ऐल्बूमेन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्ट
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा से सम्बद्ध जिसका वह उम्मीदवार है, ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है।

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और वह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो, उसे विनियम 9 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. उम्मीदवार परीक्षा कर लिये जाने के बाद किन सेवाओं से सम्बद्ध ड्यूटी के दक्षतापूर्वक, तथा लगातार निष्पादन के लिये सब प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए अयोग्य पाया गया है ? क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है ?

नोट— बोर्ड को अपना निष्कर्ष निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी में रिकार्ड करना चाहिए।

(1) योग्य (फिट). . . . .
(2) . . . . .के कारण अयोग्य (अन-फिट)।
(3) . . . . .के कारण अयोग्य (अन-फिट)।

स्थान. . . . .
तारीख. . . . .
अध्यक्ष. . . . .
सदस्य . . . .

परिशिष्ट-III

उन सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जा रही है।

1. भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर सेवा भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा।

(क) परिवीक्षा :—इन सेवाओं के लिये भर्ती किये गये उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसमें उन्हें दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा तथा किसी कार्यकारी पद पर न्यूनतम एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहना होगा। यदि उक्त प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण किसी स्थिति में प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना पड़े तो तदनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। परिवीक्षा की अवधि के दौरान भी यदि कार्यकारी पद पर काम सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो सरकार द्वारा परिवीक्षा की कुल अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) प्रशिक्षण :—समस्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा/पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये प्रशिक्षण लेना होगा। उन्हें इस अवधि के लिए उक्त प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ग) नियुक्ति की समाप्ति :—

(1) परिवीक्षा की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर से तीन महीने का लिखित नोटिस देकर परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी और सेवा से हटाने के तथा मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में ऐसा नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा किन्तु सरकार को तत्काल सेवायें समाप्त करने का अधिकार है।

(2) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक है या उसके कार्य कुशल बनने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(3) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिन्दी में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

(घ) स्थायीकरण :—परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने तथा सभी निर्धारित विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप तथा नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से योग्य समझे जाने पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उक्त सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी कर दिया जाएगा।

(ङ) वेतनमान :—

(1) कनिष्ठ वेतनमान—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300

(2) वरिष्ठ वेतनमान—रु० 1100 (5वां वर्ष या इससे कम)-50-1600

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1500-60-1800-100-2000

(4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-सतर 2—रु० 2250-125/2-2500

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-स्तर 1—रु० 2500-125/2-2750

इसके अतिरिक्त रु० 2500 तथा रु० 3500 के वेतन के बीच के सुपरटाइम वेतनमान वाले पद भी जिनके लिए उपयुक्त सेवाओं के अधिकारी पात्र हैं।

परिवीक्षाधीन अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम वेतन से प्रारम्भ करेगा तथा उसे समय वेतनमान में अग्रिम वेतन तथा वेतन वृद्धियों के लिये परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को गिनने की अनुमति होगी।

महंगाई तथा अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय तथा अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने पर वेतन वृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है।

(च) प्रशिक्षण व्यय लौटाना :—यदि किसी ऐसे कारणवश जो सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परिवीक्षा की अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और अन्य धनराशियों को वापस करना होगा। किन्तु जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण के व्यय को वापस नहीं करना पड़ेगा।

(छ) छुट्टी :—उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र हैं।

(ज) चिकित्सा सुविधा :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधा एवं उपचार कराने के पात्र होंगे।

(झ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा विशेषाधिकार टिकटों के पात्र होंगे।

(ञ) भविष्य निधि तथा पेंशन :—उक्त सेवा के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमावली द्वारा शासित होंगे और समय-समय पर लागू उस निधि के नियमों के अंतर्गत राज्य रेलवे भविष्य निधि (गैर-अंशदायी) में अंशदान करेंगे।

(ट) उक्त सेवाओं/पदों के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना पर कार्य करना पड़ सकता है।

(ठ) रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व :—यदि आवश्यकता हुई तो नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा :

किन्तु उस व्यक्ति को—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

2. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क
और
केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप क

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा संतोषजनक रूप में पूरी कर लेने पर यदि स्थायी पद उपलब्ध हुए तो उनके स्थायी करने या कार्य करते रहने पर विचार किया जाएगा। परिवीक्षा को दो वर्ष की अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की कोई बढ़ी हुई अवधि समाप्त हो जाने पर यदि सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियोजन/सरकारी के उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की इस अवधि या परिवीक्षा की बढ़ी हुई अवधि के दौरान किसी समय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति सरकारी के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है।

(ख) जैसा कि इस समय स्थिति है, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क में नियुक्त सभी अधिकारी, सहायक कार्यपालक इंजीनियरी के उच्चतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अगले ऊंचे ग्रेड अर्थात कार्यपालक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति में पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और वे ऐसी पदोन्नति के अन्यथा योग्य पाए जाएं।

(ग) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(घ) वेतन की प्राप्त दरें निम्न प्रकार हैं :—

कनिष्ठ वेतनमान—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

वरिष्ठ वेतनमान—रु० 1100 (छठा वर्ष या कम)-50-1600 प्रशासनिक (चयन) पद ।

अधीक्षक इंजीनियर—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

मुख्य इंजीनियर—रु० (i) 2250-125/2-2500 ।
(ii) रु० 2500-125/2-2750 ।

इंजीनियर-इन-चीफ—रु० 3000-100-3500 (केन्द्रीय इंजीनियर सेवा ग्रुप 'क' के लिए) ।

नोट:—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अथवा किसी स्थायी पद पर मूल रूप में कार्य कर चुका हो उसका वेतन एफ० आर० 22(बी) (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ङ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क) और केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क) के पदों से संबंधित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्वरूप ।

1. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार की सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार के) जिसमें आवासीय भवन, कार्यालय भवन, संस्था तथा अनुसंधान केन्द्र, औद्योगिक भवन, अस्पताल की भूमि की विकास योजना, हवाई अड्डे महामार्ग तथा पुल आदि सम्मिलित हैं, आयोजन, अभिकल्पन निर्माण और रख-रखाव के कार्य पर लगाये जाते हैं । इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में शुरू करते हैं और अपनी सेवा करते-करते वे पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं ।

2. केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप क

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार के सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के विद्युत घटकों के जिसमें विद्युत संस्थापन, इलेक्ट्रीकल सब-स्टेशन तथा पावर हाउस, वातानुकूल तथा प्रशीतन, हवाई अड्डों की रनवे लाइटिंग, यांत्रिक कर्मशालाओं का परिचालन, निर्माण मशीनरी की प्राप्ति तथा रख-रखाव आदि सम्मिलित हैं, आयोजन, अभिकल्प, निर्माण और रख-रखाव के कार्य पर लगाए जाते हैं । इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियरी के रूप में शुरू करते हैं और अपनी सेवा करते-करते वे पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं ।

3. सेना इंजीनियर सेवा ग्रुप क

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित विभाग तथा भाषा संबंधी परीक्षण उत्तीर्ण करने पड़ सकते हैं । यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण असंतोषजनक है, या ऐसा आभास होता है कि उसकी कुशलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है अथवा यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी उक्त अवधि के दौरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार उसे नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य तथा आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि इतनी बढ़ा सकती है जितनी वह ठीक समझे ।

उम्मीदवारों को दो वर्षों की परिवीक्षा की अवधि के दौरान एम० ई० एम० प्रोसीजर सुपरिंटेंडेंट्स थी/आर० एण्ड ई/एम० ग्रेड- 1 एग्जामिनेशन तथा हिन्दी परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । हिन्दी परीक्षा का स्तर प्राज्ञ (मैट्रिकुलेशन स्तर के समकक्ष) का होगा ।

(ख) (1) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई है, सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा किन्तु उस व्यक्ति को (2) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और (3) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(4) उम्मीदवारों पर एम० आर० ओ० नं० 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अंतर्गत प्रकाशित 1957 के सिविलियन इन डिफेंस सर्विस (फील्ड लाइबिलिटी) रूल्स भी लागू होंगे । उनमें निर्धारित चिकित्सा स्तर के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

(ग) प्राप्त वेतन की दरें निम्नलिखित हैं :—

सहायक कार्यकारी इंजीनियर सहायक निर्माण सर्वेक्षक	रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300
कार्यकारी इंजीनियर निर्माण सर्वेक्षक	रु० 1100-(छठा वर्ष या उससे कम)-50-1600
अधीक्षक इंजीनियर (साधारण ग्रेड) अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (साधारण ग्रेड)	रु० 1500-60-1800-100-2000
अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड) अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (चयन ग्रेड)	रु० 2000-125/2-2250
उप-मुख्य इंजीनियर	रु० 1500-60-1800-100-2000 तथा साथ में प्रतिमास रु० 200.00 विशेष वेतन
मुख्य इंजीनियर (स्तर I) मुख्य निर्माण सर्वेक्षक (स्तर I)	रु० 2250-125/2-2500
मुख्य इंजीनियर (स्तर II) मुख्य निर्माण सर्वेक्षक (स्तर II)	रु० 2500-125/2-2750

4 भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप क

(क) चुने हुए उम्मीदवार तीन वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाएंगे । सरकार महानिदेशक, आयुध कारखाना/अध्यक्ष, आयुध कारखाना बोर्ड की सिफारिश पर परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकती है । परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सरकार द्वारा यथाविहित विभागीय तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा । भाषा के परीक्षण का हिन्दी में परीक्षण होगा ।

सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर अधिकारी की उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा । किन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी ठीक समझे और बढ़ा सकती है ।

(ख) (I) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी परीक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई है, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा। किन्तु उस व्यक्ति को (1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और (2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(II) उम्मीदवारों पर एस० आर० ओ० नं० 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 के सिविलियन इन डिफेंस सर्विस (फील्ड लाइबिलिटी) रूल्स भी लागू होंगे। उन में निर्धारित चिकित्सा स्तर के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(ग) वेतन प्राप्य दरें निम्न प्रकार है :—

कनिष्ठ समय वेतनमान रु० 700-40-900 द० रो०-40-1100-50-1300

वरिष्ठ समय वेतनमान रु० 1100 छठा वर्ष या कम-50-1600

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड सामान्य ग्रेड रु० 1500-60-1800-100-2000

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड चयन ग्रेड रु० 2000-125/2-2250

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर II रु० 2250-125/2-2500

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर I रु० 2500-125/2-2750

अतिरिक्त महानिदेशक, आयुध कारखाना/ सदस्य, आयुध कारखाना बोर्ड। रु० 3000 (नियत)

महानिदेशक आयुध कारखाना/अध्यक्ष आयुध कारखाना बोर्ड रु० 3500 (नियत

टिप्पणी :— जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अलावा किसी स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उसका वेतन रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित का शा० सं० 15 (6)/64/डी (एपाइन्टमेंटस) /1051/डी(सी 4-1), दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(घ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मसूरी/नागपुर में फाउन्डेशन कोर्स करना होगा।

(ङ) इस प्रकार भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा प्रारम्भ करने से पहले एक बंध-पत्र भरना होगा।

6. भारतीय दूर संचार ग्रुप क।

(क) दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण यदि असन्तोषजनक है या उससे यह आभास होता है कि उसके कुशलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल कार्यमुक्त कर सकती है। परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर सरकार, यदि स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हुई उस वक्त नियुक्ति पर स्थायी बना सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है या जितनी ठीक समझे उतनी अवधि के लिए उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान जो भी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं निर्धारित की जाएं, अधिकारियों को उत्तीर्ण करनी होंगी। उनको स्थायी किए जाने से पहले हिन्दी का परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) अधिकारियों को व्यवसाय तथा भाषा संबंधी परीक्षण भी उत्तीर्ण करने होंगे।

(ग) अधिकारियों को व्यवसाय तथा भाषा संबंधी परीक्षण नियुक्त किसी भी व्यक्ति का यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को:—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(घ) प्राप्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं:—

कनिष्ठ वेतनमान	रु० 700-40-900 द० रो०-1100-50-1300
वरिष्ठ वेतनमान	रु० 1100 (छठा वर्ष या कम) 50-1600
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रु० 1500-60-1800-100-2000
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(1) रु० 2250-125/2-2500
	(2) रु० 2500-125/2-2700

नोट:—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी (के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अलावा किसी स्थायी पद पर मूल रूप में कार्य कर चुका हो उसका वेतन एफ० आर० 22-बी(1) के उपबंध के अधीन विनियमित किया जाएगा।

भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप क के कनिष्ठ वेतनमान में यदि किसी अधिकारी का स्थानापन्न वेतन रु० 780/- या इससे अधिक है तो वह तब तक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं करेगा जब तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।

(ङ) भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप क के पदों से सम्बद्ध कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व।

सहायक डिवीजनल इंजीनियर टैलीग्राफ

सहायक डिवीजन, इंजीनियर टेलीग्राफ, टेलिग्राफ/टेलिफोन इंजीनियरी सब डिवीजन, कैरियर वी० एफ० टी०, कौक्सिअल, माईक्रोवेव, लौंग डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल तथा वायरलैस के इन्चार्ज होंगे और सामान्यतः डिवीजनल इंजीनियर के अधीन कार्य करेंगे। वे विभिन्न दूर संचार निर्माण के संस्थापन संरचना करने के लिए परियोजना संगठन में भी कार्य कर सकते हैं।

डिवीजनल इंजीनियर

डिवीजनल इंजीनियरों को टेलीग्राफ/टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजनें जिसमें लांग डिस्टेंस, कोएक्सिअल, माइक्रोवेव मेंटिनेंस डिवीजन तथा वायरलैस डिवीजन शामिल है, का प्रभारी बनाया जाता है। वे अपने प्रभार में रहने वाले टेलीग्राफों तथा टेलीफोनों के उपस्करों के रख-रखाव के पूरे जिम्मेदार होंगे तथा अपने डिवीजन में रह करके कार्य करें। जब डिवीजनल इंजीनियर परियोजना संगठन पर लगाये जाते हैं तो उन्हें यूनिट में निर्माण/संस्थापन कार्य करना होगा।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

दूर संचार सर्किल और टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में दूर संचार सम्बन्धी परिसम्पतियों के प्रशासन और दूर संचार संस्थाओं के प्रशासन तथा प्रायोजन के लिए, दूर संचार प्रणालियों आदि में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। वे माइनर टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट, दूर संचार सर्किल, आदि के लिए भी पूरी तरह जिम्मेवार है।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

दूर संचार सर्किल/टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट/प्रोजेक्ट सर्किल दूर संचार अनुरक्षण क्षेत्र का प्रधान, जो कार्यभार में उनका पूरी तरह से प्रबंध व प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार डाक तार बोर्ड में उप महानिदेशक, डाक तार बोर्ड की नीती निर्धारित करने तथा समग्र प्रशासन करने में उच्चस्तरीय सहायता प्रदान करता है। निदेश, दूर संचार अनुसंधान केन्द्र और अतिरिक्त निदेशक, दूर संचार अनुसंधान केन्द्र दूर संचार अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान संबंधी समग्र कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है।

6. केन्द्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप क) सेवा

(1) केन्द्रीय जल आयोग में सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियरों के पदों पर भर्ती हुए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।

किन्तु सरकार आवश्यक होने पर, दो वर्ष की उक्त अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है ।

यदि परिवीक्षा को उपर्युक्त अवधि या बढ़ी हुई अवधि जैसी भी स्थिति हो, समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थायी नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उसको उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से प्रशिक्षण तथा परीक्षण का ऐसा कोई कोर्स करने और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने को कह सकती है जिसे वह परिवीक्षा की सफल पूर्ति की एक शर्त के रूप में ठीक समझे ।

(2) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई हो, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत का रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा ; किन्तु उस व्यक्ति को--

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा;

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(3) सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद उप निदेशक/कार्यपालक इंजीनियर/अधीक्षण इंजीनियर/निदेशक (साधारण ग्रेड) निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर (चयन ग्रेड) मुख्य इंजीनियर (स्तर-II) मु० इ० (स्तर-I) में सदस्य/अध्यक्ष, सी० डब्ल्यु सी० के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं ।

(4) केन्द्रीय जल आयोग में इंजीनियरी पदों के ग्रुप 'क' के लिए वेतनमान निम्न प्रकार हैं :--

(केन्द्रीय जल आयोग में सिविल और यांत्रिक पद)

1 सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर	700-40-900 रु० रो०-40 1100-50-1300 ।
2 उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर	रु० 1100 (छठा वर्ष या कम) 50-1600 ।
3 अधीक्षण इंजीनियर/निदेशक (साधारण ग्रेड)	रु० 1500-60-1800-100-2000 ।
4 निदेशक चयन ग्रेड अधीक्षण इंजीनियर (चयन ग्रेड)	रु० 2000-125/2-2250
5. मुख्य इंजीनियर	(i) रु० 2250-125/2-2500 (स्तर-II) (ii) 2500-125/2-2750 (स्तर I)
6. सदस्य सी० डब्ल्यु० सी०/अध्यक्ष, सी० एफ० सी० सी०	रु० 3000 नियत
7. अध्यक्ष, सी० डब्ल्यु० सी०	रु० 3500 नियत

5. केन्द्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप क) सेवा में तथा से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप ।

सहायक निदेशक, (सिविल और यांत्रिक)

सिंचाई, नौपरिवहन, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और अन्य प्रयोजनों के निमित्त हेतु, जल संसाधनों के संरक्षण तथा विनियमन के लिए आकलन, रिपोर्ट आदि तैयार करने संबंधी परियोजनाओं की योजना सर्वेक्षण अन्वेषण तथा अभिकल्पना ।

सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल तथा यांत्रिक)

उनको आबंटित उपमंडल या अन्य एककों के निर्माण कार्य के लिए वे जिम्मेदार होंगे । उन्हें अपने प्रभार के अधीन रोकड़ तथा भंडारों का लेखा-जोखा रखना होगा तथा परोक्ष रूप से उपमण्डल में प्रत्येक कार्य की प्रगति के लिए मुख्य आनुषंगिक कार्यों को भी देखना होगा । विहित नियमों आदि के अनुसार वे अपने प्रभार के अधीन माप बहियों मस्टर रोल तथा अन्य अभिलेखों के सही रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप क) सेवा

(1) संगठन का विवरण

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण संगठित किया गया था और इसका दायित्व राष्ट्रीय विद्युत साधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में योजना अभिकरणों के कार्यकलापों के समन्वय करने के लिए एक सुदृढ़, पर्याप्त और एकरूप विद्युत नीति का विकास करना है । देश की सभी विद्युत योजनाओं (उत्पादन संरक्षण, वितरण और विद्युत आपूर्ति का उपयोग) की संभाव्यता तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक व्यवहार्यता आदि के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में संवीक्षा की जाती है कि ये योजनाएं राज्यों तथा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त होंगी और सब प्रकार से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के अनुरूप होंगी । इस संगठन का राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास और विद्युत को इसकी मुख्य गतिदायी शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान है ।

(2) उस ग्रेड का विवरण जिसके लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है ।

रु० 700-1300 के वेतनमान में सहायक निदेशक/सहायक प्राधिकारी इंजीनियर के ग्रेड में सारे प्रशिक्षण पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर ली गई सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाते है ।

केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप क) में सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे किन्तु जहां आवश्यक हो वहां सरकार उक्त दो वर्षों की अवधि के अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि उपर्युक्त परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि जैसी भी स्थिति हो, के समाप्त होने के बाद सरकार यह समझे कि कोई उम्मीदवार स्थाई नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा ऐसी परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त उम्मीदवार ऐसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद स्थाई नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसके स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा तथा अनुदेश का पालन करना होगा तथा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में निर्धारित की जाये ।

यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा; और

(ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(3) उच्चतर ग्रेडों के लिए पदोन्नति

सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर नियुक्त अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी (ग्रुप क) सेवा नियमावली, 1965 में निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद ऊंचे ग्रेडों अर्थात् उपनिदेशक/कार्यपालक इंजीनियर, निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर (साधारण ग्रेड), निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर (चयन ग्रेड), उपमुख्य इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और मुख्य इंजीनियर (स्तर 1) के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं बशर्ते कि सम्बद्ध ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध हों।

(4) वर्तमान

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर (ग्रुप क) सेवा के पदों पर वेतनमान निम्नलिखित है :—

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत तांत्रिक और दूर संचार से संबंद्ध पद

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान
1.	सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर	रु० 700-40-900-इ० रो०-40-1100-50-1300
2.	उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर	रु० 1100 (छठा वर्ष या कम) -50-1600
3.	निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर (साधारण ग्रेड)	रु० 1500-60-1800-100-2000
4.	निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर (चयन ग्रेड)	रु० 2000-125/2-2250
5.	उप मुख्य इंजीनियर	रु० 2000-125/2-2250
6.	मुख्य इंजीनियर (स्तर II)	रु० 2250-125/2-2500
7.	मुख्य इंजीनियर (स्तर I)	रु० 2500-125/2-2750

नोट —सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर ग्रेड से उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति होने पर वेतन नियतन के प्रयोजनार्थ इस सेवा के सदस्यों के लिए तृतीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर अपनाई गई समनुरूपणिक सारणियां लागू हैं।

(5) कर्तव्य और दायित्व

सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पदों पर सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों के स्वरूप इस प्रकार है :—

विद्युत विकास के क्षेत्रों को विविध प्रकार की समस्याओं से सम्बद्ध अपेक्षित तकनीकी तथ्यों का संग्रह, संकलन और परस्पर सम्बन्ध। उन्हें इनसे सम्बद्ध मामलों को भी निपटाना है जिसमें हाइड्रो तथा थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना संचालन अनुरक्षण तथा विद्युत योजनाओं, परियोजनाओं की अभिकल्पनाओं आदि के तैयार करने में सहायता देते हुए उनके संचरण तथा वितरण/विद्युत प्रणालियों की परियोजना रिपोर्टों का अध्ययन करना सम्मिलित है। क्षेत्र एककों में कार्य करते हुए वे उप मंडल या उनका आवंटित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

8 डाक-तार दूर संचार कारखाना संगठन में सहायक प्रबन्धक कारखाना ग्रुप के पद

(1) वेतनमान रु० 700-1300 में सहायक प्रबन्धक (कारखाना) के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्राप्त करना होगा और व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(3) यदि आवश्यकता हुई तो सहायक प्रबन्धक (कारखाना) के पद से नियुक्त किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गयी अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा के सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा किन्तु उस व्यक्ति को :—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा; और

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(4) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर :—

(क) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुकने वाले सहायक प्रबन्धक रु० 1100-1600 के वेतनमान में वरिष्ठ इंजीनियर (वरिष्ठ समय वेतनमान) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ख) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुकने वाले वरिष्ठ इंजीनियर रु० 1500-1800 के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उपमहाप्रबन्धक/प्रबन्धक (कारखाना) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ग) अपने ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा कर चुकने वाले उपमहाप्रबन्धक/प्रबन्धक, रु० 2250-125/2-2500 के वेतनमान में महाप्रबन्धक, दूर संचार कारखाना (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—स्तर—II) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(5) उक्त पदों से सम्बद्ध कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप

सहायक प्रबन्धक :—दो अथवा उससे अधिक उत्पादों/अनुषंगी एककों का समग्र पर्यवेक्षण/दूर संचार कारखानों में विभिन्न व्यवसायों/संवर्गों के लिए नियुक्त/अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

वरिष्ठ इंजीनियर :—उत्पादन, आयोग, विकास, अनुरक्षण, औजार आदि से सम्बद्ध शाखा के प्रधान और दूर संचार कारखानों में विभिन्न व्यवसायों/संवर्गों में नियुक्त और अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

उप महाप्रबन्धक/प्रबन्धक :—सामान्य प्रशासन, उत्पादन अनुशासन, आयोग आदि से सम्बद्ध दैनिक कार्यों में महाप्रबन्धक की सहायता करना, कारखाना या उत्पादन एकक/स्कन्ध कार्य प्रभारी।

महाप्रबन्धक :—दूर संचार कारखाना के प्रधान/कारखाना के सामान्य प्रशासन, उत्पादन, आयोग, अनुशासन आदि के समग्र नियंत्रण हेतु उत्तरदायी।

9. इंजीनियर (ग्रुप क) वायरलैस, योजना और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय

(क) वेतनमान रु० 700-40-900-इ० रो०-40-1100-50-1300।

(ख) ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा करने के बाद इंजीनियर के पदधारी सहायक वायरलैस सलाहकार, वायरलैस योजना और समन्वय स्कन्ध। इंजीनियर प्रभारी अनुश्रवण संगठन (वेतनमान रु० 1100-50-1600 तथा सहायक वायरलैस सलाहकार के पद के लिए रु० 100 प्रतिमास विशेष वेतन) के ग्रेड में रिक्तियों के 100 प्रतिशत पदोन्नति के पात्र हैं। सहायक

वायरलैस सलाहकार/इंजीनियर प्रभारी के ग्रेड में उनकी पदोन्नति ग्रुप के पदों के लिए संगठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर उनके चयन के आधार पर की जाएगी ।

सहायक वायरलैस सलाहकार/इंजीनियर प्रभारी के ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक वायरलैस सलाहकार और इंजीनियर प्रभारी उप वायरलैस सलाहकार (वेतनमान रु० 1500-60-1800) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। उप वायरलैस सलाहकार के ग्रेड में रिक्तियां ग्रुप के पदों के लिए गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन करने के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जाती है ।

अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु तथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की है और संबद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी ।

(ग) इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

(घ) यदि आवश्यकता हुई तो इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बितायी गयी अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य न करना होगा; और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ङ) पदों से सम्बद्ध कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप

(1) डब्ल्यू० पी० सी० स्कन्ध/वायरलैस मानीटरन संगठन के विभिन्न एककों के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा प्रशिक्षण ।

(2) सम्पूर्ण रेडियो आवृत्ति वर्णक्रम तथा विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन को आवृत्त करने वाली रेडियो आवृत्ति मानीटरन में प्रयुक्त इलैक्ट्रानिक उपकरण के विभिन्न वर्गों, एंटिना तथा सहायक उपकरणों का प्रतिष्ठापन, अंशशोधन, परीक्षण तथा अनुरक्षण ।

(3) भिन्न-भिन्न प्रकार की रेडियो संचार सेवाओं के लिए विभिन्न प्रयोक्ता विभागों/संगठनों के वायरलैस प्रतिष्ठानों का अनुज्ञापन एवं निरीक्षण ।

(4) रेडियो आवृत्ति वर्णक्रम तथा तुल्यकाली उपग्रह कक्षा के उपयोग के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय से सम्बद्ध सभी पहलू जिसमें नियतन योजना का निर्माण, संगत तकनीकी मानकों की स्थापना, उपस्कर का प्रकार-अनुमोदन वैद्युत चुम्बकीय व्यवधान/सुसंगति आदि का अध्ययन सम्मिलित हो ।

(5) संगत राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन सहित अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों का प्रवर्तन ।

(6) प्रवीणता/रेडियो अव्यवसायी प्रमाणपत्र आदि के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उनके लिए लाइसैंस जारी करना ।

(7) रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध तथा मानीटरन से संबद्ध अनुसंधान तथा विकास कार्य करना ।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ दूर संचार से सम्बन्धित अन्य यथोचित अन्तर्राष्ट्रीय /क्षेत्रीय संगठनों की बैठकों तथा सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रबन्ध करना ।

10 संचार मंत्रालय की समुद्रपार संचार सेवा में उप इंजीनियर प्रभारी (ग्रुप क), सहायक इंजीनियर (ग्रुप क—राजपत्रित) और तकनीकी सहायक (ग्रुप ख—राजपत्रित)

(क) तकनीकी सहायक/सहायक इंजीनियर/उप इंजीनियर प्रभारी के पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे और आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ायी जा सकती है ।

(ख) तकनीकी सहायक/ सहायक इंजीनियर/उप इंजीनियर प्रभारी के पद पर नियुक्त किए गए किसी भी अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना होगा ।

(ग) तकनीकी सहायक/सहायक इंजीनियर /उप इंजीनियर प्रभारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति की स्थिति में अधिकारी की सेवा उसके द्वारा निष्पादित बन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। किन्तु विभाग अस्थायी कर्मचारी को नोटिस के स्थान पर एक महीने का वेतन तथा भत्ते देकर उसकी सेवा समाप्त कर सकता है परन्तु अधिकारी को इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है ।

(घ) वेतनमान

(1) तकनीकी सहायक—रु० 550-25-750-द० रो०-30-900 ।

(2) सहायक इंजीनियर—रु० 650-30—740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(3) उप प्रभारी इंजीनियर—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50—1300 ।

(ङ) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर

(च) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर

(1) तकनीकी सहायक—सम्बद्ध ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखने वाले सभी तकनीकी सहायक विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों में योग्यता के आधार पर चयन द्वारा रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं ।

(2) सहायक इंजीनियर—इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक इंजीनियर विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत रिक्तियों में योग्यता के आधार पर चयन द्वारा रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के वेतनमान में उप प्रभारी इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं ।

(3) प्रभारी इंजीनियर—प्रभारी इंजीनियर के प्रभारी या सहायक इंजीनियर के ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखने वाले उप प्रभारी इंजीनियर के पद के पदधारी दो वर्ष परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर समुद्रपार संचार सेवा में प्रभारी इंजीनियर (वेतनमान रु० 1100-50-1600) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है ।

(4) प्रभारी इंजीनियर—प्रभारी इंजीनियर के ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखने वाले प्रभारी इंजीनियर के पद के पदधारी समुद्रपार संचार सेवा में निदेशक के पद (वेतनमान रु० 1300-50-1700) पर पदोन्नति के लिए पात्र है। निदेशक के ग्रेड में पदोन्नति पद के लिए गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन होने के आधार पर की जाएगी ।

(5) निदेशक—निदेशक के ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखने वाले निदेशक के पद के पदधारी समुद्र पार संचार सेवा में उप महानिदेशक के पद (वेतनमान रु० 1500-60-1800-100-2000) पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। उप महानिदेशक

ग्रेड में पदोन्नति पद के लिए गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन होने के आधार पर की जाएगी ।

(6) उप-महानिदेशक—उप-महानिदेशक के ग्रेड में कम से कम 7 वर्ष की सेवा सहित उप-महानिदेशक अथवा 23-5-85 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप-महानिदेशक और निदेशक सहित दोनों मिलाकर उनके ग्रेड में 10 वर्ष के पद का पदभारी समुद्रपार संचार सेवा में अतिरिक्त महानिदेशक (वेतनमान रु० 2250-125/2-2500) के पद पर पदोन्नति का पात्र है । अतिरिक्त महानिदेशक के ग्रेड में पदोन्नति उक्त पद के लिए यथागठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर होगी ।

(7) अतिरिक्त महानिदेशक—अतिरिक्त महानिदेशक के ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की सेवा सहित अतिरिक्त महानिदेशक के पद का पदधारी समुद्रपार संचार (2500-125/2-2750) के ग्रेड में पदोन्नति का पात्र है । महानिदेशक के ग्रेड में पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर होगी ।

अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथापूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी ।

(ख) यदि आवश्यकता हुई तो तकनीकी सहायक, सहायक इंजीनियर या उप-प्रभारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को —

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा; और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

नोट—सेवा की शेष शर्तें जैसे स्थानांतरण/दौरों पर अवकाश, यात्रा भत्ते, कार्यारम्भ समय/कार्यारम्भ समय वेतन, चिकित्सा सुविधायें, यात्रा रियायत, पेंशन और आनुतोषिक नियंत्रण तथा अनुशासन और आचरण आदि वही होंगी जो समान हैसियत के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो ।

(क) पद(पदों) से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप ।

1. उप-प्रभारी इंजीनियर—समुद्रपार संचार सेवा में उप-प्रभारी इंजीनियर के पद का पदधारी प्रभारी इंजीनियर के डिप्टी के रूप में कार्य करता है और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार उपस्कर के संचालन तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित सभी तकनीकी मामलों में प्रभारी इंजीनियर की सहायता करता है और स्टाफ, स्टाफ कालोनी, जल पूर्ति, विद्युत पूर्ति, इंजीनियरी और स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं के प्रबंध के लिए भी जिम्मेदार है ।

पदों के पदधारियों को न केवल तकनीकी कार्य का ही प्रवेक्षण करना है बल्कि बहुमूल्य दूर संचार उपस्करों के संस्थापन और रख-रखाव में भी अपने आपको लगाना है । समुद्रपार संचार सेवा का उपस्कर विशेषताओं का गहन उपयोग मुख्य रूप में उप-प्रभारी इंजीनियर की कार्य से सम्बद्ध समन्वय तथा निष्पादन करने की इस योग्यता पर निर्भर है जिसमें काम चल पाने की क्षमता तथा विश्वसनीयता मानकों को बनाये रखने का समावेश हो ।

2 सहायक इंजीनियर—पद का पदधारी सामान्यतः के लिए जिम्मेदार है । उसे तकनीकी मामलों पर विदेश एसोसिएटों द्वारा उठाई गई शंकाओं के बारे में स्तर पर निर्णय करना है और त्रुटियों को दूर करना है ।

पद पर्यवेक्षकीय तथा संचालनात्मक है । पद के पदधारी को अपनी पारी में तकनीकी सहायकों और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के स्तर के अधीनस्थों पर नियंत्रण रखना है । जब कुछ कर्मचारी शिफ्ट का प्रभारी है और उपस्करों के संचालन तथा अनुरक्षण प्रयुक्त अनुसंधान तत्व के विकास और अनुसंधान में लगे हों तो सभी सहायक इंजीनियरों को अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार मानकों की जानकारी होनी चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए ।

3. तकनीकी सहायक—पद के कर्त्तव्य और दायित्व विभिन्न कतारों, टेलीफोन और अन्य वायरलैस उपकरणों और उपस्करों के संचालन का समायोजन करना, विभिन्न प्रकार के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/रिसीवरों का अनुसरण और संस्थापन करना और उनमें हुई खराबी को देखना है । समुद्रपार टेलीफोन काल के दौरान जब दो ग्राहकों के बीच आवाज जा रही है या पदधारी को रेडियो टर्मिनल के पूरे परिपथ पर भी नियंत्रण रखना है ।

(II) भारतीय प्रमारण (इंजीनियर) सेवा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(क) उक्त सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा ।

(1) किन्तु शर्त यह है कि नियंत्रण प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है ।

(2) अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई निर्णय परिवीक्षा की पहली अवधि के समापन के बाद आठ सप्ताहों के अन्दर किया जाएगा और सम्बद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप में सम्प्रेषित कर दिया जाएगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर अधिकारी को स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में अपनी नियुक्ति पर नियमित आधार पर बनाए रखा जाएगा और उसको यथावधि उपलब्ध मूल रिक्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

(4) यदि परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि जैसी भी स्थिति हो के दौरान सरकार का यह मत हो कि कोई अधिकारी सरकार में स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है या उसी पद पर वापस भेज सकती है जो वह उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था, जैसी भी स्थिति हो, या और कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है ।

(5) परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को परिवीक्षा के सफल समापन की शर्त के रूप में सरकार द्वारा यथापेक्षित शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्य पूरे करने होंगे और परीक्षा तथा परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने होंगे ।

(ख) सेवा में नियुक्ति —उक्त सेवा के विभिन्न ग्रेडों के सभी पदों पर सभी नियुक्तियां—चाहे वे "आकाशवाणी" में हों या "दूरदर्शन" में हों—नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

(ग) भारत के किसी भाग में सेवा का दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें—(1) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारियों का भारत के किसी भाग में या बाहर सेवा करनी पड़ सकती है । (2) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है जिसमें प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित है किन्तु ऐसे अधिकारी को —

(क) ऐसी नियुक्ति की तारीख से या उक्त सेवा के प्रारम्भिक गठन से पहले कार्य ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

उक्त सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों में उन मामलों पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होंगे जिनके सम्बन्ध में इन नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है ।

आहू वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :—

(i) कनिष्ठ वेतनमान	रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300
(ii) वरिष्ठ वेतनमान	रु० 1100 (छठा वर्ष या कम)-50-1600
(iii) जे० ए० जी०	रु० 1500-60-1800-100-2000
(iv) जे० ए० जी० (चयन ग्रेड)	रु० 2000-125/2-2250
(v) एस० ए० जी० स्तर-II	रु० 2250-125/2-2500
(vi) इंजीनियर-इन-चीफ	रु० 2500-125/2-3000
आई० सी० (ई०) एस० ग्रुप-क के कनिष्ठ वेतनमान के पद से सम्बद्ध कार्य तथा उत्तरदायित्व के प्रकार	आडकास्ट, टी० वी० स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का अभिकल्पन, संस्थापन प्रचालन और अनुरक्षण—सहायक इंजीनियरों के कार्य पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व ।

(12) सहायक इंजीनियर (ग्रुप ख) (सिविल तथा विद्युत) सिविल—निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(क) नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर होगी ।

(ख) (1) पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना होगा और किसी भी समय उसका लोक निगम के अधीन स्थानान्तरण किया जा सकेगा और ऐसे स्थानान्तरण पर वह निगम के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई सेवा की शर्तों से शासित होगा ।

(2) यदि आवश्यकता हुई तो सहायक स्टेशन इंजीनियर या सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा किन्तु उस व्यक्ति को —

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा,

(ग) सरकार बना कोई नोटिस दिए निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकती है :—

(i) परिवीक्षा की अवधि के अन्तर्गत या उसके समाप्त होने पर, (ii) अनधीनता असंयम, कदाचार या उस समय सेवा से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमावली के उपबन्धों में किसी को भंग करने या अनुपालन करने के लिए, (iii) यदि वह डाक्टरी रूप से अयोग्य पाया जाता है और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अस्वस्थता के कारण बहुत अधिक समय तक अयोग्य बना रहता है ।

अस्थायी नियुक्तियों के मामलों में किसी पक्ष की ओर से कोई कारण बताये बिना एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(घ) सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(ङ) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर :—

(1) सम्बद्ध ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की निर्बाध सेवा रखने वाले सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) रु० 1100-50-1600 के वेतनमान में कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं ।

(2) ग्रेड में कम से कम 7 वर्ष की सेवा रखने वाले कार्यकारी इंजीनियर रु० 1800-100-2000 के वेतनमान में अधीक्षण इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं ।

(3) ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा रखने वाले अधीक्षण इंजीनियर रु० 2000-125/2-2250 के वेतनमान में अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं ।

नोट :—सेवा की शर्तों, जैसे स्थानान्तरण/दौरों पर अवकाश, यात्रा भत्ते, कार्यारम्भ समय/कार्यारम्भ समय वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा-रियायत, पेंशन और आनुतोषिक नियंत्रण तथा अनुशासन और आचरण आदि, वही होंगी जो समान हैसियत के अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हों ।

(च) सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) के पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप —

अभिकल्पना और आरेखन में कार्य के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड और स्तर के अनुसार कार्यों का निष्पादन करना ।

(13) तकनीकी अधिकारी (ग्रुप क) और संचार अधिकारी (ग्रुप क), सिविल विमानन विभाग, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को आगामी आदेशों तक संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा । वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है । उनकी नियुक्ति परिवीक्षा अवधि के अन्तर्गत बिना कोई नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है । नियुक्ति के बाद जब संभव हो उम्मीदवार को 16 सप्ताह की अवधि के लिए सिविल विमानन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कोर्स के लिए जाना होगा । संचार अधिकारी, तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में उनके स्थायीकरण के लिए स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा ।

(ख) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण, सरकार की राय में असंतोषजनक है, या यह दर्शाता है कि उसके कार्य में दक्षता प्राप्त करने की संभावना नहीं है, तो सरकार उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर सरकार की राय में अधिकारी कार्य या आचरण संतोषजनक पाए जाने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है अथवा कार्य या आचरण असंतोषजनक पाए जाने पर सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है, जैसा सरकार उचित समझे ।

(घ) यदि सेवा में नियुक्ति करने के लिए सरकार किसी अधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर देती है तो वह अधिकारी इस नियम के अधीन सरकार की शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी उस समय प्रवर्तमान और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार अवकाश, वेतन-वृद्धि और पेंशन के पात्र होंगे । वे केन्द्रीय भविष्यनिधि को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि में अंशदान करने के भी पात्र होंगे ।

(ञ) आपात स्थिति के अन्तर्गत अधिकारियों का भारत में या भारत से बाहर किसी फील्ड सर्विस के लिए भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। उड़ते हुए वायुयान में भी उन्हें कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

(छ) इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकारियों को वरीयता सामान्यतः उनकी परीक्षा में योग्यता क्रम के अनुसार निश्चित की जाएगी किन्तु भारत सरकार को अपनी विवक्षा पर अलग-अलग मामलों में वरीयता निश्चित करने का अधिकार है।

विभागीय उम्मीदवारों के मुकाबले में सीधी भर्ती द्वारा लिए गए उम्मीदवारों की वरीयता भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे पर आधारित और इस विषय में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार होगी।

(ज) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर—वरिष्ठ संचार अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड के लिए पदोन्नति :

सम्बद्ध ग्रेड में कम-से-कम पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी रु० 1100–50–1600 के वेतनमानों से रिक्तियां होने पर अपनी वरीयता तथा योग्यता के आधार पर सिविल विमानन विभाग में वरिष्ठ संचार अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं। उप निदेशक संचार नियंत्रक के ग्रेड के लिए पदोन्नति :

उक्त संवर्ग में कम-से-कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले वरिष्ठ संचार अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन के आधार पर रु० 1500–60–1800 के वेतनमान में संचार संगठन में उप निदेशक/संचार नियंत्रक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने पर सिविल विमानन विभाग में पदोन्नति की श्रृंखला में आगामी उच्चतर पद, रु० 1800–100–2000 के वेतनमान में संचार निदेशक, निदेशक रेडियो निर्माण और विकास एकक, निदेशक, प्रशिक्षण तथा लाइसेंसिंग और क्षेत्रीय निदेशक, रु० 2000–125/2–2500 के वेतनमान में उपमहानिदेशक और रु० 3000 (नियत) के वेतनमान में महानिदेशक के पद हैं। अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथापूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी।

(1) सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार इन सेवा शर्तों में परिशोधन किया जा सकता है। यदि बाद में लागू की जाने वाली सेवा शर्तों में परिवर्तन करने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उम्मीदवार किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(झ) सिविल विमानन विभाग में संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पदों के वेतनमान नीचे दिए गए हैं :

(1) संचार अधिकारी (ग्रुप क)—रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300।

(2) तकनीकी अधिकारी (ग्रुप क)—रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300।

(ञ) यदि आवश्यकता हुई तो संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गयी अवधि (यदि कोई हो) सहित कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को —

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा, और

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(ग) तकनीकी अधिकारी ग्रुप क और संचार अधिकारी ग्रुप क के पद (पदों) से सम्बद्ध कर्त्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप।

तकनीकी अधिकारी और संचार अधिकारी

उपर्युक्त वर्गों के अधिकारियों को कभी-कभी वैमानिक संचार केन्द्रों पर भी तैनात किया जाता है जहां रेडियो संचार और संचालनीय उपस्करों का अनुरक्षण होता है और विभिन्न उपस्करों और प्रचालन स्थितियों का प्रबन्ध करने के लिए बहुत-सी तकनीकी परिचालन स्टाफ नियोजित किया जाता है।

किन्तु बहुत ए० सी० स्टेशनों में "संचार और तकनीकी अधिकारी" वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। उन परिस्थितियों में उनके द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः उनके स्टेशन के दिन प्रतिदिन प्रचालन का होगा। वे अधीनस्थ क्षेत्रीय मुख्यालयों और अन्य कार्यालयों से भी सबद्ध हैं।

रेडियो निर्माण तथा विकास एकक या केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो में जहां कार्य मुख्य रूप से उपस्करों और सम्वर्गी विषयों के परीक्षण तथा संस्थापन से सम्बद्ध होगा; केवल तकनीकी अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले तकनीकी/संचार अधिकारियों के कर्त्तव्य

वैमानिक संचार स्टेशन

ए० सी० स्टेशन का समान्य प्रशासन और अनुशासनिक नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) विविध रेडियो/संचालनीय एककों का कुशल अनुरक्षण;

(2) पूरे स्टाफ को वेतन तथा भत्तों का संवितरण;

(3) भंडार से सम्बद्ध सी० पी० डब्ल्यू० ए० लेखों से संबद्ध हिसाब का रख-रखाव उचित प्राधिकारियों का आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करना;

(4) विविध उपस्करों के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सामग्री की व्यवस्था;

(5) अपने अधीन एककों में विभिन्न वर्गों के स्टाफ को भेजना;

(6) हवाई अड्डे 'मौसम विज्ञान' एयर लाइन्स आदि के अधिकारियों के साथ संपर्क;

(7) सामान्यतः वैज्ञानिक संचार स्टेशनों से अधिकतम दक्षता से कार्य करना।

प्रमुख स्टेशन/रेडियो निर्माण और विकास एकक रेडियो भण्डार डिपो में नियुक्त तकनीकी अधिकारी के कर्त्तव्य

सी० ए० डी० में प्रयुक्त विविध श्रेणियों के रेडियो तथा रेडार/संचालनीय उपस्करणों के स्वीकारी परीक्षण, संस्थापन और प्रतिदिन का अनुरक्षण।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विभाग के संचालनीय सहायक उपकरणों का उड़ान परीक्षण।

संचालनीय सहायक उपकरणों आदि के संस्थापन हेतु स्थलों को चुनने और संस्थापन के प्रयोजन के लिए एककों के आयात प्रतिस्थापन तथा निर्माण से सम्बद्ध कार्य का विकास।

विभाग में प्रयोग में आने वाले उपकरणों के लिए स्थानीय तथा विदेशी अभिकरणों से विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पार्टस् उपलब्ध कराना।

प्रमुख स्टेशनों में नियुक्त "संचार अधिकारियों" के कर्त्तव्य

स्टेशनों में विविध संक्रियात्मक सुविधाओं जिनमें 'भू-वायु और रेडियो टेलीटाइप चैनल, मोर्स परिपथ, इण्टरकाम तथा अन्य स्थानीय परिपथ सम्मिलित हैं के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार।

पूरी पारी का पूरा चार्ज लेने पर उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि सभी तकनीकी एकक/टेलीग्राफ परिपथों का ठीक प्रकार से कार्य संचालन हो।

समानिक सूचना सेवा से सम्बद्ध मामले—वायु सैनिकों को सूचनाओं का प्रचार करना। विमान कर्मचारियों को संक्षेप में बताना तथा समवर्गी मामले।

14. भारतीय नौसेना आयुध सेवा

(क) पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा और यह अवधि सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाई जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी न करने पर उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि के अन्तर्गत उन्हें 9–12 महीने की अवधि के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण पर जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा तीन प्रयास में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो सरकार की विवक्षा पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस की अपेक्षित अवधि (अस्थायी नियुक्ति के मामले में एक महीना और स्थायी नियुक्ति के मामले में तीन महीने) देकर किसी समय भी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु सरकार को नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं नोटिस की अवधि या इसके समाप्त न हुए भाग के लिए वेतन तथा भत्तों के बराबर की राशि का भुगतान करके तत्काल या नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) वे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रक्षा सेवा प्राक्कलन से प्रदत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तों के अधीन होंगे वे समय-समय पर संशोधित फील्ड सर्विस दायित्व नियमावली 1957 के अधीन होंगे।

(घ) उनका भारत या विदेश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(ङ) वेतनमान तथा वर्गीकरण—ग्रुप-क—राजपत्रित रु० 700–1300।

(i) उप-आयुध आपूर्ति अधिकारी ग्रेड-II — रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300

(ii) उप-आयुध आपूर्ति अधिकारी ग्रेड-I — रु० 1100–50–1600

(iii) नौसेना आयुध आपूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड) — रु० 1500–60–1800

(iv) नौसेना आयुध आपूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड) — रु० 1500–60–1800–100–2000

(v) निदेशक आयुध आपूर्ति — रु० 2000–125/2–2250

टिप्पणी—उक्त सेवा के संवर्ग की पुनरीक्षा सरकार के विचाराधीन है (3) और (4) पर निर्दिष्ट पदों के रुपए 1500–60–1800–100–2000 के ग्रेड में मिलाए जाने की संभावना है। आयुध आपूर्ति निदेशक के पद का वेतनमान पुनरीक्षाधीन है।

(च) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर—

(1) उप आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड—

पांच वर्ष की सेवा रखने वाले उप आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2 विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं चयन के आधार पर रु० 1100–1600 के वेतनमान में उप आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-1 के में पदोन्नति के पात्र हैं परन्तु केवल उन्हें अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जो आई० आई० टी० किरकी में तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स नौसेना तकनीकी स्टाक अधिकारी कोर्स के बाद ली गई है हो।

संवर्ग पुनरीक्षा के अन्तर्गत डी०ए०एस० ओ० ग्रेड-II से डा० ए० एस० ओ० ग्रेड I में पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा को कम करके 4 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

विभागीय परीक्षा की पाठ्यचर्या नीचे दी गयी है :—

1. नौसेना आयुध डिपो विशाखापट्नम
   - (क) शाला-कार्य (तीन मास)
   - (ख) गन व्हार्फ तकनीकी कोर्स
   - (ग) गोला बारूद तकनीकी कोर्स 1–37 सप्ताह
   - (घ) प्रशासनिक तथा लेखा कोर्स
   - (ङ) बालसौर कोसीपोर ईशापोर और जबलपुर देखने जाना
2. गनरी स्कूल तथा टी० ए० एस० स्कूल
3. भारी वाहन कारखाना अवाड़ी और कार्डाइट कारखाना अरुवंगाडू देखने जाना।
4. नौसेना आयुध बम्बई
   - (क) गनव्हार्फ तकनीकी कोर्स 2
   - (ख) गोला बारूद तकनीकी कोर्स 2
   - (ग) आयुध कारखाना, अंबरनाथ देखने जाना

5 सप्ताह

5. आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान किरकी

1. एच० ई० कारखाना शास्त्रागार, ए० आर० डी० ई० और ई० आर० डी० एल० किरकी देखने जाना।

4½ सप्ताह

2. नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली जाते हुए आयुध कारखाना तथा शेल ग्रार्मेस फैक्टरी कानपुर देखना।

1/2 सप्ताह

3. नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली दिल्ली रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाएं देखने जाना।

1 1/4 सप्ताह

दिल्ली अन्तिम परीक्षा

(2) नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड)

उप आयुध पूर्ति अधिकारी (ग्रेड 1) के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा की हो उपर्युक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के आधार पर रु० 1500–60–1800 के वेतनमान में नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(3) नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड)

नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड) के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में 3 वर्ष की सेवा की हो। उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के आधार पर 1500–60–1800–100–2000 के वेतनमान में नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(4) आयुध पूर्ति निदेशक

सम्बद्ध ग्रेड (ग्रेडों) में पांच वर्ष की सेवा रखने वाले नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड/साधारण ग्रेड) उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के आधार पर रु० 2000–125/2–2250 के वेतनमान में आयुध पूर्ति निदेशक के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की हैं और संबद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी।

नोट—उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जो परिवीक्षाधीन नियुक्ति के तत्काल पहले किसी आवधिक पद के अतिरिक्त मूल रूप से अस्थायी रूप पद धारण किए हुए थे, एफ० आर० 22ख (1) के प्रावधानों तथा भारतीय नौसेना परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को लागू सी० एस० और के तत्सदृशी अनुच्छेद के अधीन विनियमित किया जा सकता है।

(ज) भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय में उप आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड 2 के पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप ।

(1) विविध यांत्रिक इलैक्ट्रानिकी तथा वैद्युत साधनों तथा उत्पादन तथा उत्पादकता प्रणाली वाले आयुध सामग्री की मरम्मत, आशोधन तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध कार्य का प्रस्तुतीकरण आयोजन तथा निदेशन ।

(2) मरम्मत, अनुरक्षण और ओवरहाल के लिए इलैक्ट्रानिक तथा वैद्युत उपस्करों की मशीनरी का उपलब्ध कराना ।

(3) आयात प्रतिस्थापना से सम्बद्ध विकासीय कार्य, स्वदेशी अभिकल्पन विशिष्टियां तैयार करना ।

(4) आयुध के लिए यांत्रिक इलैक्ट्रानिक तथा वैद्युत अतिरिक्त पार्ट्स का उपलब्ध कराना ।

(5) आयुध (मिसाइल्स टार्पीडोज माइन्स तथा गन) मापने वाले यंत्रों आदि के यांत्रिक इलैक्ट्रानिक तथा वैद्युत यंत्रों के उपसमुच्चय तथा सम्मुच्चयों का प्रावधिक अंशांकन परीक्षण/जांच ।

(6) फ्लीट तथा नौसेना प्रतिष्ठानों को आयुध सामग्री की पूर्ति ।

(7) आयुधों के बारे यांत्रिक, इलैक्ट्रानिक तथा वैद्युत इंजीनियरी से सम्बद्ध सभी मामलों में सम्बद्ध सेवा को तकनीकी सलाह देना ।

15 डाक तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध में सहायक कार्यकारी इंजीनियर

(क) उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी । उन्हें यथा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो या उससे यह आभास हो कि उसके कार्य-कुशल होने की सम्भावना नहीं है, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हुई तो सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी बना सकती है और यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

अधिकारियों को ऐसी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित की जाए । उन्हें हिन्दी में एक परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा ।

(ख) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त अधिकारी के अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि सम्मिलित है परन्तु उस व्यक्ति को—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त ।

(ग) प्राप्य वेतन दरें निम्न प्रकार हैं: ग्रुप ख सहायक इंजीनियर (सिविल)/(वैद्युत) रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

ग्रुप "क"

(1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/(वैद्युत) रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

(2) कार्यपालक इंजीनियर/निर्माण सर्वेक्षक (सिविल)/(वैद्युत) रु० 1100-50-1600 ।

(3) अधीक्षक इंजीनियर/अधीक्षण निर्माण सर्वेक्षक (सिविल)/(वैद्युत) रु० 1500-60-8100-100-2000 ।

(4) मुख्य इंजीनियर रु० 2250-125/2-2500 ।

(ग) डाक तार सिविल स्कन्ध में उक्त पदों से जो कार्य तथा उत्तरदायित्व सम्बद्ध है वे नीचे दिए गए हैं :—

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से डाक तार सिविल स्कन्ध में भर्ती हुए उम्मीदवारों को डाकतार विभाग के विभिन्न सिविल निर्माणों के जिनमें आवासीय भवन, कार्यालय भवन, दूरभाषा केन्द्र भवन, डाकघर भवन, कारखानें, भण्डार, तथा प्रशिक्षण केन्द्र सम्मिलित आदि हैं, आयोजन अभिकल्पन, निर्माण और अनुरक्षण पर लगाए जाते हैं । उम्मीदवार विभाग में अपनी सेवा सहायक कार्यकारी इंजीनियर/सहायक इंजीनियर के रूप में शुरू करते हैं और सेवा करते विभाग के विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति पा जाते हैं ।

16. तकनीकी विकास महानिदेशालय में सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद :—

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय में सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।

(ख) इस ग्रुप 'क' राजपत्रित पद का वेतनमान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 है ।

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय में ऐसे सहायक विकास अधिकारी, 1100-50-1500-द० रो०-60-1800 में वेतनमान में विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के पात्र जिन्होंने उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर ली है । विकास अधिकारी के संवर्ग में 90 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । विकास अधिकारी रु० 1800-100-2000 के वेतनमान में अपर औद्योगिक सलाहकार के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं । अपर औद्योगिक सलाहकार रु० 2000-125/2-2500 के वेतनमान में औद्योगिक सलाहकार के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं । औद्योगिक सलाहकार रु० 2500-125/2-3000 के वेतनमान में उपमहानिदेशक के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं । तथा उप-महानिदेशक रुपये 3500 के नियत वेतन पर सचिव (तकनीकी विकास) और महानिदेशक (तकनीकी विकास) के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं ।

(घ) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को आवश्यक होने पर किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि सहित, यदि कोई है, कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी पद पर कार्य करना होगा किन्तु उस व्यक्ति को—

(1) ऐसी नियुक्ति के दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(2) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद सामान्यतया पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(ङ) सहायक विकास अधिकारी के पद से सम्बद्ध कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप उससे सम्बद्ध प्रभागों अर्थात् यांत्रिक इंजीनियरी, औद्योगिक मशीनरी, मशीन औजार, वैद्युत इंजीनियरी, आटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी उद्योगों आदि उद्योगों के विकास में विकास अधिकारी की सहायता करनी है ।

17 ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी का पद

(क) ई० एम० ई० कोर में कर्मशाला अधिकारी के पद पर भर्ती व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे ।

(ख) उक्त पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी काम करना होगा ।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :—

(i) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' रु० 650–30–740–35–810–द० रो० 35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 ।

(ii) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300 ।

(iii) वरिष्ठ कर्मशाला अधिकारी रु० 1100–50–1500 ।

(iv) कर्मशाला अधीक्षक रु० 1500–60–1800 ।

(v) कर्मशाला अधीक्षक (चयन ग्रेड) रु० 1800–100–2000 ।

(घ) कर्तव्य:—'ए', 'बी' और 'सी' वाहनों, तोप, वायरलैस तथा रेडार उपस्कर व उपकरणों की मरम्मत कार्य करने वाले अनुभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करना । ई० एम० ई० आर्मी बेस वर्कशाप/स्टेशन वर्कशाप में अधिकारी के रूप में कार्य करना और/या स्टाफ/ई० एम० ई० (रेजिमेन्ट के अलावा) रोजगार नियुक्तियों में कैप्टेन (ई० एम० ई०) के स्थान पर कार्य करना या ई० एम० ई० प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशासकीय कर्तव्यों के साथ-साथ अनुदेशक के रूप में कार्य करना होगा ।

(ङ) प्रारम्भ में उक्त पद गैर पेंशनी हैं लेकिन स्थायी होने पर ये पद पेंशनी हो जाएंगे । किन्तु यदि सरकार के अधीन स्थायी पद पर कार्यरत व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे पेंशन के सारे लाभ मिलते रहेंगे ।

(च) उक्त पद के लिए चुने हुए उम्मीदवार फील्ड में सेवा के दायित्व से प्रतिबद्ध हैं उनका स्वास्थ्य-स्तर वर्ग 1 (एक) होना चाहिए ।

18. भारतीय आपूर्ति सेवा/भारतीय निरीक्षण सेवा .

(क) चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के योग्य समझे जाने पर स्थायी पदों के उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जायेगा । सरकार इस दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा भी सकती है ।

यदि परिवीक्षा की उक्त अवधि या उसकी बढ़ी हुई अवधि के समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थायी नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार सन्तुष्ट हो जाए कि वह इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो वह उस अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे । अधिकारियों को स्थायी होने से पहले हिन्दी में एक विहित परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा ।

(ख) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि सहित यदि कोई हो, कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए या किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा :

किन्तु उस व्यक्ति को—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य करना होगा ।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड III कनिष्ठ (ग्रुप 'क')

वेतनमान : रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300

ग्रेड 2—वरिष्ठ (ग्रुप 'क')

वेतनमान : रु० 1100 (छठा वर्ष या इससे कम)–50–1600 ।

ग्रेड I—प्रशासनिक चयन पद : रु० 1500–60–1800–100–2000 ।

सुपरटाईम वेतनमान पद : (क) रु० 2000–125/2–2250

(ख) रु० 2250/125/2–2500 ।

(ग) रु० 2500–125/2–2750 ।

टिप्पणी—जिस सरकारी कर्मचारी ने इस परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले आवधिक पद से अन्यथा किसी स्थायी पद पर स्थायी हैसियत से काम किया है उसका वेतन एफ० आर० 22-बी (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ख) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' में सम्बद्ध कार्य तथा जिम्मेदारियों का स्वरूप ।

भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'

भारतीय आपूर्ति सेवा के अधिकारियों का मुख्य कार्यभार भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की ओर से भंडार सामग्री खरीदना तथा बची हुई सामग्री का निपटान करना है । भारतीय आपूर्ति सेवा के अधिकारियों से आशा की जाती है कि उनके पास आपूर्ति एवं निपटान महा० नि० और विदेश स्थित राजदूतावासों/उच्चायोगों के आपूर्ति स्कन्धों को भेजे गए विभिन्न प्रकार के मांग पत्रों से निपटान के लिए अपेक्षित तकनीकी पृष्ठ भूमि हो ।

भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क'

इंजीनियरी वस्तुओं तथा सामग्रियों और समवर्ती भण्डारों का निरीक्षण तथा परीक्षण, कनिष्ठ अधिकारियों के काम का पर्यवेक्षण करना तथा यह देखना कि उनको अपने कार्य तथा कर्तव्यों के संबंध में पर्याप्त निर्देश मिल गए हैं, महत्वपूर्ण कार्य की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना, तकनीकी रिपोर्ट, विनिर्दिष्टयां तथा आवश्यकता सूचियां बनाना और इंजीनियरी भंडारों के मांगपत्रों के तकनीकी विवरणों की जांच करना, विभाग की अन्य शाखाओं के अधिकारियों, मांग पत्र भेजने वालों तथा निर्माताओं को इंजीनियरी मामलों में तकनीकी सलाह तथा सहायता देना ।

19. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(1) चुना हुआ उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निहित विभागीय परीक्षणों को उत्तीर्ण करना होगा । परिवीक्षा की अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति पर किसी समय यदि सरकार की राय में उसका कार्य और आचरण असंतोषजनक रहा है, तो हो सकता है कि सरकार या तो उसे कार्य मुक्त कर दे या उसकी परिवीक्षा अवधि यथाअपेक्षित समय के लिए बढ़ा दे ।

(2) चुने गए उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग या विदेश में जिसमें युद्ध तथा शान्ति के क्षेत्र सम्मिलित हैं, कार्य करना होगा । उनकी क्षेत्र सेवा के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

(3) उनको प्राप्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं :—

सहायक कार्यकारी इंजीनियर—रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300 ।

कार्यकारी इंजीनियर—रु० 1100 (छठे वर्ष या इससे कम) 50–1600 ।

अधीक्षण इंजीनियर—रु० 1500–60–1800–100–2000 ।

मुख्य इंजीनियर (सिविल) ग्रेड–2—रु० 2250–125/2 2500 ।

मुख्य इंजीनियर (सिविल) ग्रेड–1—रु० 2500–125/2–2750 ।

(4) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यकारी इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर मुख्य इंजीनियर (केवल सिविल इंजीनियरी के अधिकारियों के लिए लागू) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की प्रत्याशा कर सकते हैं । अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी ।

(5) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट इलाकों में तैनात होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथाग्राह्य अन्य सामान्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि के अलावा विहित दर पर विशेष प्रतिपूरक भत्ता और मुफ्त राशन के हकदार है । वे वर्दी के वास्ते परिसज्जा भत्तों के भी हकदार हैं ।

(6) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप "क" के पदों पर नियुक्त अधिकारियों पर अनुशासन के मामले में थल सेना अधिनियम, 1950 लागू होगा ।

20. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के पद:—

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर कनिष्ठ/यांत्रिक इंजीनियर कनिष्ठ (ग्रुप क पद) और सहायक यांत्रिक इंजीनियर (ग्रुप ख पद) पदों पर अस्थाई आधार पर भर्ती किए गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । दो वर्ष से अधिक अतिरिक्त अवधि के लिए सेवा में उनका रखना परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा । सरकार की विविक्षा पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है उन्हें क्रमशः रु० 700–40–900 द० रो०–40–1100–50–1300 और रु० 650–30–740–35–810 द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 के समय वेतनमान में वेतन मिलेगा । संतोषजनक रूप से उनकी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर यदि वे स्थाई नियुक्ति के योग्य समझे जाते हैं तो मूल रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा ।

यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर कनिष्ठ/यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) और सहायक यांत्रिक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा ।

किन्तु उस व्यक्ति को—

(1) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) या सहायक यांत्रिक इंजीनियर के पद पर नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

इस विषय पर नियमों और अनुदेशों के अनुसार जो उम्मीदवार योग्य पाये जाते हैं उनके लिए पदोन्नति का क्षेत्र निम्नलिखित है:—

(क) बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) के लिए —रु० 700–40–900 द० रो०–40–1100–50–1300

(1) बरमा इंजीनियर (वरिष्ठ) रु० 1100–50–1600 ।

(2) निदेशक (बरमा) रु० 1500–60–1800–100–2000 ।

(3) उप महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा) रु० 2250–125/2–2500 ।

(ख) —यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप क रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300 ।

सहायक यांत्रिक इंजीनियर (ग्रुप ख) रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 ।

(1) यांत्रिक इंजीनियर (वरिष्ठ)—रु० 1100–50–1600 ।

(2) निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरी)—रु० 1500–60–1800–100–2000 ।

(3) उप महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा)—रु० 2250–125/2–2500 ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में भर्ती किये गये अधिकारियों को भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

नोट—उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जो परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले स्थाईवत् हैसियत से किसी आवधिक पद के अतिरिक्त स्थाई पद पर है, एफ० आर० 22–ख (1) के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जायेगा । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप

यांत्रिक इंजीनियर

(कनिष्ठ)

बरमा वाहनों और अन्य उपस्करों का अनुरक्षण तथा मरम्मत, विविध क्षेत्र के कर्तव्यों तथा कार्यों के लिए ड्राइवरों तथा वाहनों का आवंटन पी० एस० एल० अंकों तथा अभिलेखों, लॉग बुक, इतिवृत्तियों की संवीक्षा तथा अनुरक्षण ।

बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ)

कोर रिकवरी का इष्टतम प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए एक या अधिक ड्रिलिंग रिगों से खनिज अन्वेषण के संबंध में छेदन कार्य करना । सरकारी भण्डारों और उनको सौंपे गये इम्प्रेस्ट को ठीक प्रकार से सुरक्षा के लिए लगाई गई मशीनरी और वाहनों का समारक्षण । भण्डारों तथा रोकड़ लेखों को रखना और अपने अधीन नियोजित कर्मचारी वर्ग का कल्याण देखना ।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th February 1986

No. 10-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Vinai Kumar Shukla,
Constable No. 62,
District Fatehgarh.

Shri Abdul Qadir,
Constable No. 243,
District Fatehgarh.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the night of the 30th December, 1984, a UPSRTC Bus, escorted by two armed constables namely, Shri Vinai Kumar Shukla and Shri Abdul Qadir, was proceeding from Farrukhabad to Delhi. When the Bus passed ahead of Bandi Pulia on Kaimganj-Eliganj Road, the driver of the Bus was compelled to stop the bus as two trucks blocking the way were standing on the road. In the head-lights of the bus, the two Constables and passengers of the bus saw two criminals, armed with guns, challenging the drivers of the trucks to get down and part with their valuables. On seeing the bus stopped, three or four criminals fired at the tyres of the bus and deflated them. One of the criminals asked the driver of the bus to open the door. On seeing the danger, the two Constables of the Escort Partly jumped down from the back door of the bus with a view to apprehending the criminals. The criminals fired on the Constables, but they escaped unhurt and took shelter behind the bus and fired on the criminals, killing two of them. The other criminals, managed to escape. Two loaded SBBL guns (.12 bore) and plenty of live cartridges were recovered from the possession of the killed criminals.

In this encounter Shri Vinai Kumar Shukla, Constable and Shri Abdul Qadir, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th December, 1984.

No. 11-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Randhir Singh Ruhal, Posthumous
Sub-Inspector of Police,
District Morena.

Shri Kaptan Singh,
Head Constable,
17 Bn. SAF, Bhind.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On receipt of information on the 19th July 1984, about the presence of the gang of notorious decoit Ramesh Singh Sikarwar in Barelia forest, Police Station Bijaypur, a raid was organised by the Police. On seeing the Police party, the dacoit gang opened fire. The Police party also returned fire which lasted for 10-15 minutes. However, the gang managed to escape taking advantage of thick scrub forest and a nallah. Some blood stains were seen near the escape route which indicated that some members of the gang were injured.

The Police party chased the gang in torrential rains and dense forests and was able to locate the gang, in the early hours of the 20th July, 1984. The dacoits were resting astride a ledge between Amkhoh and Sewapura Pahadi. As the gang was at a higher location on a hill top and was able to sight the approaching Police party, it immediately disappeared. However, the Police party continued their combing operations and was once again able to engage them in a fierce encounter. Head Constable Kaptan Singh and Sub-Inspector Ruhal were forging way ahead of others, despite heavy firing. Unfortunately, both of them were simultaneously hit by bullets of the dacoits. Head Constable Kaptan Singh received bullet injuries in the left side of the chest but was still firing till he fell dead. Sub-Inspector Ruhal, who was hit in the head, kept his advance till he lost his consciousness. The gang members again managed to escape into the hillock and could not be arrested.

In this encounter, Shri Randhir Singh Ruhal, Sub-Inspector and Shri Kaptan Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th July, 1984.

No. 12-Pres/86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Prem Singh Ahlawat,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Chatta, Agra, (U.P.).

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 16th March, 1983, information was received at Police Station Chatta that the Timber Godown of M/s Vipan Chandra and Bros. was engulfed by fire which was spreading wildly. Being a timber market the most formidable job for the firemen was to control the blaze and keep the crowd at a safer distance. Shri Prem Singh Ahlawat, Sub-Inspector, alongwith his force immediately reached the spot and succeeded in controlling the crowd. Shri Ahlawat also shared the burden of the firemen in extinguishing the fire and in rescuing people trapped in the upper storey of the house engulfed by fire. In an attempt to save the lives of the shricking persons, Shri Ahlawat jumped across the roof to reach the place to save human lives. He managed to rescue two men and a child when suddenly the exit was blocked by surging flames and he had to make his way out by jumping over an asbestos roof. As he landed on the roof the wood work which had already been burnt collapsed and as a result the Sub-Inspector fell 20 feet below with fire all around him. Shri Ahlawat with a broken arm, managed to crawl out of the flames when he was picked up by the Fire-fighting Unit and brought to safety. Shri Prem Singh Ahlawat sustained grievious fracture and massive burnt on his person.

In this incident, Shri Prem Singh Ahlawat, Sub-Inspector displayed exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th March, 1983.

The 10th February 1986

No. 13-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Anil Kumar Shrivastava,
Superintendent of Police,
Bhind.

Shri Raghuwar Dayal Mishra,
Deputy Superitendent of Police,
Bhind.

Shri Ram Sahodar Tiwari,
Sub-Inspector of Police,
Bhind.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 19th April, 1984, Shri Ram Sahodar Tiwari, SHO, Police Station Ron, received information about the presence of the gang of Ghanshyam Mirdha (consisting of 14 dacoits) in ravines between Dubka and Chachipura. The informer also told the SHO that the gang was planning to commit dacoity and kidnapping in the house of one Ganga Singh, Rajput, village Gorai.

Shri Tiwari passed on the information to Shri Anil Kumar Shrivastava, Superintendent of Police. Shri Shrivastava collected about 150 men both from the District Police and Special Armed Force and left for Ron. He divided the police force into four groups. One party headed by Shri Shrivastava himself, accompanied by Shri R. D. Misnra, Deputy Superintendent of Police and Shri Tiwari, Sub-Inspector, moved towards the hideout of the gang. The other three parties were detailed to encircle the area by laying ambush to cut off the probable escape routes of the gang. Shri Shrivastava made first contact with the gang. He climbed at the top of the ravinous mound and sighted the gang and asked the force to take position in extended order in 'L' shape and them he challenged the gang to which the gang responded with a heavy volley of fire. Dacoit Kailash Singh alongwith other dacoits, while trying to escape from the flank of the attacking party, came across Sub Inspector R. S. Tiwari. Shri Tiwari shouted at the dacoits to stop, but he was fired upon by dacoit Kailash Singh. Shri Tiwari had a providential escape. Shri Shrivastava, without losing time, intercepted and shot dead dacoit Kailash Singh on the spot and thereafter moved ahead for trapping the other dacoits in the face of great danger to his own life. In the meantime, another dacoit, rushed towards Shri Shrivastava. Shri Tiwari rose to the occasion and shot him down who was later identified as Bhura Darzi.

The third group of dacoits was engaged by the Police party of Shri R. D. Mishra and in the encounter another notorious dacoit Dharampal Kachhi was killed. The remaining dacoits were on the run and the Police party gave a hot chase and killed another dacoit viz. Babu Khangar. One kidnapped person Mangal Korab was rescued alive by the Police party. Thus, in all four dacoits of Ghanshyam Mirdha gang were killed in the encounter.

In this encounter Shri Anil Kumar Shrivastava, Superintendent of Police, Shri Raghuwar Dayal Mishra, Deputy Superintendent of Police and Shri Ram Sahodar Tiwari, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th April, 1984.

No. 14-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Laxman Sakharam Pimpalkar,
Inspector of Police,
Greater Bombay.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 30th April, 1985 Malad Police Station received information that a desperado and dreaded criminal Shabuddin Lalmohamed alias Raju Shabuddin and his two associates were hiding in a hut in Chincholi village. A Police party headed by Inspector Laxman Sakharam Pimpalkar rushed to Chincholi village and surrounded the hut. The door of the hut was latched from inside and was not opened despite repeated knocks. The Police party entered the room by breaking the wall which was made of jungle sticks plastered with mud. Raju's two associates were apprehended from the hut. It was revealed by them that Raju was hiding in the adjoining hutments. The police party started combing the area. Raju was sighted running through thick fields towards Bandra Link Road in darkness. He was chased by Inspector Pimpalkar and another Sub-Inspector. Inspector Pimpalkar warned Raju to surrender, but he turned round and fired a shot from his pistol at Inspector Pimpalkar, who ducked and returned the shot from his revolver injuring Raju in his right thigh. Despite the injury, Raju aimed second shot at Inspector Pimpalkar who, in return, fired two more rounds from his service revolver injuring Raju on his right forearm and chest. The Sub-Inspector, who was close to Inspector Pimpalkar also fired two rounds from his service revolver. Raju collapsed as he was hit by the bullets. Inspector Pimpalkar went to him and disarmed him. A country made pistol and two live cartridges were recovered from his person. As Raju was breathing heavily, he was rushed to Hispital, where he was declared dead.

In this incident Shri Laxman Sakharam Pimpalkar, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th April, 1985.

No. 15-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tamil Nadu Police :—

Names and rank of the officers

Shri Marudhappan Muniyandi,
Police Constable No. 749,
Muthiahpuram Police Station,
District Tirunelveli East,
Tamil Nadu.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 8th March, 1985, Shri Marudhappan Muniyandi, Police Constable No. 749 received an alarming telephonic message that a rowdy named Lingam of Tuticorin stabbed Shri Rajendran, an employee of a local company and also threatened other residents of Thermal Nagar in Muthiahpuram Police Station. He, alongwith another Head Constable, immediately rushed to the spot and saw the rowdy with a dagger in his hand. On seeing the Police, the culprit started running. Constable Muniyandi chased the culprit. When they reached a lonely place, the culprit took out his dagger and stabbed the Policeman in his stomach. Unmindful of the injury, the Constable caught hold of the culprit till the Head Constable came to his rescue. In the process the culprit stabbed the Head Constable too but the latter escaped with only minor injuries on his right palm. Despite serious stab injuries Shri Muniyandi did not allow the rowdy to escape. He arrested him and brought him to Police Station.

In this incident, Shri Marudhappan Muniyandi, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th April, 1985.

S. NILKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th January 1986

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/30/85.—The Government of India in the Ministry of External Affairs have decided to constitute a Hindi Advisory Committee in the Ministry of External Affairs. The composition of the Committee shall be as follows :—

1. Minister of External Affairs.—Chairman

2. Minister of State for External Affairs—Vice Chairman.

Members of Parliament

3. Shri Naresh Chaturvedi, Member, Lok Sabha, 27, North Avenue, New Delhi.

4. Shri V. Krishna Rao, Member, Lok Sabha, 137, South Avenue, New Delhi.

5. Shri Satya Pal Malik, Member, Rajya Sabha, 61, South Avenue, New Delhi.

6. Shri Chaturnan Mishra, Member, Rajya Sabha, 11, Canning Lane, New Delhi.

Representative of the Committee of Parliament on Official Language

7. Dr. Rudra Pratap Singh, Member, Rajya Sabha, 36, North Avenue, New Delhi.

8. Shri Indra Deep Sinha, Member, Rajya Sabha, 16 D, Feroze Shah Road, New Delhi.

Non-Official Members

9. Shri Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri, Nagari Pracharini Hindi Sabha, 26, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi.

10. Shri Ganga Saran Singh, Adhyaksh, Akhil Bharatiya Hindi Prachar Sabha, 75, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi.

11. Shri B. Chandrasekharan, Maha Mantri, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.

12. Shri M. K. Velayudhan Nair, Mantri, Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivendrum.

13. Shri Yugal Kishore Chaturvedi, Acting President, Rajasthan Sahitya Samelan, Priyamwada Sadan, 'C' Scheme, Jaipur.

14. Shri Shiv Mangal Singh Suman, Adhyaksh, Uttar Pradesh Hindi Granth Akademy, Lucknow.

15. Dr. Ramesh Sharma, Professor, Hindi Deptt., Srinagar University, Srinagar (J&K).

16. Dr. Ramjee Singh, Ex-Member of Parliament, Bhikhanpur, Bhagalpur.

17. Dr. Mahendra Kumar, Head of Deptt., Hindi, Delhi University, Delhi.

18. Shri Jagdish Chaturvedi, Journalist, 55, Kaka Nagar, New Delhi.

19. Smt. Sheela Jhunjhunuwala, Editor, Saptahik Hindustan, Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

20. Shri Lalan Prasad Vyas, C-13, Press Enclave, Saket, New Delhi.

21. Smt. Taslim Patel, Biloli, Naded, Maharashtra.

22. Shri Laxmi Narayan, Hindi Sansthan, Gandhi Bhavan, Hyderabad.

23. Shri Madhukar Rao Chaudhry, Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha.

24. Dr. Kumar Vimal, 96, MIGH, Kankar Bagh Colony, Patna-20.

Official Members

25. Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Advisor to the Government of India, North Block, New Delhi.

26. Secretary (West), Ministry of External Affairs, New Delhi.

27. Joint Secretary (AD), Ministry of External Affairs, New Delhi.

28. Director General, Indian Council for Cultural Relations, New Delhi.

29. Secretary, Sahitya Akademy, Rabindra Bhavan, 13, Ferozshah Road, Delhi.

30. Joint Secretary (XP), Ministry of External Affairs.

31. Joint Secretary (CPV), Ministry of External Affairs.

32. Joint Secretary (Coord), Ministry of External Affairs.

33. Joint Secretary (West Asia) Ministry of External Affairs.

34. Joint Secretary (East Asia) Ministry of External Affairs.

35. Joint Secretary Deptt. of Official Language, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

36. Director (Finance), Ministry of External Affairs.

37. OSD (Hindi), Ministry of External Affairs and

38. Foreign Secretary, Member Secretary.

II. *Functions*

The Committee shall advise the Ministry and the Missions abroad and its offices at home on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and on propagation of Hindi abroad.

III. *Tenure*

The term of the Committee shall be three years from the date of its formation, provided that :—

(i) a Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be for the remaining period only.

IV. *General*

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-Committee as may be deemed necessary.

(ii) The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

iii) Non-official members of the Committee will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee at the rates prescribed by the Government of India from time to time and as admissible under rules.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to :—

President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all members of the Committee and all Ministries and Deptts of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIBAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

New Delhi, the 28th January 1986

RESOLUTION

No. F-12014/10/85-M.VI.—In partial modication of this Department's Resolution No. F. 23012/99/80-M.VI dated the 12th January, 1981 it has been decided to re-constitute the Advisory Board for Indian Bureau of Mines with the following composition:

COMPOSITION

Chairman

1. Secretary, Department of Mines.

Members

2. Director General, Geological Survey of India, 27, J.L. Nehru Road, Calcutta.
3. Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.
4. Adviser (I&M), Planning Commission, New Delhi.
5. A representative of Department of Science and Technology.
6. Two representatives of Central Public Sector Mining Organisations—by rotation (presently to be represented by Steel Authority of India Ltd. and Hindustan Copper Ltd.).
7. Chairman of COSMIC (Committee of State Mining Corporation).
8. President of Federation of Indian Mineral Industries.
9. Three representatives of the State Government—by rotation (presently to be represented by Karnataka, Bihar and Madhya Pradesh).
10. Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.
11. Prof. T. C. Rao, Indian School of Mines, Dhanbad.
12. Financial Adviser, Department of Mines.

Member Secretary

13. Controller General, Indian Bureau of Mines.

Tenure

The tenure of the Advisory Board will be for a period of two years.

Other terms and functions of the Advisory Board remain the same.

B. DASGUPTA, Director.

MINISTRY OF TRANSPORT

(DEPARTMENT OF RAILWAYS)

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd February, 1986

No. 85/E(GR)I/2/82.—The Rules for a combined competitive examination Engineering Services Examination—to be held by the Union Public Service Commission in 1986 for the purpose of filling vacancies in the following Services/Posts are, with the concurrence of the Ministries/Departments concerned, published for general information :—

CATEGORY I—CIVIL ENGINEERING

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Engineers;

(ii) Indian Railway Stores Service (Civil Engineering Posts);

(iii) Central Engineering Service;

(iv) Military Engineer Services (Building and Roads Cadre)

(v) Military Engineer Service (Surveyor of Works Cadre).

(vi) Central Water Engineering Service (Civil Engineering Posts);

(vii) Assistant Executive Engineers (Civil), (P&T) (Civil Engineering Wing).

(viii) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) Civil Engineering Posts.

Group B Services/Posts

(ix) Assistant Engineer (Civil) in the Civil Construction Wing, All India Radio.

CATEGORY II—MECHANICAL ENGINEERING

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Mechanical Engineers;

(ii) Indian Railway Stores Service (Mechanical Engineering Posts);

(iii) Central Water Engineering Service (Mechanical Engineering Posts);

(iv) Central Power Engineering Service (Mechanical) Engineering Posts);

(v) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Mechanical Engineering Posts);

(vi) Indian Naval Armament Service (Mechanical Engineering Posts)

(vii) Assistant Manager (Factories) (P&T) Telecom-Factories Organisation)

(viii) Military Engineer Service (Electrical and Mechanical cadre) (Mechanical Engineering Posts)

(ix) Workshop Officer (Mechanical) in the Corps of EME, Ministry of Defence;

(x) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Mechanical Engineering Posts)

(xi) Posts of Assistant Development Officer (Engineering in the Directorate General of Technical Development (Mechanical Engineering Posts)

(xii) Assistant Executive Engineer (Elect. & Mech.) Mechanical Engineering Posts, Border Roads Engineering Service, Group A.

(xiii) Indian Supply Service, Group 'A' Mechanical Engg. Posts.

(xiv) Mechanical Engineer (Junior) in the Geological Survey of India.

Group B Services/Posts

(xv) Workshop Officer (Mechanical Engineering Posts) in the Corps of EME, Ministry of Defence.

CATEGORY III—ELECTRICAL ENGINEERING

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Electrical Engineers.
(ii) Indian Railway Stores Service (Electrical Engineering Posts)
(iii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts);
(iv) Indian Ordance Factories Service Engineering Branch (Electrical Engineering Posts);
(v) Indian Naval Armament Service (Electrical Engineering Posts);
(vi) Central Power Engineering Service (Electrical Engineering Posts);
(vii) Assistant Executive Engineer (Electrical P and T Civil Engineering Wing);
(viii) Workshop Officer (Electrical) in the Corps of EME, Ministry of Defence;
(ix) Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development (Electrical Engineering Post);
(x) Indian Supply Service, Group 'A' (Electrical Engg. Posts);
(xi) Military Engineer Service (Electrical and Mechanical cadre) (Electrical Engineering Posts);

Group B Services/Posts

(xii) Assistant Engineer (Electrical) in the Civil Construction Wing of All India Radio;
(xiii) Workshop Officer (Electrical) in the Corps of EME, Ministry of Defence.

CATEGORY IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING.

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Signal Engineers;
(ii) Indian Railway Stores Service (Telecommunication/Electronics Engineering Posts);
(iii) Indian Telecommunication Service;
(iv) Engineer in Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation; Ministry of Communications;
(v) Deputy Engineer-in-Charge in Overseas Communications Service;
(vi) Indian Broadcasting (Engineers) Service;
(vii) Technical Officer in Civil Aviation Department;
(viii) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Electronics Engineering Posts);
(ix) Indian Naval Armament Service (Electronics Engineering Posts);
(x) Central Power Engineering Service (Telecommunication Engineering Posts);
(xi) Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development, (Electronics and Telecommunication Engineering Post);
(xii) Indian Supply Service, Group 'A' (Electronics Engg. Posts).
(xiii) Workshop Officer (Electronics Engg.) in the Corps of EME, Minitry of Defence.
(xiv) Communication Officer in Civil Aviation Department.

Group B Services/Posts

(xv) Assistant Engineer in Overseas Communications Service;
(xvi) Technical Assistant (Group B, Non-Gazetted) in Overseas Communications Service.
(xvii) Workshop Officer (Electronics Engg.) in the Corps of EME, Ministry of Defence.

1. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

2. A candidate may compete in respect of any one or more of the categories of Services/Posts mentioned above. He should clearly indicate in his application the Services/Posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

N.B. (i)—NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFERENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RESPECT OF SERVICES/POSTS COVERED BY THE CATEGORY OR CATEGORIES OF SERVICES/POSTS VIZ., CIVIL ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING (OF PREAMBLE TO THE RULES) FOR WHICH HE IS COMPETING WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION IN THE EMPLOYMENT NEWS. NO COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION OR FROM THE MINISTRY OF TRANSPORT (DEPARTMENT OF RAILWAYS) WOULD BE SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDICATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY, FOR THE VARIOUS SERVICES/POSTS AFTER THEY HAVE SUBMITTED THEIR APPLICATIONS.

N.B. (ii)—Candidates should give their preferences only for the Services and Posts for which they are eligible in terms of the Rules and for which they are competing. Preferences given for Services and Posts for which they are not eligible and for Services and Posts in respect of which they are not admitted to the examination will be ignored.

N.B. (iii)—DEPARTMENTAL CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION UNDER AGE-RELAXATION [VIDE RULE 5(b)] MAY GIVE THEIR PREFERENCES FOR THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ALSO. THEY WILL, HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT AND ONLY IN THE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREON OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS, THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF MENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

N.B. (iv)—Preferences of candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso, and preferences for other Services and Posts, if any, will be ignored.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam and the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibilty has been issued by Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility Certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years on the 1st August 1986 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1958 and not later than the 1st August, 1966.

(b) Subject to conditions mentioned in N.B. (iii) below Rule 2, the upper age-limit of 28 years will be relaxable up to 33 years in the case of the Government servants of the following categories, if they are employed in a Department/Office under the control of any of the authorities mentioned in column 1 below and apply for admission to the examination for all or any of the Service(s)/Post(s) mentioned in Column 2, for which they are otherwise eligible.

(i) A candidate who holds substantively a permanent post in the particular Department/Office concerned. This relaxation will not be admissible to a probationer appointed against a permanent post in the Department/Office during the period of his probation.

(ii) A candidate who has been continuously in a temporary service on a regular basis in the particular Department/Office for at least 3 years on the 1st August, 1986.

Column 1	Column 2
Railway Department	I.R.S.E. I.R.S.E.E. I.R.S.S.E. I.R.S.M.E. I.R.S.S.
Central Public Works Department	C.E.S.—Group A C.E. & M.E.S. Group A
Engineer-in-Chief, Army Headquarters	M.E.S. Group A (B & R Cadre and Surveyor of Works Cadre) M.E.S. Group A (E. & M Cadre)
Directorate General Ordnance Factories	I.O.F.S. Group A
Central Water Commission	C.W.E. (Group A (Service).
Central Electricity Authority	C.P.E. (Group A) Service.
Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation.	Engineer (group A) Deputy Engineer-in charge (Group A) Assistant Engineer (Group B)
Overseas Communications Service	Technical Assistant (Group B Non-Gazetted).
Border Roads Organisation	Border Roads Engineering Service
All India Radio/Doordarshan	Junior scale Indian Broadcasting (Engineers) Service. Assistant Engineer Group B (Civil/Electrical) Civil Construction Wing A.I.R
Geological Survey of India	Mechanical Engineers (Junior), Group-A.
Civil Aviation Department	Technical Officer (Group A) Communication Officer (Group A)
Indian Navy	Indian Naval Armament Service.
P. & T. Department	Indian Telecommunication Service Group A, Assistant Executive Engineer (Civil/Electrical) Group A, P & T Civil Wing, Assistant Manager (Factories) Group A, P. & T. Telecom. Factories Organisation.
Directorate General of Technical Development	Assistant Development Officer (Engineering) Group 'A'.
Directorate General of Supplies and Disposals	I.S.S. Group 'A'

NOTE.—The period of apprenticeship, if followed by appointment against a working post on the railways may be treated as Railway Service for the purpose of age concession.

(c) The upper age-limit prescribed above will be further relaxable :

(i) Up to a Maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Up to a maximum of three years, if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and the 25th March, 1971;

(iii) Up to a maximum of eight years, if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective while East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) Up to a maximum of three years, if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(vii) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) Up to a maximum of three years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(ix) Up to a maximum of eight years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(x) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

(xii) Up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(xiii) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(xiv) Up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1986 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st August 1986) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment.

(xv) Up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers, including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1986 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st August, 1986 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xvi) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

(xvii) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

(xviii) up to a maximum of six years, if a candidate has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(xix) up to a maximum of eleven years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes and has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

NOTE.—Ex-Servicemen who have already joined the Government job on Civil side after availing of the benefits given to them as ex-serviceman for their re-employment, are not eligible to apply under Rule 5(c) (xiv) & 5(c) (xv) of the Rules.

N.B.—The Candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(b) above shall be cancelled, if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

A candidate who after submitting his application, to the department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the service/post for which he would have been eligible but for his transfer, provided his application has been forwarded by his parent department.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must have—

(A) obtained a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(B) passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

(C) obtained a degree/diploma in Engineering from such foreign Universities/College/Institution, and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or

(D) passed in the Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Tele-communication Engineers (India); or

(E) passed Associate Membership Examinations Parts II and III/Sections A and B of the Aeronatical Society of India; or

(F) passed in the Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959.

The Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers London, held prior to November, 1959 is also acceptable subject to the following conditions :—

(1) that the candidates who have passed the examination held prior to November, 1959, should have appeared

and passed in the following additional papers according to post-1959 scheme of Graduate Membership Examination :

(i) Principles of Radio and Electronics I (Section 'A').

(ii) Mathematics II (Section 'B').

(2) that the candidates concerned should produce certificate from the Institution of Electronics and Radio Engineers, London in fulfilment of the condition prescribed at (1) above.

Provided that a candidate for the posts of Engineer, Group A, in Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Deputy Engineer-in-charge, Group A, in Overseas Communication Service; Indian Broadcasting (Engineers) Service; Indian Naval Armament Service, (Electronics Engineering Posts); Assistant Engineer, Group B in Overseas Communications Service and Technical Assistant (Group B, Non-Gazetted) in Overseas Communication Service, may possess any of the above qualifications or the qualification mentioned below namely;

M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics, or Radio Engineering as a special subject.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result may, apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be proovisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 31st October, 1986.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualified prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 3.—A candidate who is otherwise, qualified but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated emlpoyees or those serving under Public Enterprises will required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission with holding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. After the interviews the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various Services/posts at the time of their application.

DEPARTMENTAL CANDIDATES WILL, HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT AND ONLY IN THE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS, THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such an enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who (after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found not to satisfy those requirements will not be appointed.

All candidates who qualify for interview on the basis of written part of the examination, are required to undergo medical examination on the next working day following the date of interview (there shall be no medical examination on Sundays and closed holidays except second Saturdays). For this purpose, the successful candidates will be required to present themselves, before the Additional Chief Medical Officer, Central Hospital, Northern Railways, Basant Lane, New Delhi at 9.00 Hrs. In case the candidates are wearing glasses, they should take with them, the latest number of glasses to the Medical Board.

No request for change in the date of medical examinations or in its venue would ordinarily be acceded to.

The candidates should note that no request for grant of exemption from medical examination will be entertained under any circumstances.

The attention of the candidates is invited to the regulations relating to the Physical Examination published herewith. It will be seen therefrom that the physical standards prescribed vary for different services. The candidates are therefore, advised to keep these standards in view with specific reference to services for which they have competed/expressed preferences to the UPSC.

The candidates may also please note :

(i) a sum of Rs. 16 (Rupees sixteen only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;

(ii) no travelling allowance will be paid for the journey performed in connection with the medical examination; and

(iii) the fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE MINISTRY OF TRANSPORT (DEPARTMENT OF RAILWAYS).

In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards require are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services Personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of each Service.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to pass after entry into service.

20. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A. N. WANCHOO
Secretary
Railway Board

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

PART I—The written examination will comprise two sections—Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics & Telecommunication Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written examination i.e. subjects, duration and maximum marks allotted to each subject are given in para 2 below :

PART II—Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Category I—CIVIL ENGINEERING
(cf. Preamble to the Rules)

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I –Objective Papers			
General Ability Test (Part A: General English)	01	2 hours	200
(Part B: General Studies)	02		
Civil Engineering Paper I	11	2 hours	200
Civil Engineering Paper II	12	2 hours	200
Section II—Conventional Papers			
Civil Engineering Paper I	13	3 hours	200
Civil Engineering Paper II	14	3 hours	200
Total			1000

Category II—MECHANICAL ENGINEERING
(cf. Preamble to the Rules)

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I –Objective Papers			
General Ability Test (Part A: General English)	01	2 hours	200
(Part B: General Studies)	02		
Mechanical Engineering Paper I	21	2 hours	200
Mechanical Engineering Paper II	22	2 hours	200
Section II—Conventional Papers			
Mechanical Engineering Paper I	23	3 hours	200
Mechanical Engineering Paper II	24	3 hours	200
Total			100

Category III—ELECTRICAL ENGINEERING
(cf. Preamble to the Rules)

	Code	Duration	Maximum Marks
Section I –Objective Papers			200
General Ability Test (Part A: General English)	01	2 hours	
Part B: General Studies)	02		
Electrical Engineering Paper I	41	2 hours	200
Electrical Engineering Paper II	42	2 hours	200
Section II –Conventiona Papers			
Electrical Engineering Paper I	43	3 hours	200
Electrical Engineering Paper II	44	3 hours	200
Total			1000

Category IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
(cf. Preamble to Rules)

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I—Objective Papers			
General Ability Test (Part A: General English)	01	2 hours	200
(Part B: General Studies)	02		
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I	61	2 hours	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II	62	2 hours	200
Section II—Conventional Papers			
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I	63	3 hours	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II	64	3 hours	200
Total			1000

3. In the Personality Test special attention will be paid to assessing the candidates capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.

4. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the conventional papers of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

NOTE—Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). *They should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEULE TO APPENDIX I

Standard and Syllabus

The standard of paper in General Ability Test will be such as may be expected of an Engineering/Science Graduate. The standard of papers in other subjects will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ABILITY TEST

Part A : General English (Code No. 01) : The question paper in General English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

Part B : General Studies (Code No. 02) : The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

CIVIL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 11 for objective type paper and 13 for conventional paper)

1. Building Materials and Construction.
   Stones, Timber, Bricks, Cement, Mortar, Concrete, Masonry, Steel.

2. Solid Mechanics.
   Stresses, Strains, Failure Theories of solid materials, Simple bending and torsion theories shear centre.

3. Graphic Statics
   Force Polygon, stress diagram.

4. Structural Analysis
   Analysis of trusses and frames
   Introduction to plastic Analysis.

5. Design of Metal Structures
   Working stress and ultimate strength design of simple structures.

6. Design of concrete and Masonry Structures
   Design of masonry walls, working stress design of plain, reinforced and prestressed concrete; ultimate strength design of reinforced and prestressed concrete.

Paper II (Code No. 12 for objective type paper and 14 for conventional paper)

1. Fluid Mechanics, Water Resources Engineering

Open channel and pipe flow, Hydrology Design of canals, and hydraulic structures.

2. Soil Mechanics and Foundation Engineering and their general principles Strength parameters, Earth pressure Theories, Design of Shallow and deep foundations.

3. Transportation Engineering including Railway Engineering and Surveying, Roads superelevation, Ruling gradient, pavements, Traffic controls, Design considerations.

4. Environmental Engineering
   Water purification, Sewage treatment and disposal.

5. Construction, Planning and Management
   Elements of construction practice, Bar charts, CPM. PERT.

MECHANICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 21 for objective type paper and 23 for conventional paper)

1. Thermodynamics

   Laws Properties of ideal gases and vapours, Power cycles, Gas Power Cycles, Gas Turbine Cycles, Fuels and Combustion.

2. I. C. Engines

   C. I. and S. I. Engines Detonation, Fuel injection and carburation. Performance and Testing. Turbo Jet and Turbo-prop. Engines, Rocket Engines Elementary Knowledge of Nuclear Power Plants and Nuclear Fuels.

3. Steam Boilers, Engines, Nozzles and Steam Turbines Modern boilers. Steam Turbines types. Flow of Steam through nozzles. Velocity diagrams for impulse and Reaction Turbines. Efficiencies and Governing.

4. Compressors Gas Dynamics and Gas Turbines Reciprocating, certifugal and axial flow compressors. Velocity diagrams. Effciency and performance. Effect of Mech. number on flow, Isentropic flow. Normal Shocks and Flow through nozzles. Gas Turbine Cycle with moltistage compression Reheating and Regeneration.

5. Heat Transfer, Refrigeration and Air-Conditioning Conduction, Convection and Radiation. Heat exchangers, types, Combined Heat Transfer. Overall Heat Transfer coefficient. Refrigeration and heat pump cycles. Refrigeration systems, Coefficient of performance. Psychrometrics and psychrometric chart. Comfort indices. Cooling and dehumidification methods. Industrial Air-conditioning Processes, Cooling and heating loads calculations.

6. Properties and classification of fluids

   Fluid statics, kinematics and dynamics; principles and applications, Manometry and Buoyancy. Flow of ideal fluids. Laminar and turbulent flows. Boundary layer Theory. Flow over immersed bodies. Flow through pipes and Open Channels. Dimensional analysis and similitude technique.

Non-dimensional specific speed and classification of fluid machines in general. Energy transfer relation performance and operation of pumps and of impulse and reaction water turbines. Hydronamic power transmission.

PAPER. II (Code No. 22 for objective type paper and 24 for conventional paper)

7. Theory of Machines

   Velocity and acceleration (i) of moving bodies; (ii) in machines. Klein's construction Inertia forces in machines. Cams; Gears and Gearing. Fly wheels and Governors. Balancing of Rotating and Reciprocating masses. Free and forced vibrations of systems. Critical speeds and whirling of shafts.

8. Machine Design

   Design of : Joints—Threaded fasteners and Power Screws—Keys. Kotters. Couplings—Welded Joints-Transmission system : Belt and chain drives—wire ropes—shafts.

   Gears—siding and Rolling bearings.

9. Strength of Materials

Stress and strain in two dimensions; Mohr's circles; relations between Elastic Constants.

Beams : Bending moments, shearing forces and reflection.

Shafts : Combined bending, direct and torsional stresses.

Thick Walled cylinders and spheres under Pressure. Spring, Struts and columns. Theories of failure.

10. Engineering Materials

Alloys and Alloying Materials, heat treatment; composition; properties and uses. Plastics and other newer engineering materials.

11. Production Engineering

Metal Machining : Cutting Tools; Tool Materials, Wear and Machinability, measurement of cutting forces.

Process : Machining—Grinding, Boring, Gear Manufacturing, Metal forming, Metal casting and jointing. Basic, Special, Purpose, Programme and numerically-Controlled machine Tools, Jigs and fixtures (locating elements).

12. Industrial Engineering

Work study and work measurement Wage incentive. Design of Production System and Product Cost, Principles of Plant layout. Production Planning and Control. Material handling. Operations Research. Linear Programming Queuing Theory. Value Engineering Network Analysis, CPM and PERT. Use of Computers.

ELECTRICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 41 for objective type paper and 43 for conventional paper)

1. Electrical Circuits

Network theorems, Response of network to step, ramp, impulse and sinusoidal inputs. Frequency domain analysis. Two port networks elements of network synthesis. Signal-flow graphs.

2. EM Theory

Electrostatics : Magnetostatics using vector methods. Fields in dielectrics in conductors and in magnetic materials. Time varying fields, Maxwell's equations. Planewave propagation in conducting & Dielectric media; properties of Transmission lines.

3. Material Science : (Electric Materials)

Band Theory. Behaviour of dielectrics in static and alternating fields. Piezoelectricity. Conductivity of Metals. Super conductivity, Magnetic Properties of materials. Ferro and ferri-magnetism. Conduction in Semiconductors, Hall effect.

4. Electrical Measurements

Principles of Measurement. Bridge measurement of Circuit parameters. Measuring Instruments. VTVM and CRO, Q-Meter, Spectrum analyser. Transducers and measurement of non-electrical quantities, Digital measurement, telemetering, data recording and display

Paper II (Code No. 42 for objective type paper and 44 for conventional paper)

5. Elements of Computation

Digital system algorithms, flow-charting.
Storage : Type statements, array storage Arithmatics expression, logical expressions, Assignments statements. Programme structure. Scientific and Engineering applications.

6. Power Apparatus & Systems

Electromechanics : Principles of electro mechanical energy conversion. Analysis of D.C., synchronous and Induction Machines. Fractional horse-power motors. Machines in Control Systems. Transformers, Magnetic Circuits and Selection of motors for drives.

Power System : Power generation : Thermal Hydro- and Nuclear Power Transmission, Corona Bundle conductors. Power Systems Protection. Economic operation. Load frequency-control, stability analysis.

7. Control Systems.

Open-loop and closed loop systems, Response analysis Root-locus technique, stability, compensation and design techniques. State-variable approach.

8. Electronics & Communications

Electronics : Solid state devices and circuits. Small signal amplier design. Feedback amplifiers Oscillators and operational amplifiers, FET circuit and linear ICs Switching circuits Boolean Algebra. Logic circuits, Combinational and sequential digital circuits.

Communications : Signal analysis. Transmission of signals. Modulation & Detection. Various types of communication systems. Performance of communication systems.

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 61 for objective type paper and 63 for conventional paper)

1. Materials Components and Devices

Structure and properties of electrical engineering materials. Passive components—types and properties. Active components—type and properties.

Solid State Devices—Physics, Characteristics and models.

2. Network Theory

Network Theorems. Steady State and transient response of electric circuits. Network analysis Elementary network synthesis.

3. Electromagnetic Theory

Field theory. Transmission line theory. Antenna Theory. Propagation of electromagnetic waves in bounded and unbounded media.

4. Measurements and Instrumentation

Measurement of basic-electrical quantities. Measuring instruments and their principles of working. Transducers.

Measurement of non-electrical quantities.

Paper II (Code No. 62 for objective type paper and 64 for conventional paper)

1. Linear and Non-linear Analog Circuits.

Basic Linear electronics circuits. Pulse shaping circuits Wave from Generators. Stabilizers.

2. Digital Circuits

Logic circuits and Gates. Computing Circuits. Combinational and sequential circuits.

3. Control Systems

Feedback theory. Control system components. Response of Control Systems. Design of practical system.

4. Communication Systems.

Basic Information Theory. Modulation and Detection processes. Various types of communication systems. Radio and Line communications. Television and Radar Navigational Aids Satellite communication-principles.

5. Microwave Engineering

Microwave Sources. Microwave Components and networks. Measurement at microwave frequencies Micro wave Communication Systems.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to, reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board].

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

(b) However, for certain Services the minimum standards for height and chest girth, without which candidate cannot be accepted are as follows :

Name of Services	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Railway Engineering Service (Civil, Electrical, Mechanical and Signal) and Central Engineering Service Group A and Central Electrical Engineering Service Group A in the C.P.W.D.			
(a) For Male candidates	152 cm.	84 cm.	5 cm.
For Female candidates	150 cm.	79 cm.	5 cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland, Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

(c) For the Military Engineer Services, Group A the Indian Ordnance Factories Service Group A and Workshop Officer, Group 'A' and Group 'B' a minimum expansion of 5 centimetres will be required in the matter of measurement of the chest.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standards, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighted and his weight recorded in kilograms—fraction of half a kilogram should not be noted.

6. The candidaes eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) *General.*—The candidates eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any morbit conditions of eyes, eyelids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely at future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acutness of vision includes two tests one for distant the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Services	Distant Vision		Near Vision	
	Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
1	2	3	4	5
A. Technical				
1. Railway Engineering Service (Civil, Electrical, Mechanical and Signal)				
2. Central Engineering Service Group A, Central Electrical, and Mechanical Engineering Service Group A, Indian Inspection Service Group A, Central water Engineering Service Group A, Central Power Engineering Service Group A, Central Engineering Service (Roads) Group A and Indian Telecommunication Service Group A, Assistant Executive Engineer [Civil & Electrical) Group A: (P & T) Civil Engineering Wing] (Assistant Engineer [Civil & Electrical Group B. (P. & T.) Civil Engineering Wing]: Post of Engineer, Group A, in W.P. & C. Wing Monitoring Organisation Ministry of Communications/Deputy Engineer-in-Charge, Group A in OCS, Indian Broadcasting (Engineers) Service, Technical Officer, Group A, in Civil Aviation Department Communication Officer Group A, in Civil Aviation Deptt. Indian Naval Armament Service, Indian Ordnance Factories Service Group A, Border Roads Engineering Service Group 'A' Assistant Engineer, Group B Civil Construction Wing in IAR,	6/6 or 6/9	6/12 6/9	J I	J II
Assistant Engineer, Group B in OCS and Technical Assistant (Group B Non-Gazetted) in OCS Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development.				
3. Military Engineer Services, Group A, and post of Assistant Manager (Factories) Group A. P & T Telecommunication Factories Organisation Workshop Officer, Group 'A' and Group 'B'.	6/16 6/9	6/18 6/9	J I	J II
B. Non-Technical				
4. Indian Railway Stores Service, Indian Supply Service, Group A and Mechanical Engineer (Jr.) Group A in the Geological Survey of India	6/2	6/12	J I	J II

NOTE (1)

(a) In respect of the Technical Services mentioned at A above, the total amount of myopia (including the cylinder), shall not exceed —4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00 D.

Provided that in case a candidate in respect of the Services classified as "Technical" (other than the Services under the Ministry of Transport, Department of Railways) is found unfit on grounds of high myopia, the matter shall be referred to a special board of three Ophthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not. In case it is not pathological (the candidate shall be declared fit provided he fulfils the visual requirements otherwise).

(b) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.

NOTE (2)

The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned at A above except the Indian Telecommunication Service, Group A and Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development.

Colour perception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :

Grade	Higher grade of colour perception	Lower grade of colour perception
1. Distance between the lamp and the candidate	16′	16′
2. Size of aperture	13 mm	13 mm
3. Times of exposure	5 seconds	5 seconds

For the Railway Engineering Services (Civil, Electrical, Signal and Mechanical) and other Services connected with the safety of the public, higher grade of colour vision is eessntial but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

The categories of Services/posts which require higher or lower grade colour perception are as indicated below :—

Technical Services or posts requiring higher grade colour Perception

(i) Railway Engineering Services.

(ii) Military Engineering Services.

(iii) Central Engineering Service (Roads).

(iv) Central Power Engineering Service.

(v) Communication Officer Group 'A', Civil Aviation Department.

(vi) Technical Officer Group 'A' Civil Aviation Department.

(vii) Assistant Manager (Factories) Group 'A' (P&T) Telecom, Factories Organisation.

(viii) Border Roads Engineering Service, Group 'A'.

(ix) Workshop Officer, Group 'A' and Group 'B'.

Technical Services or posts requiring lower grade colour perception

(i) Central Engineering Service.

(ii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service.

(iii) Indian Naval Armament Service.

(iv) Indian Ordnance Factory Service.

(v) Central Water Engineering Service.

(vi) Assistant Executive Engineering (Civil & Electrical), Group A (P&T, Civil Engineering Wing).

(vii) Junior Scale in Indian Broadcasting (Engineers) Service.

(viii) Engineer Group 'A' in Wireless, Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation.

(ix) Dy. Engineering-in-charge Group 'A', Overseas Communication Service.

(x) Assistant Engineer (Civil, Electrical) Group 'B' Civil Construction Wing in A.I.R.

(xi) Assistant Engineer (Civil & Electrical) Group 'B' (P&T Civil Engineering Wing).

(xii) Assistant Engineer, Group 'B' Overseas Communications Service.

(xiii) Technical Assistant Group 'B' (Non-gazetted) Overseas Communications Service.

Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and white colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edridges Green's lanterns shall be used for testing colour vision

NOTE (3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfacory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (4) *Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

NOTE (5) For Central Engineering Services the Candidates may be required to pass the colour vision test and undergo tests for night blindness when considered necessary by the Medical Board.

NOTE (6) *Ocular conditions, other than visual acuity*—

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Squint.*—For Technical Services mentioned at A above where the presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acquity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For other Services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(c) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has sub-normal vision, the usual effect be that the person lacks steroscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has :

(i) 6/6 distant vision and J1 near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standard of visual acuity will NOT apply to candidates for Posts/Services classified as "TECHNICAL".

NOTE (7) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses, is not to be allowed.

NOTE (8) It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15-foot candles.

NOTE (9) It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidate for special reasons.

7. Blood pressure.

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age general rule 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm. and diastolic over 90 mm. should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercises or excitement. Provided

the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either laying or siting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be free from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to above 200 m.m. Hg and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (pased in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the Glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion fit or unfit. The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case, it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services, other than Indian Railway Stores Services, the Military Engineer Services, the Indian Telecommunication Service Group A, Central Engineering Service Group A, Central Electrical Engineering Service Group A and the Border Roads Engineering Service Group 'A'. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1	2	3
(1)	Marked or total deafness in one ear other being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membrane or Central or marginal type.	One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
		(ii) Marginal or attic perforation in both ears – Unfit.
		(iii) Central perforation both ears – Temporarily unfit.
(4)	Ears with mastiod cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity – Fit for both, technical and non-technical jobs.
		(ii) Mastoid cavity of both sides – Unfit for technical jobs – Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
(5)	Persistantly discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and nontechnical jobs.

1	2	3
(6)	Chronic Inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal septum is present with Symptoms—Temporary Unfit.
(7)	Chronic Inflammatory / conditions of tonsils and/ or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then Temporarily Unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign Tumours—Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumour—Unfit.
(9)	Otosclorosiss	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10)	Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11)	Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth) will be considered as sound;

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, varicose, veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination;

(m) that he is, free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation; the Chairman of the Board may consult a Hospital psychiatrist psychologist etc.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not, it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The Candidates who desire to file an appeal against the decision of the Medical Board are required to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such a manner as may be prescribed by the Government of India, Ministry of Transport (Deptt. of Railways) in this behalf. This fee will be refundable only to those candidates who are declared fit by the Appellate Medical Board whereas in the case of others it will be forfeited. The candidates may if they like enclose medical certificate in support of their claim of being fit. The appeals should be submitted within 21 days of the date of communication in which the decision of the first Medical Board is conveyed to the candidate; otherwise request for medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board will be arranged only at candidate's own cost. No travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination of the Appellate Medical Board. Necessary action to arrange medical examination by the Appellate Medical Board will be taken by the Ministry of Transfort (Deptt. of Railways) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fees within the stipulated time.

13. The decision of the appellate Medical Board will be final and no appeal shall lie against the same.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any of the candidate concerned.

No. person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments, in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of, continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidate should not be declared temporarily unfit for a further pediod but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they so desire, appeal against its decision.

(a) *Candidates statement and declaration*

The candidate must make the Statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (block letters) .....
.....
.....
.....

2. State your age and birth place .....
.....

2. (a) Do you belong to reces such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is, 'Yes', state the name of the rece.

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever. enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, cheumatism appendicitis :

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

.....
.....

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause.

.....
.....
.....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's Age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death
(1)	(2)	(3)	(4)

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death
(5)	(6)	(7)	(8)

7. Have you been examined by a Medical Board before ?

.....
.....
.....

8. If answer to the above is yes, please state what Service(s)/post(s) you were examined for ?

9. Who was the examining authority ?

10. When and where was the Medical Board held ?

.....
.....
.....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....
.....
.....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's Signature.....

Signed in my presence

Signature of Chairman of the Board

NOTE —The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical examination.

1. General development ..... Good ..... Fair ..... Poor ..... Nutrition : Thin .... Average ..... Obese ..... Height (without shoes) ..... Weight ..... Best Weight .....

When ? .....Any recent change in weight ..... Temperature .....

Girth of chest :—

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin. Any obvious disease .....

3. Eyes

(1) Any disease .. ..

(2) Night Blindness ....
(3) Defect in colour vision ....
(4) Field of vision ....
(5) Visual acuity ....
(6) Fundus Examination ....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses Sph.	Cyl	Axis
Distant Vision	R.E.				
	L.E.				
Near Vision	R.E.				
	L.E.				
Hypermatropia (Manifest)	R.E.				
	L.E.				

4. Ears : Inspection .... Hearing Right Ear .... Left Ear ....

5. Glands .... Thyroid ....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs.
....
....

If yes, explain fully ....
....

8. Circulatory system :

(a) Heart : Any organic lesions
Rate .... Standing ....
After hopping 25 times ....
Two minutes after hopping ....

(b) Blood Pressure : Systolic ....
Diastolic ....

9. Abdomen : Girth .... Tenderness ....
Hernia ....

(a) Palpable Liver .... Spleen ....
....
....
....
Kidneys ....
....
Tumours ....

(b) Haemorrhoids .... Fistula ....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities ....

11. Loco-Motor System : Any abnormality ....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele etc., Urine analysis :

(a) Physical Appearance ....
(b) Sp. Gr. ....
(c) Albumen ....
(d) Sugar ....
(e) Casts ....
(f) Cells ....

13. Report of X-Ray Examination of Chest ....

14. Is there anything in the health of candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Service for which he is a candidate.

NOTE.—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 9.

15. For which Services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

Is the candidate fit for Field Service ?

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following categories :

(i) Fit ....

(ii) Unfit on account of ....

(iii) Temporarily unfit on account of ....

President ....

Member ....

Place ....

Date ....

APPENDIX III

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES/POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE ON THE RESULTS OF THIS EXAMINATION

1. Indian Railway Service of Engineers, Indian Railway Service of Electrical Engineers, Indian Railway Service of Signal Engineers, Indian Railway Service of Mechanical Engineers and Indian Railways Stores Service.

(a) *Probation* :—Candidates recruited to these Services will be on probation for a period of three years during which they will undergo training for two years and put in a minimum of one year's probation in a working post if the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily, the total period, of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working post is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered necessary by the Government.

(b) *Training* :—All the probationers will be required to undergo training for a period of two years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular Service/post at such places and in such manner and pass such examinations during this period as the Government may determine from time to time.

(c) *Termination of appointment*:—(i) The appointment of probationers can be teminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however, required in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government, however, reserve the right to terminate the services forthwith.

(ii) If in the opinion of the Government the work or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(iii) Failure to pass the departmental examination may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi of an approved standard within the period of probation shall be liable to termination of services.

(d) *Confirmation* :—On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed departmental and Hindi examinations, the probationers will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respects.

(e) *Scales of pay* :

(i) *Junior Scale* :—Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

(ii) *Senior Scale* :—Rs. 1100-(5th year or under) -50-1600.

(iii) *Junior Administrative Grade* : —Rs. 1500-60-1800-100-2000.

(iv) *Senior Administrative Grade-Level II* :—Rs. 2250-125/2-2500.

(v) *Senior Administrative Grade-Level I* :—Rs. 2500-125/2-2750.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the above Services are eligible.

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent on probation towards leave, pension and increments in time scale.

Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

Failure to pass the departmental and other examinations during the period of probation may result in stoppage or postponement of increments.

(f) *Refund of the cost of training* :—If for any reasons which, in the opinion of the Government, are not beyond the control of the probationer, a probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation. The probationers permitted to apply for examination for appointment to Indian Administrative Service, Indian Fooreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of the training.

(g) *Leave* :—Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) *Medical attendance* :—Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) *Passes and Privilege Ticket Orders* :—Officers will be eligible for free Railway Passes and Privileges Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) *Provident Fund and Pension* :—Candidates recruited to the Service will be governed by the Railway Pension Rules and shall subscribe to the State Railway Provident Fund (Non-contributory) under the rules of that Fund as in force from time to time.

(k) Candidates recruited to the Services/posts are liable to serve in any Railway or Project in or out of India.

(l) *Liability to serve in Defence Servies* :—The probationers appointed shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

2. *CENTRAL ENGINEERING SERVICE GROUP A AND CENTRAL ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING SERVICE, GROUP A.*

(a) The selected candidates will be appointed on probation for two years. They would be required to pass the prescribed departmental examination during the period of probation. On satisfactory completion of their probation they would be considered for confirmation or continuance in their appointment if permanent posts are available. Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of opinion that the officer is not fit for permanent employment/retention or if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment/retention on the expiration of such period or extension they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

(b) As things stand at present, all officers appointed to Central Engineering Services Group 'A' are eligible for promotion to the next higher grade viz., Executive Engineer after completion of five years service in the grade of Assistant Executive Engineer, subject to availability of vacancies, and on condition that they are otherwise found fit for such promotion.

(c) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any :

Provided that such person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

Junior Scale :—700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

Senior Scale :—Rs. 1,100 (6th year or under)—50—1,600.
Administrative (Selection) Posts :

Superintending Engineers.—Rs. 1,500—60/1,800—100—2,000.

Chief Engineers :

(i) Rs. 2,250—125/2—2,500.

(ii) Rs. 2,500—125/2—2,750.

Engineer-in-Chief.—Rs. 3,000—100—3,500—(for Central Engineering Service Group A).

NOTE.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(I).

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in Central Engineering Service (Group A) and Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Group A).

(i) *Central Engineering Service Group A*

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of various civil works (of Central Government) comprising residential buildings, office buildings, institutional and research centres, industrial buildings, hospitals and development schemes, aerodromes, highways and bridges, etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

(ii) *Central Electrical & Mechanical Engineering Service Group A*

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of electrical components of various civil works (of Central Government) comprising of electrical installations electric substations and power houses, air conditioning and refrigeration, runway lighting of aerodromes, operation of mechanical workshops, procurement and upkeep of construction machinery etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Electrical) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

3. *MILITARY ENGINEERING SERVICES GROUP A*

(a) The selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. A probationer during his probationary period may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient or if the probationer fails to pass the prescribed tests during the period Government may discharge him. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if, his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him or extend the period of probation for such further periods as Government may consider fit.

Probationers will be required to pass the MES Procedure Supdts. (B/R & E/M) Grade I Examination and Hindi Test during their probationary period of two years. The standard for Hindi Test should be "PRAGYA" (equivalent to Matriculation standard).

(b) (i) The selected candidates shall if so required be liable to serve as commissioned officers in the Armed Forces for a period of not less than 4 years including the period spent on training, if any provided that such a candidate.

(ii) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(iii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iv) The candidates shall also be subject to Civilian in Defence Service (Field Liability) Rules of 1957 published under SRO, No. 92, dated 9th March, 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) The following are the rates of pay :—

	Pay Scale
Assistant Executive Engineer Assistant Surveyor of Works	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300
Executive Engineer Surveyor of Works	Rs. 1100 (6th year or under)-50-1600.
Superintending Engineer (ordinary Grade) Superintending Surveyor of Works (ordinry Grade)	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
Superintending Engineer (Selection Grade) Superintending Surveyor of Works (Selection Grade)	Rs. 2000-125/2-2250.
Deputy Chief Engineer	Rs. 1500-60-1800-100-2000 plus special pay of Rs. 200·00 (per month)
Chief Engineer (level II) Chief Surveyor of Works (Level II)	Rs. 2250-125/2-2500
Chief Engineer (level I) Chief Surveyor of Works (Level-I)	Rs. 2500/125/2-2750.

4. *INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE, GROUP A*

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of 3 years. The period of probation may be reduced or extended by the Government on the recommendation of Director General, Ordnance Factories/Chairman, O.F. Board. Probationer will undergo such practical training as shall be provided by the Government and may be required to pass such departmental and language tests as Govt. may prescribe. The language test will be a test in Hindi.

On the conclusion of his period of probation Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

(b) (i) Selected candidates shall if so required be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training if any; provided that such persons (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Service (Field Liability) Rules, 1957, published under S.R.O. No. 92, dated 9th March, 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) The following are the rates of pay admissible :—

Junior Time Scale	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300
Senior Time Scale	Rs. 1100—(6th year or under) 50-1600.
Junior Administrative Grade (Ordinary Grade)	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
Jr. Administrative (Selection Grade)	Rs. 2000-125/2-2250.
Senior Administrative Grade Level-II	Rs. 2250-125/2-2500.
Sr Administrative Grade Level-I Additional Director General	Rs 2500-125/2-2750.
Ordnance factories/Member/ O.F. Board	Rs. 3000 (Fixed).
Director General, Ordnance Factories/Chairman of O.F. Board	Rs. 3500 (Fixed).

NOTE :—The pay of Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of Ministry of Defence O.M. No. 15(6)/64/D(Appts) 1051/D(Civ-1), dated the 25th November, 1985 as amended from time to time.

(d) Probationers are required to undergo Foundational course at Mussoorie/Nagpur.

(e) A probationer so recruited shall have to execute a bond before joining the service.

5. *INDIAN TELE-COMMUNICATION SERVICES, GROUP A*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years. If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith. On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment if permanent vacancies are available or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officers will be required to pass any departmental examination or examination that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass a test in Hindi before examination.

(b) Officers will also be required to pass professional and language test.

(c) Any person appoint on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

Junior Scale : Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

Senior Scale : Rs. 1,100 (6th year of under)—50—1,600.

Junior Administrative Grade : Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000.

Senior Administrative Grade—

(i) Rs. 2,250—125/2—2,500.

(ii) Rs. 2,500—125/2—2,750..

NOTE :—The pay of a Government Servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(I).

In case the substantive pay is or exceeds Rs. 780 an officer in the Junior Scale of Indian Telecommunication Service Group A will not draw any increment till he passes the departmental examination.

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in the Indian Telecommunication Service (Group A).

Assistant Divisional Engineers Telegraphs

Assistant Divisional Engineers Telegraphs will be Incharge of a Telegraphs/Telephones Engineering Sub-Division, Incharge of Carrier VFT, Coaxial, Microwave, Long Distance, Electrical and Wireless and will work generally under a Divisional Engineer. They may also attend to Project Organisation to carry out installation/construction job of various Telecommunication works.

Divisional Engineer

Divisional Engineers are placed Incharge of Telegraphs/Telephones Engineering Division including Long Distance, Coaxial, Microwave maintenance Divisions and Wireless Divisions. They will be fully responsible for the maintenance of the Telegraphs and Telephones equipments in their charge and will also execute work within their Division. When Divisional Engineers are attached to Projects Organisations they will be required to do construction/installation job in the unit.

Junior Administrative Grade

Responsible for administration of Telecommunication assets in the Telecommunication Circles and Telephone Districts and administration and Planning of Telecommunication installations research and development in Telecommunication system etc. Overall incharge of management and administration of Minor Telephone districts, Telecommunication Circles etc.

Senior Administrative Grade

Head of Telecommunications Circle/Telephone District/Project Circle/Telecommunication Maintenance Region responsible for the overall management and administration of his charge. Deputy Director General in the P&T Board—Provides the top level assistance to the P&T Board in framing policy and in overall administration Director Telecommunication Research Centre and Additional Director Telecommunication Research Centre responsible for overall research activities of the Telecommunication Research Centre.

6. *CENTRAL WATER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE*

(i) Persons recruited to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer in the Central Water Commission shall be on probation for a period of two years;

Provided that the Government may, where necessary, extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if at any time during such period of probation or extension they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation the candidates may be required by the Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

(ii) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) *The officers appointed to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer can look forward to promotion to higher grade of Deputy Director/Executive Engineer/Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade)/Director/Superintending Engineer (Selection Grade) Chief Engineer (I-II) CE (Level-I)/Member/Chairman, CWC after fulfilling the prescribed conditions.*

(iv) The scales of pay for Group 'A' Engineering post in Central Water Commission are as follows :—

(Civil and Mechanical Posts in the Central Water Commission).

1.	Assistant Director/Assistant Executive Engineer	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.
2.	Deputy Director/Executive Engineer	Rs. 1100-(6th year or under)-50-1600.
3.	Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade)	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
4.	Director Selection Grade/Superintending Engineer (Selection Grade)	Rs. 2000-125/2-2250.
5.	Chief Engineer	(i) Rs. 2250-125/2-2500 (Level II) (ii) Rs. 2500-125/2-2750 (Level I)
6.	Member, CWC/Chairman, CFCC	Rs. 3000/-fixed.
7.	Chairman, CWC	Rs. 3500/- fixed

(v) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in the Central Water Engineering (Group A) Service.

Assistant Director (Civil and Mechanical)

Planning, Surveys, investigation and design of projects including preparation of estimates, reports etc. for the conservation and regulation of water resources for the development of irrigation, navigation, power, domestic water supply, flood control and other purposes.

Assistant Executive Engineer (Civil and Mechanical)

Responsible for the Sub-Division or other units of works allotted to him. He is required to maintain accounts records of cash and stores under his charge as well as work abstracts with certain accompaniments for each work in progress in the Sub-Division. He is responsible for the correct maintenance of measurement books, muster rolls and other records under his charge in accordance with the prescribed rules, etc. etc.

7. *CENTRAL POWER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE*

(i) *Description of the Organisation*

The Central Electricity Authority was constituted under Section 3(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948, and is vested with the responsibility to develop a strong adequate and uniform national Power Policy to co-ordinate the activities of the Planning agencies in relation to the control and utilization of the National Power resources. All the Power Schemes (Generation, Transmission, Distribution and Utilization of Power Supply) in the country are scrutinised in the Central Electricity Authority in respect of feasibility technical analysis, economic viability, etc. to ensure that the schemes would fit into the overall development of the States as well as the Region and will conform the overall context of National economy. The organisation occupies pivotal position in the development of national economy, power providing its main motive force.

(ii) *Description of the grade to which the recruitment is made through the Combined Engineering Services Examination held by the Union Public Service Commission.*

Sixty per cent of posts in the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer in the scale of Rs. 700—1300 are filled by direct recruitment on the results of the Combined Engineering Services Examination held by the Union Public Service Commission annually.

Persons appointed to the posts of Assistant Director/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) shall be on probation for a period of two years provided that the Government may, where necessary, extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof, as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if any time during such period of probation or extension, they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation, the candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit, as a condition to satisfactory completion of probation.

Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any. Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) *Promotion to higher grades*

The officers appointed to the posts of Assistant Director/Assistant Executive Engineers are eligible for promotion to higher grade viz. Deputy Director/Executive Engineer/Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade), Director/Superintending Engineer (Selection Grade), Deputy Chief Engineer, Chief Engineer (Level II) and Chief Engineer (Level I), subject to availability of vacancies in the grades concerned, after fulfilling the conditions laid down in the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1965 as amended from time to time.

(iv) *Scale of pay*

The scale of pay for the posts of the Central Power Engineering (Group A) Services in the Central Electricity Authority are as follows :—

Electrical, Mechanical and Tele-communication posts in the Central Electricity Authority.

S. No.	Name of Post	Scale of Pay
1.	Assistant Director/Assistant Executive Engineer	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.
2.	Deputy Director/Executive Engineer	Rs. 1100-(Sixth year or under)-50-1600.
3.	Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade)	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
4.	Director/Superintending Engineer (Selection Grade)	Rs. 2000-125/2-2250.
5.	Deputy Chief Engineer	Rs. 2000-125/2-2250.
6.	Chief Engineer (Level II)	Rs. 2250-125/2-2500.
7.	Chief Engineer (Level I)	Rs. 2500-125/2-2750.

NOTE : For purpose of fixation of pay on promotion from the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer to that of Deputy Director/Executive Engineer, Concordance Tables adopted on the recommendations of the Third Pay Commission, are applicable to the members of this Service.

(v) *Duties and responsibilities*

Nature of duties and responsibilities attached to the posts of Assistant Director/Assistant Executive Engineer are :—

Collection, compilation and co-relation of technical data required for dealing with various types of problems in the fields of power development. He is also required to deal with cases and handle matters in relation thereto including erection, operation, maintenance of Hydro and Thermal Power Projects as well as Transmission and Distribution/Power Systems, studying project reports, providing assistance in preparation of power plans, designs of projects, etc. While working in field Units, he is responsible for the Sub-Division or other works allotted to him.

8. *POSTS OF ASSISTANT MANAGER (FACTORIES) GROUP A IN THE P&T TELECOM. FACTORIES ORGANISATION.*—

(i) Persons recruited to the post of Assistant Manager (Factories) in the scale of pay of Rs. 700-1300 shall be on a probation for a period of 2 years.

(ii) During the period of probation, the candidate shall be required to undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time and are required to pass a professional examination and a test in Hindi.

(iii) Any person appointed to the post of Assistant Manager (Factories) shall, if so required to liable to serve in the Defence Service or posts connected with the Defence of India, for a period not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iv) Prospect of promotion to higher grades :

(a) Assistant Managers with a minimum of five years of a regular service in the grade are eligible for promotion to the grade of Senior Engineer (Sr. Time Scale) in the scale of Rs. 1100—1600.

(b) Senior Engineers with a minimum of 5 years of service in the grade are eligible for promotion to the grade of Deputy General Manager/Manager (Factories) in Jr. Admn. Grade in the scale of pay of Rs. 1500-1800.

(c) Deputy General Manager/Manager with 7 years regular service rendered in the grade are eligible for promotion to the grade of General Manager, Telecom Factory (Sr. Admn. Grade—Level II) in the scale of Rs. 2,250—125/2—2,500.

(v) Nature of duties and responsibilities attached to the posts :

Asstt. Manager.—Overall supervision of two or more production/non-production units. To act as Appointing Disciplinary Authority for various trades/cadres in Telecom Factories.
Authority for various trades/cadres in Telecom Factories.

Senior Engineer.—Head of a branch viz., Production Planning, Development, Maintenance, Tools, etc. and to work as Appointing and Disciplinary Authority for various trades/cadres in Telecom Factories.

Deputy General Manager/Manager.—To assist the General Manager in day-to-day work of general administration, production, discipline, planning etc., In-charge of a Factory or Production Unit/Wing.

General Manager.—Head of the Telecom Factory, Responsible for overall control of general administration, production, planning discipline, etc. in the Factory.

(9) ENGINEERS (GROUP A) IN THE WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING/MONITORING ORGANISATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS.—

(a) Scale of pay Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

(b) The incumbent of the post of Engineer is eligible for promotion against 100% of the vacancies in the grade of Assistant Wireless Adviser, Wireless Planning and Coordination Wing Engineer-in-Charge Monitoring Organisation (Scale of Pay Rs. 1,100—50—1,600—plus Rs. 100/- per month as special

pay for the post of Assistant Wireless Adviser) after puting in five years service in the grade. Promotion to the grade of Assistant Wireless Adviser Engineer-in-charge will be on the basis of their selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as constituted for Group A posts.

All Assistant Wireless Advisers and Engineers-in-charge with 5 years service in the Grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-charge are eligible for being considered for promotion as Deputy Wireless Adviser (Scale Rs. 1,500—60—1,800). The vacancies in the grade of Deputy Wireless Adviser are filled 100% by promotion on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for Group A posts.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(c) The person appointed to the post of Engineer is liable to be posted anywhere in India.

(d) Any person appointed to the post of Engineer shall, if so required, be liable to serve in any Defence service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(e) Nature of Duties and Responsibilities Attached to the Posts.

(i) Supervision guidance and training of staff in the different units of the WPC Wing/Wireless Monitoring Organisation.

(ii) Installation, calibration, testing and maintenance of various categories of electronic equipment, antennae and ancillaries employed in radio frequency monitoring, covering the entire radio frequency spectrum and various types of emissions.

(iii) Licensing and inspection of wireless installations of the various user departments/organisations for different types of the radio communication services.

(iv) All aspects relating to national and international coordination for the use of radio frequency spectrum and geostationary satellite orbit, including preparation of allocation plans, establishment or relevant technical standards type-approval of equipment studies of electro-magnetic interference/compatibility etc.

(v) Administration of Internal Radio Regulations including formulation and implementation of corresponding national rules and regulations.

(vi) Conducting of examinations for Certificate of Proficiency/Radio Amateurs etc. and issuing of respective licences.

(vii) Research and development work relevant to radio frequency management and monitoring.

(viii) National-level preparation for the conference and meetings of the International Telecommunication Union, and as appropriate, of other international/regional organisations dealing with telecommunications.

(10) DEPUTY ENGINEERING-IN-CHARGE (GROUP A), ASSISTANT ENGINEER (GROUP B GAZETTED) AND TECHNICAL ASSISTANT (GROUP B NON-GAZETTED) IN THE OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE MINISTRY OF COMMUNICATION.

(a) Candidates selected for appointment as Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy Engineer-in-Charge will be appointed on probation for a minimum period of two years which may be extended if necessary.

(b) An Officer appointed as Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy Engineer-in-Charge will be liable to serve anywhere in India.

(c) In case of temporary appointment to the post of Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy Engineer-in-Charge apart from the conditions laid down in the bond which an officer may be required to execute, his service will be terminable by giving one month's notice on either side. It is, however, left to the Department to terminate the service of a temporary employee by giving one month's pay and allowances in lieu of notice but the officer has no such option.

(d) Scales of pay.

(1) Technical Assistant : Rs. 550—25—750—EB—30—900.

(2) Assistant Engineer : Rs. 650—30—740—35—810— EB— 35—880—40—1,000 —EB—40—1,200.

(3) Deputy Engineer-in-Charge : Rs. 700-40-900—EB—40—1,100—50—1,300.

(e) Prospects of promotion to higher grades.

(i) Technical Assistant : All Technical Assistants with a minimum service of three years in the grade are eligible for promotion to the grade of Assistant Engineer in the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB— 35—880—40—1,000—EB—40—1,200, by selection on merit against 50 per cent vacancies reserved for departmental promotion.

(ii) Assistant Engineer : All Assistant Engineers with a minimum service of three years in the grade are eligible for promotion to the grade of Deputy Engineer-in-Charge in the scale of Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300 by selection on merit against 75 per cent vacancies reserved for departmental promotion.

(iii) Deputy Engineer-in-Charge : The incumbent of the post of Deputy Engineer-in-Charge with a minimum service of three years in the grade of Deputy Engineer-in-Charge or Assistant Engineer is eligible for promotion to the post of Engineer-in-Charge scale Rs. 1,100—50—1,600 in the Overseas Communications Service on the successful completion of the period of probation which will be two years. The minimum service of three years in the case of officers directly recruited in the grade will be reckoned from the date of completion of training. The promotion to the grade of Engineer-in-Charge will be on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for the post.

(vi) Engineer-in-Charge : The incumbent of the post of Engineer-in-Charge with a minimum service of three years in the grade of Engineer-in-Charge is eligible for promotion to the post of Director (Scale : Rs. 1,300—50—1,700) in the Overseas Communications Service. Promotion to the Grade of Director will be on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for the post.

(v) Director : The incumbent of the post of Director with a minimum service of three years in the grade of Director is eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Scale : Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000) in

the Overseas Communications Service Promotion to the grade of Deputy Director General will be on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for the post.

(vi) Deputy Director General : The incumbent of the post of Deputy Director General with a minimum service of 7 years in the grade of Dy. Director General or, for a period of 3 years with effect from 23-5-85, 10 years in the grades of Dy. Director General and Director combined together is eligible for promotion to the post of Additional Director General (Scale : 2250—125/2—2500) in the Overseas Communications Service. Promotion to the grade of Additional Director General will be on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for the post.

(vii) Additional Director General : The incumbent of the post of Additional Director General with a minimum service of 2 years in the grade of Additional Director General is eligible for promotion to the post of Director General (Scale : Rs. 2500—125/2—2750) in the Overseas Communications Service. Promotion to the grade of Director General will be on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for the post.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(f) Any person appointed to the post of Technical Assistant, Assistant Engineer, or Deputy Engineer-in-Charge shall if so required be liable to serve in any Defence service or post in connection with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such persons :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

NOTE : The remaining conditions of service such as leave, travelling allowances on transfer/tours, joining time/joining time pay, medical facilities, travel concessions, pension and gratuity control and discipline and conduct etc., will be as applicable to other Central Government employees of similar status.

(a) Nature of duties and responsibilities attached to the post(s)—

1. DY. ENGINEER-IN-CHARGE : The incumbent of the post of Dy. Engineer-in-Charge in O.C.S. functions as a deputy to the Engineer-in-Charge and assists the latter in all technical matters relating to operation and maintenance of International Telecommunications equipment and is also responsible for management of staff, staff colony, water supply, electric supply, engineering, and stationary stores and so on.

The incumbents of the posts have not only to supervise technical work but also to engage themselves directly in the installation and upkeep of valuable telecommunications equipment, the very intensive utilisation of equipment characteristics of O.C.S. in dependent largely upon the ability of Deputy Engineer-in-Charge to co-ordinate and execute work combining a degree of improvisation with reliability standards.

2. ASSISTANT ENGINEER : The incumbent of the post is generally incharge of shift and is responsible for operation and maintenance of equipment. He is required to take quick decision on the spot when any query is raised by foreign associates on technical matters and to rectify his faults.

The post is supervisory-*cum*-operational. The incumbent of the post exercises control over subordinates at the level of Technical Assistants and Junior Technical Assistants in the shift. While some members are engaged on Development and Research involving an element of applied research, all Assistant Engineers are required to be familiar with and should comply with international telecommunication standards.

3. TECHNICAL ASSISTANTS : The duties and responsibilities of the post involve adjustments of different Telegraph/Telephone and other Wireless apparatus and equipments operation, maintenance and instanation of high power Transmitters/Receivers of different kinds and attend to any fault therein. The incumbent is also required to control the entire circuit of radio terminal while speech is going on between two subscribers during an overseas telephone call.

11. INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS) SERVICE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING.

(a) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years.

(i) Provided that the controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time

(ii) Provided further that any decision for Extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(iii) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(iv) if, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Govt. is of opinion that an officer is not fit for permanent appointment in Government it may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be or pass such orders as they deem fit.

(v) During the period of probation or any extension thereof, candidates may be required by Government undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Govt. may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(b) Appointment to the Service :—All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various grades of the Service, whether in 'Akashvani' or in 'Doordarshan'.

(c) Liability for service in any part of India and other conditions of service : (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

Any officer appointed to the Service if, so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any, provided that such officers.

(a) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Services.

(b) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

The conditions of service of the members of the Service inrespect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

The following are the rates of pay admissible.

1. Junior Scale · · · 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.
2. Senior Scale · · · 1100 (6th year or under)-50-1600.
3. Junior Administrative Grade 1500-60-1800-100-2000.
4. Junior Administrative Grade (Selection Grade) 2000-125/2-2250.
5. Senior Administrative Grade Level II · 2250-125/2-2500.
6. Engineer in Chief · · 2500-125/2-3000.

Nature of duties and responsibilities attached to the post of Junior Scale of IB (E) S (Group-'A') Design, installation, operation and maintenance of Broadcast and TV studios and transmitters. Responsibility for the supervision of the work of subordinate Engineers.

12. ASSISTANT ENGINEER (GROUP B) (CIVIL AND ELECTRICAL), CIVIL CONSTRUCTION WING, ALL INDIA RADIO, MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING.

(a) Appointment will be made on probation for a period of two years.

(b) (i) An Officer appointed to the post will be liable to serve anywhere in India and also will be liable to transfer at any time to serve under a public corporation and on such transfer, he will be liable to be governed by the conditions of service laid down for employees of the Corporation.

(ii) Any person appointed to the post of Assistant Station Engineer or Assistant Engineer shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post in connection with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any;

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The Government can terminate the appointment of an officer in following events without giving any notice :—(i) during or at the end of the period of probation, (ii) for insubordination intemperance, misconduct or breach or non-performance of any of the provisions of the rules pertaining to the service for the time being in force, (iii) if he is found medically unfit and is likely for considerable period to continue to be so unfit by reasons of ill-health for the discharge of his duties.

In case of temporary appointments, the service of the officer can be terminated at any time without assigning any reason by giving one month's notice on either side.

(d) Assistant Engineer (Civil & Electrical) Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—1200/-.

(e) Prospects of Promotion to higher grades :

(i) Assistant Engineers (Civil & Electricals), with a minimum of 8 years of regular service in the grade are eligible for promotion to the grade of Executive Engineer in the scale of Rs. 1100—50—1600/-.

(ii) Executive Engineers with a minimum of 7 years of service in the grade are eligible for promotion to the grade of Superintending Engineer in the scale of Rs. 1500—60—1800—100—2000/-.

(iii) Superintending Engineers, with a minimum of 5 years of service in the grade, are eligible for promotion to the post of Additional Chief Engineer (Civil) in the scale of Rs. 2000—125/2—2250.

NOTE.—The remaining conditions of service such as leave, travelling allowance on transfers/tour, joining time/joining time pay, medical facilities, travel concession, pension and gratuity, control and discipline and conduct etc. will be as applicable to other Central Government employees of similar status.

(f) Nature of duties and responsibilities attached to the post of Assistant Engineer (Civil & Electrical): To execute the works according to the norms and standards laid down for the same in designs and drawings.

13. TECHNICAL OFFICER (GROUP A), AND COMMUNICATION OFFICER (GROUP A) IN THE CIVIL AVIATION DEPARTMENT, MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION.

(a) The candidate selected for appointment will be appointed on temporary basis until further orders as Communication Officer/Technical Officer. They will be on probation for a period of two years extendable, if necessary. Their appointment may be terminated at any time during the period of probation without notice. The candidate will have to undergo a course of training at the Civil Aviation Training Centre for a duration of 16 weeks as and when it is practicable after their appointment. They will be considered for confirmation in the grade of Communication Officer/Technical Officer as and when permanent posts for their confirmation become available.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the Officer in his appointment subject to availability of permanent vacancies or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government under this rule.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave, increment and pension in accordance with the rules for the time being in force and applicable to Officers of the Central Government. They will also be eligible to join the Central Provident Fund in accordance with the rules regulating that Fund.

(f) These Officers shall be liable for transfer anywhere in India for any field Service in and outside India during an emergency. They can also be asked to take up duties on board an aircraft in flight.

(g) The relative seniority of Officers appointed through the Engineering Service Examination will ordinarily be determined by the order of their merit in the Examination. Government of India, however, reserve the right of fixing the seniority at their discretion in individual cases.

The seniority of direct recruits vis-a-vis departmental candidates will depend upon the quotas prescribed in the Recruitment Rules, and will be in accordance with the orders that may be issued by the Government of India from time to time on the subject.

(h) Prospects of promotion to higher grade :—

Promotion to the Grade of Senior Communication Officer/Senior Technical Officer :

Communication Officer/Technical Officer with a minimum of five years of regular service in the grade are eligible for promotion to the grade of Senior Communication Officer/Senior Technical Officer in the Civil Aviation Department subject to occurrence of vacancies in the scale of Rs. 1,100—50—1,600 on the basis of seniority-cum-fitness.

Promotion to the grade of Dy. Director/Controller of Communications :

Senior Communication Officers/Senior Technical Officers who have a minimum of 3 years of regular service in that cadre are eligible for promotion to the grade of Dy. Director/Controller of Communication Organization in the scale of Rs. 1,500—60—1,800 on the basis of selection on the recommendations of the D.P.C.

The next higher posts in the line of promotion in the Civil Aviation Department subject to selection by the DPC are Director of Communication; Director, Radio Construction and Development Units; Director of Training and licensing and Regional Director in the scale of Rs. 1,800—100—2,000. Deputy Director General in the scale of Rs. 2,000—125/2—2,500 and Director General in the scale of Rs. 3,000 (fixed).

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(i) These conditions of service are subject to revision according to the requirements of service. Candidates will not be entitled to any compensation if they are adversely affected by any changes in the conditions of service which may be introduced later on.

(j) The scale of pay for the posts of Communication Officer/Technical Officer in the Department of Aviation are given below :

(i) Communication Officer (Group A) : Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

(ii) Technical Officer (Group A) : Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

(k) Any person appointed to the post of Communication Officer/Technical Officer shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointments.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) Nature of duties and responsibilities attached to the posts(s) of Technical Officer Group A and Communication Officer Group A.

Technical Officer and Communication Officer

The above categories of officers are sometimes posted as Officer-in-Charge of Aeronautical Communication Stations which maintain a number of Radio Communication and Navigational equipment and employ a number of Technical/Operational staff to man the various equipments at operating positions.

In the larger A.C. Stations, however, the Communication and Technical Officers' work under the administrative control of a Senior Scale Officer. Under these conditions the duties performed by them would be exclusive of the day-to-day administration of the Station. They are also attached to subordinate Regional Headquarters and other offices.

The Technical Officers' alone are also posted to the Radio Construction and Development Units/Central Radio Stores Depot where the work will be mainly connected with Testing and Installation of equipment and allied subjects.

Duties of Technical/Communication Officers functioning as Officer-in-charge Aeronautical Communication Stations :—

General administration and disciplinary control over an A.C. Station, which includes—

(i) efficient maintenance of the various radio/navigational units;

(ii) disbursement of pay and allowances of the entire staff;

(iii) maintenance of accounts—CPWA accounts relating to stores, submission of periodical returns to the proper authorities etc.;

(iv) provisions of adequate spare for the various equipments;

(v) deployment of staff of various categories at the Units under his charge;

(vi) adequate liaison with officers at the Aerodrome, Met. Airlines etc.

(vii) in general, to keep the Aeronautical Communication Station working at its optimum efficiency.

Duties of Technical Officer posted at a major station/Radio Construction and Development Units/Radio Stores Depot :

Acceptance testing, installation and subsequent day-to-day maintenance of Radio & Radar/Navigational equipments of various categories employed in the C.A.D.

Flight check of Navigational Aids of the Department according to international Standards.

Development work in connection with import substitution, fabrication of units for installation purposes, selection of sites for installation of navigational aids etc.

Procurement of spares of various categories from local and foreign agencies for the equipment in use in the department.

Duties of "Communication Officer posted at the major stations :

Responsible for the efficient functioning of the various operational facilities at the station including landline and radio Teletype channels. More circuits, Intercom and other local speech circuits.

If on shift, take complete charge of the entire shift to ensure that all the Technical units/telegraph circuits function properly.

Matters pertaining to Aeronautical Information Service—dissemination of Notices to Airmen. Briefing of Air Crew and allied matters.

14. *INDIAN NAVAL ARMAMENT SERVICE*

(a) Candidate selected for appointment to the service will be appointed as probationer for a period of two years which period may be extended at the discretion of the competent authority. Failure to complete the probation to the satisfaction of the competent authority will render them liable to discharge from service. During the period for probation, they will have to undergo a technical training course for a period of 9—12 months and are also to pass the departmental examination is not more than three attempts. In case they fail to pass in departmental examination their services will be liable to be terminated at the discretion of the Government.

(b) The appointment can be terminated at any time by giving the required period of notice (one month in the case of temporary appointment and three months in the case of permanent appointment by competent authority). The Government, however, reserves the right of terminating services of the appointees forthwith or before the expiry of the stipulated period of notice by making payment of a sum equivalent to pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

(c) They will be subject to terms and conditions of Service as applicable to Civilian Government Servants paid from the Defence Services Estimates in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. They will be subject to Field Service Liability Rules 1957 as amended from time to time.

(d) They will be liable for transfer anywhere in India or abroad.

(e) Scale of pay and classification—Group A Gazetted.

(i) Deputy Armament Supply Officer, Grade II—Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

(ii) Deputy Armament Supply Officer, Grade-I—Rs. 1100-50-1600.

(iii) Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade)—Rs. 1500-60-1800.

(iv) Naval Armament Supply Officer (Selection Grade)—Rs. 1500-60-1800-100-2000.

(v) Director of Armament Supply—Rs. 2000-125/2-2250.

NOTE—The cadre review of the service is under consideration of the Government. The posts mentioned at (iii) and (iv) are likely to be merged in the grade of Rs. 1500-60-1800-100-2000. The pay scale of the post of Director of Armament Supply is under revision.

(f) Prospects of Promotion to higher grades—

(i) Deputy Armament Supply Officer, Grade I DASOs Grade II with 5 years service are eligible for promotion to the grade of DASO Grade I in the scale of pay of Rs. 1100—1,600, on the basis of selection on the recommendations of DPC provided that only those officers will be considered for promotion who have passed the departmental examination which may be held after technical training course or the Naval Technical Staff Officers course at the I.A.T., Kirkee. It has been proposed to reduce the qualifying service to 4 years for promotion to the post of DASO Grade I from DASO Grade II in the cadre review.

The syllabus of the Departmental examination is reproduced below :—

1. *Naval Armament Depot, Visakhapatnam*

(a) Shop-work (Three months)
(b) Gunwharf Technical Course I
(c) Ammunition Technical Course I
(d) Administration and Accounts Course
(e) Visit to Balasore, Cossipore, Ishapore and Jabalpur.

} 37 weeks

2. *Gunnery School and TAS School*

3. Visits of Heavy Vehicle Factory AVADI and Cordite Factory, ARUVANKADU } 2 weeks

4. Naval Armament Depot, Bombay

(a) Gunwharf Technical Course II
(b) Ammunition Technical Course II
(c) Visit to Ordinance Factory, AMBARNATH

} 5 weeks

5. Institute of Armament Technology, KIRKEE.

1. Visit to HE Factory, Ammunition Factory, ARDE and ERDL, KIRKEE. 4½ weeks

2. Visit to Ordnance Factory & Shell Arms Factory KANPUR Enroute Naval Headquarters, New Delhi. ½ week

3. Naval Headquarters, New Delhi Visit to Defence Science Laboratories ½

1½ weeks

DELHI, FINAL EXAMINATION

(ii) *Naval Armanent Supply Officer (Ordinary Grade)*

Deputy Armament Supply Officer, Grade I with 5 years' service as such are eligible for promotion to the grade of Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) in the pay scale of Rs. 1500—60—1800/- on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(iii) *Naval Armament Supply Officer (Selection Grade)*

Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) with 3 years service as such are eligible for promotion to the grade of Naval Armament Supply Officer (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 1500—60—1800—100—2000/- on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(iv) *Director of Armament Supply*

Naval Armament Supply Officer (Selection Grade/Ordinary Grade) with 5 years' service in the grade (s) are eligible for promotion to the grade of Director of Armament Supply in the pay scale of Rs. 2000—125/2—2250/- on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

NOTE : The pay of the Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity immediately prior to his appointment as a probationer may be regulated subject to the provision of F.R. 22B(I) and the Corresponding article in CSR applicable to probationer in the Indian Navy.

(g) Nature of duties and responsibilities attached to the pos of Deputy Armament Supply Officer Grade II in the Indian Navy, Ministry of Defence.

(i) Production, planning and direction of work relating to repair, modification and maintenance of armaments, incorporating various mechanical electronics and electrical devices and system Production and productivity.

(ii) Provision of machinery, electronic and electrical equipment or repair maintenance and overhaul.

(iii) Developmental work to establish import substitutes, preparation of indigenous design specifications.

(iv) Providing of mechanical electronics and electrical spare for armaments.

(v) Periodical callibration testing/examination of sub assemblies and assemblies of mechanical electronices and electrical items of armaments (missiles, torpedos mines and guns) measuring instruments etc.

(vi) Supply of armaments to fleet and Naval Establishments.

(vii) Rendition of technical advice to the service in all matters relating to mechanical, electronic and electrical engineering in respect of armaments.

15. ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER IN P & T CIVIL ENGINEERING WING—

(a) The candidates will be appointed on probation for a period of two years. They will be required to undergo a training as prescribed. If in the apinion of Government, the work or conduct of an officer appointed on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient. Government may discharge him forthwith. On the conclusion of his period of probation, Government may confirm in the officer in his appoin ment if permanent vacancies are available and if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory. Government may, either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officers will be required to pass the departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass a test in Hindi.

(b) An officer appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training.

Provided that persons—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the rates of pay admissible :- Group B Assistant Engineer (Civil)/(Electrical) Rs. 650—30—740—35—810—EB —35—880—40—1000 — EB— 40—1200.

Group A :—

(i) Assistant Executive Engineer (Civil)/(Electrical) Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Executive Engineer/Surveyor of Works (Civil)/(Electrical) Rs. 1100—50—1600.

(iii) Superintending Engineer/Superintending Surveyor of Works (Civil)/(Electrical) Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Chief Engineer (Civil)/(Electrical) Rs. 2250—125/2—2500.

(c) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in P&T Civil Wing are as follows :—

Candidates recruited to P&T, Civil Wing through Engineering Services Examination are empolyed in Planning Designing, Construction and Maintenance of various civil works of P. & T. Department comprising of Residential Building Office Buildings, Telephone Exchange Buildings, Post Office Buildings, Factories, store and training centres etc. The candidates start their service in the department as Asstt. Executive Engineers/Asstt. Engineers and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the department.

16. POST OF ASSISTANT DEVELOPMENT OFFICER (ENGINEERING) IN THE DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT :—

(a) Persons recruited to the post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development will be on probation for a period of two years.

(b) The scale of pay of this Group A Gazetted post is Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

(c) Assistant Development Officers with 5-years service in the grade are eligible for promotion to the post of Development Officer in the Directorate General of Technical Development in the scale of pay of Rs. 1100-50-1500-EB-60-1800/- 90% of the post in the cadre of Development Officer are filled by promo ion. Development Officers are eligible for promotion as Additional Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 1800-100-2000/-. Additional Industrial Advisers are eligible for promotion to the post of Industrial Adviser (Rs. 2000-125/2-2500/-). Industrial Advisers are eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Rs. 2500-125/2-3000) and Deputy Director General in turn are eligible for promotion to the post of Secretary (TD) & DG (TD) which carries a fixed salary of Rs. 3500/-.

(d) Any person appointed on the result of this competitive examination shall if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than 4 years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of such appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years;

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the post of Assistant Development Officer :-

He is required to assist the Development Officer in the development of industries in the respective division of Mechanical Engineering. Industrial Machinery, Machine Tools, Electrical Engineering. Automobile, Electronic Engineering Industries etc.

17. POST OF WORKSHOP OFFICER IN THE CORPS. OF EME, MINISTRY OF DEFENCE :—

(a) Persons recruited to the post of Workshop Officer in the Corps of EME will be on probation for a period of two years.

(b) Candidates appointed to the post will be liable to serve anywhere in India.

(c) The following are the rates of pay admissible :—

(i) Workshop Officer Group 'B' Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(ii) Workshop Officer Group 'A', Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(iii) Senior Workshop Officer Rs. 1100—50—1600.

(iv) Workshop Superintendent Rs. 1500—60—1800.

(v) Workshop Superintendent (Selection Grade) :—1800—100—2000.

(d) *Duties.* To function as an incharge of a section undertaking repairs of 'A', 'B' and 'C' Vehicles, Guns, Wireless and Radar Equipment and Instruments, will be required to work as Workshop Officer in EME Army Base Workshops/Station Workshops and/or Staff EME (Extra-Regimental Employment) appointments in lieu of captain (EME) or as Instructor in EME Training Establishments including administrative duties.

(e) The posts are non-pensionable in the initial stage, but become pensionable if and when made permanent. However, if a person holding a permanent pensionable post under Government is appointed he will continue to enjoy his pensionary status.

(f) Candidates selected for the post are bound for field service liability and should possess medical category 1 (one).

18. INDIAN SUPPLY SERVICE/INDIAN INSPECTION SERVICE :—

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. On completion of the period of probation the officers, if considered fit for permanent appointment, will be confirmed in their appointments subject to availability of permanent posts. The Government may extend the period of two years of probation.

If on the expiry of the period of probation or any extension thereof, the Government are of the opinion that an officer is not fit for permanent employment, or if at any time during such period of probation or extension thereof they are satisfied that any officer will not be fit for permanent appointment on the expiry of such period or extension thereof they may discharge the officer or passsuch order as they think fit.

The officer will also be required to pass a prescribed test in Hindi before confirmation.

(b) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such persons—

(i) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the rates of pay admissible :—

Grade II—Senior (Group A) Scale Rs. 1,100 (6th year EB—40—1,100—50—1,300.

Grade II—Senior (Group A) Scale Rs. 1,100 (6th year or under)—50—1,600.

Grade I—Administrative Selection Posts—Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000.

Supertime scale posts.

(a) Rs. 2,000—125/2—2,250.

(b) Rs. 2,250—125/2—2,500.

(c) Rs. 2500—125/2—2,750.

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to this appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in Indian Supply Service Group A/Indian Inspection Service Group 'A'.

INDIAN SUPPLY SERVICE GROUP 'A'

The main item of work of the officers of the Indian Supply Service is the purchase of stores as also disposal of surplus stores on behalf of Government of India. Public Sector Undertakings etc. The officers of the Indian Supply Service are expected to posses requisite technical backgrounds to deal with the diversified nature of Indents placed on the DGS & D and the Supply Wings of Embassies/High Commission abroad.

INDIAN INSPECTION SERVICE (GROUP A)

Inspection and test of Enginering articles and materials and stores of allied nature, supervision of Junior Officers work and ensuring that they are adequately instructed on their work and duties : personal attention to work of importance, drafting of Technical reports, specifications and Schedules of requirements and checking of the technical particulars of indents for engineering stores rendering of technical advice and assistance in engineering matters to offices of other branches of the Department indentors and manufacturers.

(19) BORDER ROADS ENGINEERING SERVICE

Group 'A'

(i) The Selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineers on probation for a period of two years. The probationer during the probation period may be required to pass such departmental tests as Government may prescribe. At any ume during the period of probation or on conclusion thereof, if his work and conduct has in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(ii) The selected candidates shall be liable to serve in any part of India or outside including the field area in war and in peace. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down for the field service.

(iii) The following are the rates of pay admissible to them :—

Assistant Executive Engineer—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

Executive Engineer Rs. 1,100 (6th year or under)—50—1,600.

Superintending Engineer—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

Chief Engineer (Civil) Grade II—Rs. 2250—125/2—2500.

Chief Engineer (Civil) Grade I—Rs. 2500—125/2—2750.

(iv) The officers appointed to the post of Assistant Executive Engineer can look forward to promotion to the higher grades of Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer (applicable to officers on the Civil Engineering side only) after fulfilling the prescribed conditions.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(v) The Officers appointed to the service are entitled to special compensatory allowance and free ration at prescribed scales when employed in certain specified areas besides the other usual allowances such at H.R.A. and C.C.A. etc., as admissible to Central Government Servants. They are also entitled to outfit allowances for the uniform.

(vi) The Officers appointed to the Border Roads Engineering Service Group 'A' posts would also be subject to Army Act, 1950 for the purpose of discipline.

20. POSTS IN THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA—

Persons recruited to the posts of Drilling Engineer (Junior) Mechanical Engineer (Junior) (Group A posts) and Assistant Mechanical Engineer (Group B posts) in the Geological Survey of India in a temporary capacity will be on probation for a period of two years. Retention in service for a further period over two years will depend on assessment of their work during the period of probation. This period may be extended at the discretion of the Government. They will receive pay in the time scale of Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300 and Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200 respectively. On completion of their period of probation satisfactorily, if they are considered fit for permanent appointment they will be considered for confirmation according to rules subject to the availability of substantive vacancies.

The persons appointed to the posts of Drilling Engineer (Junior) Mechanical Engineer (Junior) and Assistant Mechanical Engineer in the Geological Survey of India, shall, if so, required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period of training, if any;

Provided that such a person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment as Drilling Engineer (Junior) Mechanical Engineer (Junior) or Assistant Mechanical Engineer, Geological Survey of India, and

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

The following is the field of promotion open to those found fit according to the rules and instructions on the subject :—

A—For Drilling Engineer (Junior) Group 'A'—Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

(i) Drilling Engineer (Senior)—Rs. 1,100—50—1,600.

(ii) Director (Drilling)—Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000.

(iii) Deputy Director General (Engineering Services)—Rs. 2250—125/2—2500.

B—For Mechanical Engineer (Junior) (Group A)—Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300.

Assistant Mechanical Engineer (Group B)—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200.

(i) Mechanical Engineer (Senior)—Rs. 1,100—50—1,600.

(ii) Director (Mechanical Engineering)—Rs. 1,500—60—1,800—100—2,000.

(iii) Deputy Director General (Engineering Services)—Rs. 2250—125/2—2500.

The Officers recruited in the Geological Survey of India will be required to serve anywhere in India or outside the country.

NOTE.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(I).

Nature of duties & responsibilities attached to the post in

Geological Survey of India

Mechanical Engineer

(Junior)

Maintenance & repairs of drills, vehicles & other equipment allotment of drivers & vehicles for various field duties and assignment, scrutiny and maintenance of P.S.L. issues and records, log books, history sheets etc.

Drilling Engineer (Junior)

Carrying out drilling operation in connection with mineral exploration with one or more drilling rigs, ensuring optimum percentage of core recovery, upkeeping of machinery and vehicles deployed in good order security of Government Stores and imprest placed at his disposal, maintaining stores and cash accounts and looking after the welfare of staff employed under him.

Assistant Mechanical Engineer

Attending to the repairs and maintenance of vehicles, drilling and other equipment, supervision of mobile workshop for attending to repairs in the field.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985